gradeup

मासिक समसामयिकी
अगस्त 2020

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

www.gradeup.co

राजव्यवस्था और शासन

ग्रामोद्योग विकास योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ग्रामोदय विकास योजना के अंतर्गत अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है।

कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- इस कार्यक्रम में प्रारंभ में देश के एक उत्तर पूर्वी हिस्से सहित चार परीक्षण परियोजनाएं शामिल होंगी।
- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) के अंतर्गत एक सांविधिक संगठन है, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती निर्माण मशीनों के साथ प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा।

लाभ:

- गांवों और छोटे शहरों में अगरबत्ती निर्माण का पुनरूद्धार होगा
- पारंपरिक कारीगरों के लिए स्थायी रोजगार उत्पन्न होगा और मजदूरी में वृद्धि होगी
- स्वदेशी 'उत्पादन और मांग' के बीच अंतर का शमन होगा
- देश में 'अगरबत्ती' के आयात में कमी आएगी

संबंधित जानकारी

ग्रामोद्योग विकास योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के दो घटकों में से एक है, जिसका उद्देश्य सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

ग्रामोदय विकास योजना के घटक

a) **अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद नवाचार:** उन संस्थानों को आर एंड डी समर्थन प्रदान किया जाएगा जो उत्पाद विकास, नए नवाचार, डिजाइन विकास, उत्पाद विविधीकरण प्रक्रियाओं आदि को आगे ले जाने का इरादा रखते हैं।

b) **ग्राम उद्योगों के मौजूदा समर्पित कार्यक्षेत्रों की गतिविधियाँ:** इसमें कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग शामिल हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

c) **विपणन और प्रचार:** गांव के संस्थानों को उत्पाद सूची, उद्योग निर्देशिका, बाजार अनुसंधान, नई विपणन तकनीक, खरीदार विक्रेता मुलाकात, प्रदर्शनियों का आयोजन आदि की तैयारी के द्वारा बाजार का समर्थन प्रदान किया जाएगा।

d) **क्षमता निर्माण:** मानव संसाधन विकास और कौशल प्रशिक्षण घटकों के अंतर्गत, कर्मचारियों के साथ-साथ कारीगरों का विशेष क्षमता निर्माण किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

अदालत की अवमानना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अधिवक्ता-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है।

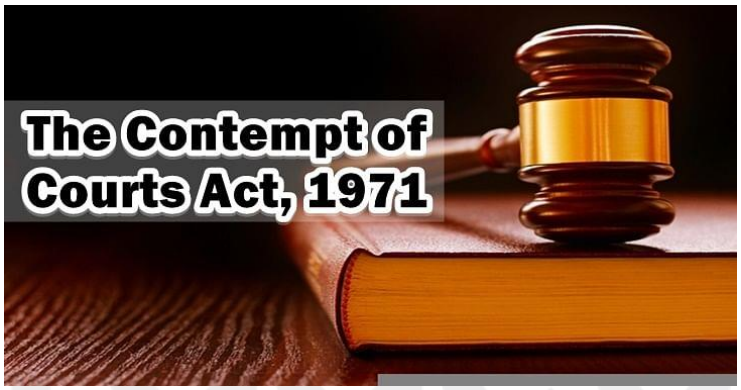

इस प्रावधान के लिए क्या तर्क है?

- अदालत की अवमानना, एक अवधारणा के रूप में है, जो न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना से बचाने की कोशिश करती है और एक कानूनी तंत्र के रूप में उनको दंडित करती है जो इसके प्राधिकरण को नीचा दिखाते हैं, यह वर्तमान में भारत में पुन: खबरों में है।

अवमानना की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई थी?

- अदालत की अवमानना की अवधारणा कई सदियों पुरानी है।
- इंग्लैंड में, यह एक सामान्य कानून सिद्धांत है जो राजा की न्यायिक शक्ति की रक्षा करने का प्रयास करता है, जो प्रारंभ में स्वयं इसके द्वारा प्रयोग की जाती थीं और बाद में इसके नाम पर काम करने वाले न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा प्रयोग की जाती थीं।
- न्यायाधीशों के आदेशों के उल्लंघन को स्वयं राजा के अपमान के रूप में माना जाता था।
- समय के साथ, न्यायाधीशों के प्रति किसी भी प्रकार की अवज्ञा या उनके निर्देशों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करना या उनके प्रति अनादर दर्शाने वाली टिप्पणियां और कार्य दंडनीय बन गए थे।

अदालत की अवमानना का वैधानिक आधार क्या है?

- ये भारत में अवमानना के स्वतंत्रता के पहले के कानून थे।
- जब संविधान को अपनाया गया था तो अदालत की अवमानना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध के रूप में लगाया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना हेतु दंडित करने की शक्ति प्रदान की है, जब कि अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को संगत शक्तियां प्रदान की है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971, इस विचार को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

अदालत की अवमानना के प्रकार क्या हैं?

अवमानना संहिता कानून इसे इस प्रकार वर्गीकृत करता है:

a) अदालत की नागरिक अवमानना
b) अदालत की आपराधिक अवमानना

अदालत की नागरिक अवमानना के संदर्भ में जानकारी

- यह तब की जाती है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा करता है या जानबूझकर अदालत को दिए गए वचन का उल्लंघन करता है।

अदालत की आपराधिक अवमानना के संदर्भ में जानकारी

इसके तीन रूप हैं:

a) शब्द, संकेत और कार्य जो किसी भी अदालत के प्राधिकरण को "बंदनाम" करते हैं या "नीचा" दिखाते हैं
b) पक्षपात या किसी भी न्यायिक कार्यवाही के साथ हस्तक्षेप करना
c) न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या बाधा डालना

अदालत की अवमानना क्या नहीं है?

- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग, अदालत की अवमानना नहीं होगी।
- किसी मामले की सुनवाई और निपटारे के बाद किसी न्यायिक आदेश की विशेषताओं पर कोई भी निष्पक्ष आलोचना नहीं करना

क्या सत्य, अवमानना के आरोप से बचाव है?

- कई सालों से, शायद ही सत्य को कभी अवमानना के आरोप के खिलाफ बचाव माना गया है।
- एक धारणा थी कि संस्थान की छवि के संरक्षण के नाम पर न्यायपालिका अपने व्यक्तिगत सदस्यों के बीच किसी भी कदाचार को छिपाने की प्रवृत्ति रखती है।
- अधिनियम को वर्ष 2006 में सत्य को एक वैध बचाव के रूप में पेश करने के लिए संशोधित किया गया था, यदि यह सार्वजनिक हित में था और इसे एक प्रामाणिक तरीके से लागू किया गया था।

सज़ा

- अदालत की अवमानना की सजा छह महीने तक की साधारण कारावास और/ या 2000 रूपए तक का जुर्माना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- राजनीति

स्रोत- द हिंदू

सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त देखभाल, सहायता का निर्देश दिया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, इस वैश्विक महामारी के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से अकेले रहने वाले या संगरोध में रहने वाले लोगों को देखभाल, सहायता और प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा है कि "सभी वृद्ध लोग जो पेंशन के लिए पात्र हैं, उन्हें नियमित रूप से पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए और इन पहचाने गए वृद्ध लोगो को संबंधित राज्यों द्वारा आवश्यक दवाएं, मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य आवश्यक उत्पाद प्रदान किए जाने चाहिए।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

संबंधित जानकारी

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं-

1. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आर.वी.वाई.)**

- यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कोष से वित्तपोषित है।
- इस निधि को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था।
- छोटे बचत खातों, पी.पी.एफ. और ई.पी.एफ. से सभी अस्वामिक धनराशियाँ इस कोष में हस्तांतरित की जाती हैं।
- आर.वी.वाई. योजना के अंतगर्त, बी.पी.एल. श्रेणी से संबंधित कम दृष्टि, श्रवण विकलांगता, दांत गिरना और लोकोमोटर विकलांगता जैसी आयु से संबंधित विकलांगताओं से पीडित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सहायक जीवित उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- सहायता और सहायक उपकरण अर्थात बेंत, कोहनी बैसाखी, वॉकर/ बैसाखी, ट्राईपॉड्स/ क्वैडपॉड्स, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम डेन्चर और चश्मा पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं।
- इस योजना को भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है

2. **वृद्ध व्यक्तियों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (आई.पी.ओ.पी.)**

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग लोगों के कल्याण हेतु एक नोडल एजेंसी है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

3. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)**

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) संचालित करता है, जो वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों और मृत्यु के मामलों में, जहां कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 200 रूपए प्रतिमाह रूपये की केंद्रीय सहायता और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500 रूपये प्रतिमाह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4. **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वी.पी.बी.वाई.)**

- यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वी.पी.बी.वाई.) पहली बार वर्ष 2003 में शुरू की गई थी और फिर पुन: वर्ष 2014 में शुरू की गई थी।
- दोनों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जो सदस्यता राशि पर गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न पर एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देने का इरादा रखती हैं।

5. प्रधानमंत्री आवास वया वंदना योजना

- वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मई, 2017 में प्रधानमंत्री वया वंदना योजना (पी.एन.वी.वी.वाई.) शुरू की गई थी।
- यह वी.पी.बी.वाई. का सरलीकृत संस्करण है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा लागू किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, 1000 रूपए की न्यूनतम पेंशन के लिए 1,50,000 रूपए की एकमुश्त प्रारंभिक राशि के भुगतान पर और 5000 रूपए की अधिकतम पेंशन के लिए 7,50,000 रूपए के एकमुश्त भुगतान पर सदस्यों को मासिक/ तिमाही/ छमाही/ वार्षिक रूप से भुगतान किए गए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गारंटीकृत रिटर्न की दर के आधार सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
- जिला स्तर तक की गतिविधियों के लिए केंद्र कुल बजट का 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत का योगदान देंगी।

6. वायुश्रेष्ठ सम्मान

- यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार है।
- यह योजना उन वरिष्ठों नागरिकों पर केंद्रित है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने प्रयासों को पहचाना हैं।
- इसे वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अपग्रेड किया गया था और तब से 13 श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

7. रिवर्स मॉर्टगेज योजना

- यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2007 में शुरू की गई थी।
- वे अपनी आवासीय संपत्ति को घर की कीमत के 60% के ऋण के लिए 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए गिरवी रख सकते हैं।

8. बुजुर्ग व्यक्तियों हेतु संवैधानिक प्रावधान

- बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भारत के संविधान में डी.पी.एस.पी. के अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 प्रदान किए गए हैं।
- हालांकि कानून के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन यह कोई भी कानून को बनाते समय राज्य के प्रति सकारात्मक दायित्व का निर्माण करते है।

9. कानूनी प्रावधान

- हिंदू विवाह एवं दत्तक अधिनियम, 1956 की धारा 20 में वृद्ध माता-पिता का अनुरक्षण करने के लिए इसे अनिवार्य प्रावधान बनाता है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, वृद्ध माता-पिता अपने बच्चों से रखरखाव का दावा कर सकते हैं।
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 बच्चों या वारिसों को अपने माता-पिता या परिवार के वरिष्ठ नागरिकों का अनुरक्षण करने के लिए इसे वैध बनाना चाहता है।

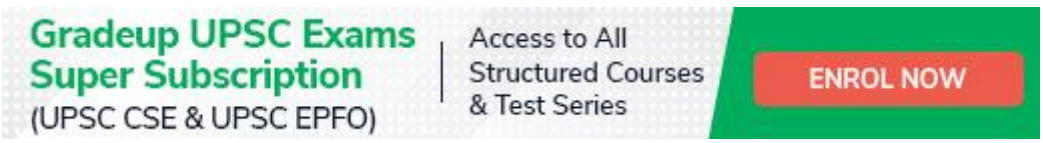

10. अंतर्राष्ट्रीय पहल

- **संयुक्त राष्ट्र में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन प्रस्तावित किया गया है।**
- वर्ष 1982 में, एजिंग पर विश्व सभा की रिपोर्ट (जिसे "अंतर्राष्ट्रीय एजिंग योजना" के रूप में भी जाना जाता है) प्रकाशित हुई थी, जिसने वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का प्रतिनिधित्व किया था और उनके कार्यान्वयन के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी।
- यू.एन.एफ.पी. को दूसरी विश्व सभा की योजना को लागू करने का काम सौंपा गया था, जिसने वर्ष 2002 में एजिंग पर "मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय योजना" को अपनाया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

सहाकार कूपट्यूब एन.सी.डी.सी. इंडिया

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का यूट्यूब चैनल, 'सहकार कूपट्यूब एन.सी.डी.सी. इंडिया' शुरू किया है।

- 18 राज्यों को कवर करने वाली विभिन्न भाषाओं में गाइडेंस वीडियो 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को बढ़ावा देने और बनाने के लिए हमारी सरकार की प्रमुख पहल को मजबूत और गहन करेंगे।
- समय की शेष अवधि में अधिक राज्यों को यूट्यूब पर सहकार कूपट्यूब एन.सी.डी.सी. इंडिया चैनल पर मार्गदर्शन वीडियो के संग्रह में जोड़ा जाएगा।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) 13 मार्च, 1963 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निगम है।
- एन.सी.डी.सी. के उद्देश्य कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और बढ़ावा देना हैं और अन्य अधिसूचित निश्चित उपयोगिता की वस्तुओं और सहकारी सिद्धांतों और अन्य संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देना है।
- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक शीर्ष स्तर की वैधानिक संस्था है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नॉलेज पैक

- केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए.आर.एच.सी.) नॉलेज पैक जारी किया है।
- इसमें देश में शहरी प्रवासियों को ईज ऑफ लिविंग प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

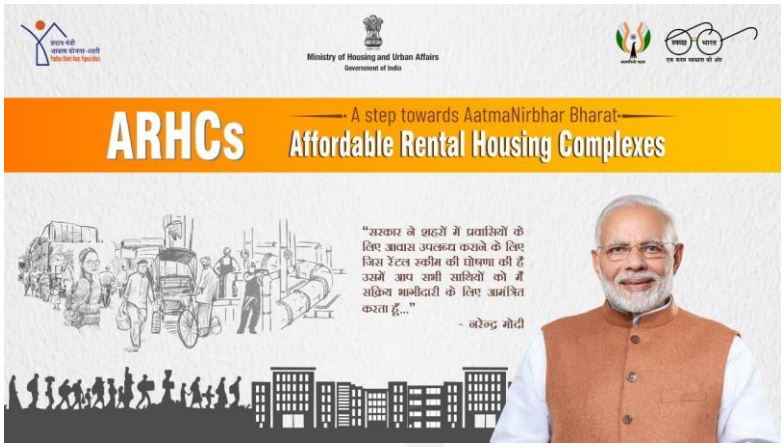

संबंधित जानकारी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए.आर.एच.सी.) नॉलेज पैक को मंजूरी प्रदान की थी। ए.आर.एच.सी., प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए इस महीने की शुरूआत में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एक उप योजना है।
- किफायती हाउसिंग कॉम्पलेक्स योजना को देश में दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा।

A. पहले मॉडल के अंतर्गत मौजूदा सरकार, खाली मकानों को वित्त पोषित करके 25 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से ए.आर.एच.सी. में बदल देंगी।

B. दूसरे मॉडल के अंतर्गत ए.आर.एच.सी. का निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा 25 वर्षों की अवधि के लिए अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर किया जाएगा।

- इस योजना से न केवल शहरी प्रवासियों और गरीबों को लाभ होगा बल्कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेंटल हाउसिंग बाजार में उद्यमिता और निवेश में तेजी आएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21

खबरों में क्यों है?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 'विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21' का शुभारंभ किया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

विद्यार्थी विज्ञान मंथन (वी.वी.एम.) के संदर्भ में जानकारी

- यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान, एन.सी.ई.आर.टी. के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, यह विज्ञान प्रसार के सहयोग से विज्ञान भारती की एक पहल है।
- यह कक्षा 6 से 11 के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- इसे छात्र समुदाय के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तेज दिमाग वाले बच्चों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा को पहचानने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफार्म भी प्रदान करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टी.ओ.पी.एस.)

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार ने देश के होनहार जूनियर एथलीटों के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टी.ओ.पी.एस.) की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य इन युवा प्रतिभाओं को वर्ष 2024 और 2028 के ओलंपिक में पदक जीतने के लिए तैयार करना है।

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के 'मिशन ओलंपिक सेल' (एम.ओ.सी.) ने टी.ओ.पी.एस. जूनियर के लिए 12 खेल विषयों में 258 एथलीटों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें लॉकडाउन से पहले चुने गए 85 शामिल हैं, जो 'विकासशील समूह' का हिस्सा होंगे।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- चयनित एथलीटों को 25,000 रूपये का मासिक 'आउट ऑफ पॉकेट' भत्ता मिलेगा।
- 12 विषयों में से, 70 एथलीटों को निशानेबाजी में, 16 को एथलेटिक्स में, 34 को तीरंदाजी में, 27 को बैडमिंटन में, 4 को साइक्लिंग में, 7 को टेबल टेनिस में, 14 को तैराकी में, 11 को जूडो में, 36 को मुक्केबाजी में, 16 को भारोत्तोलन में, 5 को रोइंग मे और 18 को कुश्ती में शॉटलिस्ट किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

हिंदू महिलाओं के विरासत के अधिकार

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी और पुरुष उत्तराधिकारियों के बराबर शर्तों पर विरासत पैतृक संपत्ति के लिए हिंदू महिलाओं के अधिकारों का विस्तार किया है।

आदेश क्या है?

- न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया है कि पैतृक संपत्ति के लिए एक संयुक्त उत्तराधिकारी होने के लिए एक हिंदू महिला का अधिकार जन्म से है और यह निर्भर नहीं करता है कि वर्ष 2005 में कानून लागू होने के समय उसके पिता जीवित थे या नहीं जीवित थे।
- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने हिंदू महिलाओं को एक पुरूष उत्तराधिकारी के समान उत्तराधिकारी या संयुक्त कानूनी वारिस होने का अधिकार प्रदान किया है।
- चूंकि समान उत्तराधिकार जन्म से है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता का हमवारिस 9.9.2005 तक जीवित रहना चाहिए।

2005 का कानून क्या है?

- हिंदू कानून के मितक्षरा स्कूल को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है और उत्तराधिकार और संपत्ति की विरासत को शासित करता है लेकिन केवल कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पुरूषों को मान्यता प्रदान की गई है।
- यह कानून उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी को भी इस कानून के उद्देश्यों के लिए हिंदू माना जाता है।
- एक हिंदू अविभाजित परिवार में, पीढ़ियों के माध्यम से कई कानूनी वारिस संयुक्त रूप से मौजूद हो सकते हैं।
- परंपरागत रूप से, अपनी माता, पत्नी और अविवाहित बेटियों के साथ एक सामान्य पूर्वज के केवल पुरूष वंशज को एक संयुक्त हिंदू परिवार माना जाता है।
- कानूनी वारिस, संयुक्त रूप से परिवार की संपत्ति रखते हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- महिलाओं को 2005 से उत्पन्न होने वाले विभाजन के लिए समान उत्तराधिकारी या संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।
- अधिनियम की धारा 6 में उस वर्ष "पुत्र के समान अपने अधिकार" में एक समान उत्तराधिकारी की पुत्री को जन्म से हमवारिस बनाने के लिए संशोधन किया गया था।
- कानून ने बेटी को "सहभागी संपत्ति में वैसे ही समान अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किए है जैसे कि उसे बेटे होने पर प्राप्त होते"।
- यह कानून पैतृक संपत्ति पर लागू होता है और व्यक्तिगत संपत्ति में निर्वसीयत उत्तराधिकार- जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार होता है न कि एक वसीयत के माध्यम से होता है, को लागू करता है।

विधि आयोग की सिफारिश

- 174वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी हिंदू उत्तराधिकार कानून में इस सुधार की सिफारिश की थी।
- वर्ष 2005 के संशोधन से पहले ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु ने कानून में यह बदलाव किया था और केरल ने 1975 में हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महिला सशक्तीकरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 (एस.ई.पी. 2.0)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.), नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीस के साथ मिलकर अटल टिंकरिंग लैब्स (ए.टी.एल.) के युवा नवोन्मेषकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 (एस.ई.पी. 2.0) लॉन्च किया है।

छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 2.0 के संदर्भ में जानकारी

- एस.ई.पी. 2.0, छात्र नवोन्मेषकों को डेल स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देगा।

उन्हें इसके साथ प्रदान किया जाएगा:

A. प्रशिक्षक का समर्थन
B. प्रतिकृति और परीक्षण समर्थन
C. अंत उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया
D. बौद्धिक संपदा पंजीकरण और विचारों का पेटेंट
E. प्रक्रियाएं और उत्पाद
F. विनिर्माण समर्थन के साथ-साथ बाजार में उत्पाद का लॉन्च समर्थन

संबंधित जानकारी

छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 1.0

- यह जनवरी, 2019 में शुरू हुआ था।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- 10 महीने लंबे कठोर कार्यक्रम के माध्यम से, ए.टी.एल. मैराथन की शीर्ष 6 टीमें- एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है, जहां छात्र सामुदायिक चुनौतियों की पहचान करते हैं और अपने ए.टी.एल. के भीतर जमीनी स्तर पर नवाचार और समाधान निकालते हैं।
- उन्हें अपने अभिनव प्रोटोटाइप को पूर्णतया उत्पादों में बदलने का अवसर मिला है, जो अब बाजार में उपलब्ध हैं।

संबंधित जानकारी

अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.) के संदर्भ में जानकारी

- यह वर्ष 2016 में ऐसे संस्थानों और कार्यक्रमों का निर्माण करके नवाचार और उद्यमिता की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है जो स्कूलों और कॉलेजों में नवाचारों को और सामान्य रूप से उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।

अटल टिंकरिंग लैब्स (ए.टी.एल.)

- इन्हें अटल नवाचार मिशन (ए.आई.एम.) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवा दिमागों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना और डिजाइन मानसिकता, गणनात्मक सोच, अनुकूलतम शिक्षा, शारीरिक गणना जैसे कौशल विकसित करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम, 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने "वास्तुकला शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक, 2020" लॉन्च किए हैं।
- ये विनियमन वास्तुकला परिषद (सी.ओ.ए.) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं।

नया विनियमन

- नए विनियमों के अनुसार, वास्तुकला पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 5 शैक्षणिक वर्ष या प्रत्येक 15 से 18 कार्यकारी सप्ताह (90 कार्यदिवस) के 10 सेमेस्टर होनी चाहिए।

मानदंड

- पाठ्यक्रम के लिए एक उम्मीदवार को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में कम से कम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- उम्मीदवार के 10+2 स्तर की परीक्षा के कुल अंकों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए या गणित के साथ अनिवार्य विषय के रूप में 10+3 डिप्लोमा की परीक्षा कुल अंको के 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को परिषद द्वारा वास्तुकला में आयोजित एक योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

वास्तुकला परिषद (सी.ओ.ए.) के संदर्भ में जानकारी:

- वास्तुकला परिषद (सी.ओ.ए.), भारत सरकार द्वारा वास्तुकार अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- अधिनियम में वास्तुकार के पंजीकरण, शिक्षा के मानकों, मान्यता प्राप्त योग्यता और अभ्यास के मानकों का अनुपालन प्रैक्टिसिंग वास्तुकार द्वारा किया जाना चाहिए।
- वास्तुकला परिषद को वास्तुकार के रजिस्टर को बनाए रखने के अतिरिक्त पूरे भारत में व्यवसाय की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

स्वच्छ भारत मिशन अकादमी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय जल मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है।
- यह वर्तमान में चल रहे सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान 'गंदगी मुक्त भारत' का एक हिस्सा है।

स्वच्छ भारत मिशन अकादमी के संदर्भ में जानकारी

- यह फोन-आधारित अकादमियां हैं, जो उच्च गुणवत्ता और मानकीकृत सामग्री के साथ नि:शुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेंगी।
- यह खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) प्लस कार्यक्रम पर मॉड्यूल के साथ एक इंटेरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (आई.वी.आर.) आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और इसमें 60 मिनट का एक मॉड्यूल शामिल है जिसमें ओ.डी.एफ. के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक प्रसारित हैं।
- अब तक स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की सामग्री हिंदी में है।

महत्व

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- इससे स्वच्छग्राहियों के साथ-साथ पी.आर.आई. सदस्यों, समुदाय-आधारित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, एस.एच.जी. और अन्य लोग, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण 2 से जुड़े हुए हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
- यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-2 में रेखांकित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।
- यह लाभार्थियों के साथ बातचीत की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज्ञान और पारस्परिक संचार कौशल को भी बेहतर बनाता है।

संबंधित जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना और गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) और स्वच्छ बनाना है।
- यह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण

- यह मिशन 2020 में शुरू किए गए एस.बी.एम.जी. अर्थात ओ.डी.एफ.-प्लस के अगले चरण 2 की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खुले में शौच मुक्त व्यवहार स्थायी बना रहे, कोई भी पीछे न छूटे और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) सुविधाएं सुलभ हों।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन (एन.आई.आई.ओ.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन (एन.आई.आई.ओ.) का शुभारंभ किया है।

नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन के संदर्भ में जानकारी

- यह त्रिस्तरीय संगठन है।
- नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद (एन.-टी.ए.सी.), नवाचार और स्वदेशीकरण के जुड़वां पहलुओं को एक साथ लाएगा और सर्वोच्च स्तर के निर्देश प्रदान करेगा।
- एन.-टी.ए.सी. के अंतर्गत एक कार्यकारी समूह परियोजनाओं को लागू करेगा।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- त्वरित समय सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल (टी.डी.ए.सी.) का भी गठन किया गया है।
- एन.आई.आई.ओ. ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण पर जोर देने की दिशा में शिक्षा और उद्योग के साथ परस्पर संपर्क स्थापित करने हेतु अंतिम उपयोगकर्ता के लिए समर्पित संरचनाओं को स्थापित किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड "आदिवासियों को सशक्त बनाना, भारत को बदलना"

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटी.ए.) द्वारा ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड "आदिवासियों को सशक्त बनाना, भारत को बदलना" विकसित किया है।

ऑनलाइन प्रदर्शन डैशबोर्ड के संदर्भ में जानकारी

- इस डैशबोर्ड को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) के अंतर्गत डेटा विश्लेष्किी के उत्कृष्टता केंद्र (सी.ई.डी.ए.) संगठन द्वारा डोमेन नाम (http://dashboard.tribal.gov.in) के साथ विकसित किया गया है।
- यह एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो एस.डी.जी. को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की 11 योजनाओं/ पहलों के अपडेटेड और वास्तविक समय के विवरणों को प्रदर्शित करता है।
- डैशबोर्ड, मंत्रालय की 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रदर्शन को कैप्चर करता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 30 लाख वंचित अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 2500 करोड़ का लाभ मिलता है।
- यह डैशबोर्ड, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) योजना के अंतर्गत कार्यात्मक स्कूलों के विवरण, निर्माणाधीन स्कूलों और विभिन्न ई.एम.आर.एस. स्कूलों में छात्रों के जिलेवार विवरण को प्रदर्शित करता है।
- यह डैशबोर्ड जिलेवार एन.जी.ओ. विवरण, एन.जी.ओ. को प्रदान की गई निधि और लाभार्थियों के विवरण का मानचित्रण करता है।
- सभी योजनाओं और पहलों के लिए, प्रत्येक योजना के सापेक्ष जिला स्तर तक की जानकारी संकलित की गई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

एक आई.ए.एस. अधिकारी के इस्तीफे के नियम

खबरों में क्यों है?

- आई.ए.एस. से इस्तीफा देने के डेढ़ साल बाद शाह फैजल ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (JKPM) पार्टी के अध्यक्ष पद को भी छोड़ दिया है और पूर्ण रूप से राजनीति छोड़ दी है।
- उनका इस्तीफा कभी भी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है कि आई.ए.एस. में पुन: नियुक्त होने के लिए "उनके लिए दरवाजा खुला है"।

संबंधित जानकारी

- तीन अखिल भारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा) में से किसी भी सेवा के अधिकारी की नौकरी से इस्तीफा अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 5(1) और 5(1)(a) द्वारा शासित हैं।
- अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए भी समान नियम हैं।

इन्हें किस अधिकारी को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए?

राज्य में सेवारत अधिकारी

- कैडर (राज्य) में सेवारत एक अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेवारत अधिकारी

- एक अधिकारी, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, उसके लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपना आवश्यक है।
- मंत्रालय/ विभाग अपनी टिप्पणी/ सिफारिशों के साथ संबंधित राज्य कैडर को अधिकारी का इस्तीफा भेजता है।

इस्तीफा सौंपने के बाद क्या प्रक्रिया है?

- इस्तीफे से निपटने के दौरान राज्य, अधिकारी के खिलाफ बकाया और अधिकारी की सतर्कता स्थिति की जांच करता है।

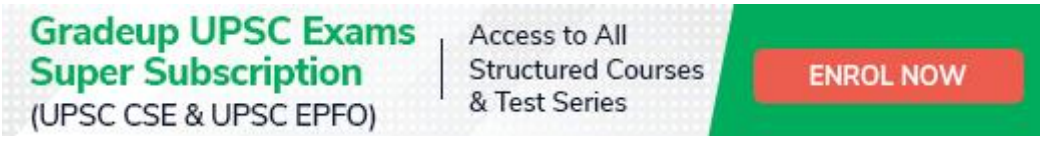

- केंद्र सरकार को इस्तीफा देने से पहले संबंधित राज्य को इन दोनों मुद्दों पर अपनी सिफारिश के साथ सूचना भेजनी चाहिए।
- अधिकारी के इस्तीफे पर संबंधित कैडर की सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही सक्षम प्राधिकरण अर्थात केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकरण हैं

A. आई.ए.एस. के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में राज्य मंत्री
B. आई.पी.एस. के संबंध में गृह मामलों के मंत्री
C. वन सेवा के संबंध में पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री

किन परिस्थितियों में इस्तीफा स्वीकार किया जाता है?

- दिशानिर्देश कहते हैं कि किसी अनिच्छुक अधिकारी को बनाए रखना सरकार के हित में नहीं है।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, सेवा से किसी सदस्य का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है:

A. जहां एक अधिकारी निलंबन के अधीन होता है और वह अपना इस्तीफा सौंपता है तो सक्षम प्राधिकरण को सेवा के सदस्य के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक मामले की योग्यता के संदर्भ में जांच करनी चाहिए कि क्या यह इस्तीफा स्वीकार करने के लिए सार्वजनिक हित में होगा या नहीं होगा।
B. ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इस्तीफे खारिज कर दिए गए हैं क्यों कि अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले लंबित थे।
C. ऐसे मामलों में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहमति भी प्राप्त की जाती है।
D. यह भी देखा जाता है कि क्या अधिकारी ने दिए गए विशेष प्रशिक्षण, फेलोशिप या पढ़ाई के लिए दी गई छात्रवृत्ति के कारण निर्दिष्ट वर्षों के लिए सरकार की सेवा करने के लिए किसी भी बांड को निष्पादित किया था।

क्या इस्तीफा वापस लिया जा सकता है?

- इस नियम को 2013 में संशोधित किया गया था जिससे कि इस्तीफे की स्वीकृति के 90 दिनों के भीतर इस्तीफा वापस लिया जा सके। नियम 5 (1a) (i) कहता है कि केंद्र सरकार, किसी अधिकारी को "जनहित में" अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकती है।

स्वीकृति से पहले इस्तीफा वापस लेने के संदर्भ में जानकारी?

- दिशानिर्देश कहते हैं कि यदि किसी अधिकारी ने अपना इस्तीफा सौंपा है, तो यदि वह सक्षम प्राधिकारण द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति से पहले इसे वापस लेने के लिए लिखित में एक सूचना भेजता है तो इस्तीफे को स्वचालित रूप से वापस ले लिया गया माना जाएगा।

नोट:

- पिछले महीने, पंजाब सरकार के एक प्रमुख सचिव ने अपना इस्तीफा सौंप था, लेकिन इसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खारिज कर दिया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

नीति आयोग ने छात्रों के लिए 'ए.टी.एल. ए.आई. स्टेप अप मॉड्यूल' लॉन्च किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 'ए.टी.एल. ए.आई. मॉड्यूल', अटल नवाचार मिशन, नैसकॉम के सहयोग से नीति आयोग के माध्यम से स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) लाने की एक अनूठी पहल को सफलतापूर्वक लांच करने के बाद छात्रों के लिए 'ए.टी.एल. ए.आई. स्टेप अप मॉड्यूल' लॉन्च किया गया है।

'ए.टी.एल. ए.आई. स्टेप अप मॉड्यूल' के संदर्भ में जानकारी

- इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) शिक्षा और नवाचार को देश भर के स्कूलों में अगले स्तर तक संचालित करना है।
- यह मॉड्यूल ए.आई. को भारतीय कक्षाओं में लाने के लिए अगला कदम है और यह फरवरी, 2020 में लॉन्च किए गए ए.आई. आधारभूत मॉड्यूल का उत्तराधिकारी है।
- इस नए लॉन्च के साथ परियोजनाओं और गतिविधियों के हस्तांतरण के माध्यम से स्टेप-अप मॉड्यूल, ए.आई. की गहन समझ को प्रोत्साहित करता है, जिसे वास्तविक दुनिया में लागू किया जा सकता है।
- स्टेप-अप मॉड्यूल को पिछले ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है और छात्रों का ध्यान एकाग्रचित रखने के लिए इंटरैक्टिव उपकरण और गतिविधियों का उपयोग करते हुए छात्रों को अवधारणाओं का परिचय देता है।
- यह मॉड्यूल, ए.आई. को भारतीय कक्षाओं में लाने के लिए अगला कदम है और इस वर्ष फरवरी में लॉन्च किए गए ए.आई. आधारभूत मॉड्यूल का उत्तराधिकारी है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के संदर्भ में जानकारी

- यह 1988 में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का एक व्यापारिक संघ है।
- नैसकॉम की सदस्यता में विदेशी कंपनियों के भारतीय शाखा कार्यालय भी शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एन.आई.एस.डी.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एन.आई.एस.डी.) द्वारका, नई दिल्ली के नए भवन का उद्घाटन किया है।

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- यह सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, जो नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण, भिखारी रोकथाम और अन्य सामाजिक रक्षा मुद्दों के लिए मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है।

- यह दवा मांग न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान भी करता है।
- एन.आई.एस.डी., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है।
- एन.आई.एस.डी. के तीन मुख्य प्रभाग हैं, जिनके नाम:

A. नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय केंद्र (एन.सी.डी.ए.पी.)
B. वृद्धावस्था देखभाल प्रभाग
C. सामाजिक रक्षा

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की स्थापना मूलतः 1961 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सुधार सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो के रूप में की गई थी।
- वर्ष 1975 से यह संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय था।
- यह 2002 की भारत सरकार की स्वायत्तशासी निकाय अधिसूचना बन गई है और यह एन.सी.टी. की सरकार, दिल्ली के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

स्वास्थ्य पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक ई-पोर्टल लॉन्च किया है।

स्वास्थ पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पिरामल स्वास्थ, उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से विकसित किया है।
- यह भारत की आदिवासी आबादी की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी के लिए इस प्रकार का पहला व्यापक प्लेटफार्म है।
- इसमें एक डैशबोर्ड, ज्ञान भंडार, साझेदार खंड, सिकेल कोशिका बीमारी (एस.सी.डी.) सपोर्ट कॉर्नर है।
- यह सिकेल कोशिका रोग या लक्षण वाले लोगों को खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संबंधित जानकारी

सिकेल कोशिका रोगों के संदर्भ में जानकारी

- यह रक्त की एक जन्मजात बीमारी है, जो अफ्रीकी, अरब और भारतीय मूल के लोगों में सबसे सामान्य है।
- यह विकारों का एक समूह है, जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में अणु होते हैं, जो पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं।
- इस बीमारी वाले लोगों में हीमोग्लोबिन S नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकेल या अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकते हैं।
- यह रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचने से रोकता है।

लक्षण

- यह गंभीर दर्द पैदा कर सकता है, जिसे सिकेल कोशिका संकट कहा जाता है। संक्रमण और थकान इसके अन्य लक्षण हैं।

इलाज

- दवा, रक्त संक्रामण और दुर्लभ परिस्थितियों में अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण

संबंधित जानकारी

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारत में आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर त्रैमासिक ई-समाचार पत्र 'आलेख' भी जारी किया है।

नोट:

- विश्व सिकेल कोशिका दिवस 2020 को प्रत्येक वर्ष 19 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर, 2008 को सिकेल कोशिका रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव अपनाया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- पी.आई.बी.

फिट इंडिया यूथ क्लब पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने फिट इंडिया यूथ क्लब की एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है।

फिट इंडिया यूथ क्लब के संदर्भ में जानकारी

- यह फिट इंडिया आंदोलन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य फिटनेस के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की शक्ति का दोहन करना है।
- इस पहल के अंतर्गत, नेहरू युवा केंद्र संगठन और अन्य युवा संगठनों के स्वयंसेवक देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकरण करने के लिए एक साथ आगे आएंगे।
- क्लब का प्रत्येक सदस्य तब समुदाय के लोगों और स्कूलों में फिटनेस गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा।

संबंधित जानकारी

फिट इंडिया आंदोलन के संदर्भ में जानकारी

- इसे युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था।
- यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे कि लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

नोट:

- प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने सभी सीमा और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख विस्तार योजना के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- योजना के प्रस्तावों की घोषणा 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी।

विस्तार योजना:

- विस्तार योजना के हिस्से के रूप में, सीमा और तटीय क्षेत्रों में कैडेटों को एन.सी.सी. प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 83 एन.सी.सी. इकाइयों (थलसेना 53, नौसेना 20, वायु सेना 10) को अपग्रेड किया जाएगा।
- एन.सी.सी. में 173 सीमा और तटीय जिलों से कुल एक लाख कैडेट शामिल किए जाएंगे। एक तिहाई कैडेट, महिला कैडेट होंगी।
- सीमा और तटीय जिलों में 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है, जहां एन.सी.सी. की शुरूआत की जाएगी।
- सेना, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित एन.सी.सी. इकाइयों को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी, नौसेना, तटीय क्षेत्रों में स्थित एन.सी.सी. इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी और समान प्रकार से, वायु सेना स्टेशनों के निकट स्थित एन.सी.सी. इकाइयों को वायु सेना सहायता प्रदान करेगी।
- विस्तार योजना को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय कैडेट कोर के संदर्भ में जानकारी

- यह 1948 में गठित किया गया था, जो स्वैच्छिक आधार पर हाईस्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करेगा और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा।
- यह तीन सितारा सैन्य रैंक के महानिदेशक के नेतृत्व में संचालित है।
- यह रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) के क्षेत्र में आता है और विभिन्न पदानुक्रमिक पदों पर सशस्त्र बलों के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

यू.के. ने भारत में नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है।

खबरों में क्यों है?

- यू.के. सरकार ने कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शिक्षा और उद्योग में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए भारत में £3 मिलियन का नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है।

नवाचार चुनौती कोष के संदर्भ में जानकारी

- इस कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी सबसे तीव्र वैश्विक चुनौतियों और पर्यावरण के लिए खतरों से निपटने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग में वैज्ञानिकों का समर्थन करना है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य नवाचार और प्रौद्योगिकी को उत्प्रेरित करना है, जो वैश्विक चुनौतियों का संबोधित करेंगी।
- यह कोष यू.के.-इंडिया टेक साझेदारी पर निर्माण करने में मदद करेगा, जो वर्ष 2018 में भारतीय और ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू की गई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

धनवंतरी रथ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ए.आई.आई.ए.) और दिल्ली पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- ये सेवाएं 'धनवंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर नाम की एक मोबाइल इकाई के माध्यम से प्रदान की जानी हैं और आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित ए.आई.आई.ए. द्वारा इन्हें संचालित किया जाना है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

धनवंतरी रथ के संदर्भ में जानकारी

- ये आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मोबाइल इकाई हैं, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल होगी, जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेंगी।
- इन आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से विभिन्न बीमारियों की घटनाओं/ प्रसार के कम होने और अस्पतालों में रेफरल की संख्या को कम होने की उम्मीद है, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली के साथ-साथ रोगी के लिए लागत कम की जा सके।

संबंधित जानकारी

आयुरक्षा के संदर्भ में जानकारी

- यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य आयुर्वैदिक प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस कार्मिकों जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को विनियमित करना है।

नोट:

- धनवंतरी रथ और पुलिस वेलनेस सेंटर, ए.आई.आई.ए. की ओ.पी.डी. सेवाओं से आगे निकल जाएंगे और इसका उद्देश्य आयुर्वेद निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से दिल्ली पुलिस के परिवारों को लाभान्वित करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

पी.एम. केयर्स फंड

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट" के रूप में पी.एम. केयर्स फंड का समर्थन किया है, जिसमें दानदाता स्वेच्छा से योगदान करते हैं।

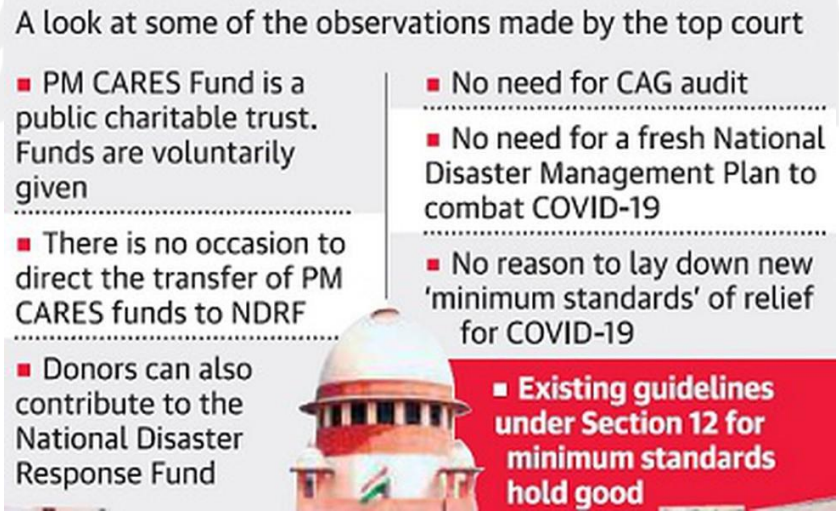

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों की मुख्य विशेषताएं

- अदालत ने इस विचार को खारिज कर दिया है कि पी.एम. केयर्स का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन.डी.आर.एफ.)- यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पहले से ही अस्तित्व में वैधानिक निधि है, जो एक आपदा के खिलाफ लड़ाई को वित्त देने के लिए योगदान प्राप्त करने हेतु है, को "दरकिनार" करने के लिए किया गया था।
- अदालत ने पी.एम. केयर्स फंड से एन.डी.आर.एफ. को निधि हस्तांतरित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- यह कहा गया कि वे दो अलग-अलग संस्थाएँ है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पी.एम. केयर्स फंड का "*सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट*" के रूप में समर्थन किया है, जिसमें दानदाता स्वेच्छा से योगदान करते हैं।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के लिए बजटीय सहायता या सरकारी धन से स्वतंत्र एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट का ऑडिट करने का 'कोई अवसर' नहीं है।
- यह पी.आई.एल. याचिकाकर्ता के लिए "प्रज्ञता" पर सवाल उठाने के लिए "खुला नहीं है", जिसने आवश्यक्ता के समय पर निधि का निर्माण किया था।
- समय की इस आवश्यक्ता के लिए सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के गठन के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है, जिसका नाम पी.एम. केयर्स फंड है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एन.आर.ए.) के गठन के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है, जिससे केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एन.आर.ए.) के संदर्भ में जानकारी

- यह एक बहु-एजेंसी निकाय है, जो ग्रुप B और C (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने/ छंटनी करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी.ई.टी.) आयोजित करेगा।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- एन.आर.ए. में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/ वित्तीय सेवा विभाग, एस.एस.सी., आर.आर.बी. और आई.बी.पी.एस. के प्रतिनिधि होंगे।
- यह परिकल्पना की गई है कि एन.आर.ए., एक विशिष्ट निकाय होगा, जो केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगी।
- यह टेस्ट तीन स्तरों के लिए आयोजित किया जाएगा:

A. स्नातक
B. उच्चतर माध्यमिक (12वीं पास)
C. मैट्रिक पास (10वीं पास) उम्मीदवार

- हालांकि, वर्तमान भर्ती एजेंसियां- आई.बी.पी.एस., आर.आर.बी. और एस.सी.सी. यथावत बनी रहेंगी।
- भर्ती, सी.ई.टी. स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग पर आधारित होगी, भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा के पृथक विशिष्ट स्तरों (II, III आदि) के माध्यम से किया जाएगा, जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- सी.ई.टी. के लिए पाठ्यक्रम एकसमान होगा।

सी.ई.टी. स्कोर कब तक मान्य होगा?

- किसी उम्मीदवार का सी.ई.टी. स्कोर परिणाम की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।
- वैध स्कोर के सर्वश्रेष्ठ को उम्मीदवार का वर्तमान स्कोर माना जाएगा।
- जब कि सी.ई.टी. में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यह अधिकतम आयु सीमा के अधीन होगा।
- हालांकि, एस.सी./ एस.टी./ ओ.बी.सी. और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

सी.ई.टी. का माध्यम क्या होगा?

- सी.ई.टी. कई भाषाओं में आयोजित किया जाएगा।
- परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

स्थायी निवास-आधारित नौकरी कोटा

खबरों में क्यों है?

- मध्य प्रदेश सरकार के "राज्य के बच्चों" के लिए सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के हालिया निर्णय ने समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न उठाया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

संविधान क्या कहता है?

- संविधान का अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में कानून के अंतर्गत समान उपचार की गारंटी प्रदान
- करता है, जो राज्य को जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है।
- अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि "कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय या रोजगार या इसके सापेक्ष भेदभाव के खिलाफ या अयोग्य नहीं होगा"।
- यह प्रावधान संविधान में अन्य धाराओं द्वारा पूरक है, जो समानता की गारंटी देती हैं।
- हालाँकि, संविधान का अनुच्छेद 16(3) यह कहकर एक अपवाद प्रदान करता है कि संसद किसी विशेष राज्य में नौकरियों के लिए निवास की आवश्यक्ता को "निर्धारित" करने के लिए एक कानून बना सकती है।
- यह शक्ति केवल संसद में निहित है, न कि राज्य विधानसभाओं में निहित है।

संविधान, निवास स्थान के आधार पर आरक्षण पर प्रतिबंध क्यों लगाता है?

- जब संविधान लागू किया गया था तो भारत ने स्वयं को व्यक्तिगत रियासतों की भौगोलिक इकाई से एक राष्ट्र में परिवर्तित कर लिया था और भारतीय नागरिकता की सार्वभौमिकता के विचार ने जड़ें जमा लीं थी।
- जैसा कि भारत में एकसमान नागरिकता है, जो नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, किसी भी राज्य में सार्वजनिक रोजगार देने के लिए जन्म स्थान या निवास स्थान की अनिवार्यता नहीं हो सकती है।

स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया है।
- वर्ष 1984 में, डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ केस में "मिट्टी के बेटों" के लिए कानून के मुद्दे पर चर्चा की गई थी।
- न्यायालय ने एक राय व्यक्त की थी कि इस प्रकार की नीतियां असंवैधानिक होंगी, लेकिन इस पर स्पष्ट रूप से फैसला नहीं किया था क्यों कि केस समानता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं पर आधारित था।
- अनुच्छेद 16(2) के बावजूद, "कुछ राज्य "मिट्टी के बेटों" की नीतियों को अपना रहे हैं, जो रोजगार या नियुक्ति के लिए अधिवास या निवास की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण या वरीयता निर्धारित करती हैं।
- सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1995) केस में बाद के एक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की नीति को रद्द करने में प्रदीप जैन के पर्यवेक्षण की पुष्टि की थी, जिसमें तेलुगु भाषा में अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को 5% अतिरिक्त वेटेज दिया गया था।
- वर्ष 2002 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया था, जिसमें राज्य चयन बोर्ड ने "जिले या संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों" को वरीयता प्रदान की थी।
- वर्ष 2019 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यू.पी.-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई एक भर्ती अधिसूचना को खारिज कर दिया था, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश की "मूल निवासी" महिलाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई थी।

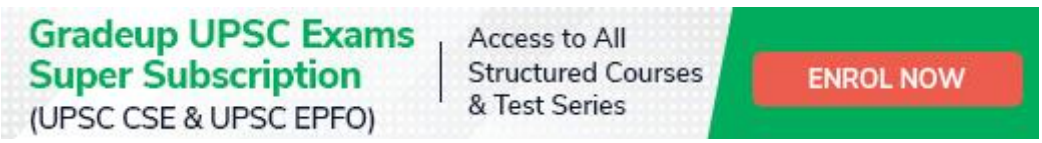

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- राजनीति
स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.एस.) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस वर्ष 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी छूटने को प्रबंधित करने के लिए बेरोजगारी लाभ के रूप में तीन महीने की औसत मजदूरी के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के मानदंडों में छूट प्रदान की है।
- ई.एस.आई.सी. ने अपनी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड में छूट और बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के संदर्भ में जानकारी

- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक कल्याणकारी उपाय है।
- यह बीमित व्यक्तियों को नकद मुआवजा प्रदान करता है, जब वे बेरोजगार होते हैं।
- यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी।

योजना के अंतर्गत लाभ

- यह योजना पिछली चार योगदान अवधि (चार योगदान अवधि/ 730 के दौरान कुल कमाई) के दौरान प्रतिदिन की औसत कमाई के 25% की सीमा तक छूट प्रदान करती है, जो बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी का भुगतान करती है।

भत्ते की अवधि

- अधिकतम अवधि, जिसके लिए एक बीमित व्यक्ति, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जीवनकाल में 90 दिनों में एक बार कम से कम दो वर्ष के बीमा योग्य रोजगार के बाद और अंशदायी शर्तों के अधीन होगा।
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत राहत का दावा, उसकी/ उसकी तीन महीने की बेरोजगारी के बाद देय होगा।
- बेरोजगारी के स्पष्ट महीने के लिए राहत का भुगतान किया जाएगा। किसी भी संभावित दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- यदि लाभार्थी को बेरोजगारी के तीन महीनों के बीच लाभकारी रोजगार मिलता है, जिसके लिए वह ए.बी.वी.के.वाई. के अंतर्गत राहत हेतु पात्र था, तो बेरोजगारी की तारीख और पुन: रोजगार की तारीख के बीच बेरोजगारी के स्पष्ट महीने के लिए राहत देय होगी।

पात्रता

- कर्मचारी, ई.एस.आई. अधिनियम 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत शामिल हैं।
- बीमित व्यक्ति (आई.पी.) को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए था।
- बीमित व्यक्ति को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार योगदान अवधियों में से प्रत्येक के दौरान 78 दिनों से कम का योगदान नहीं देना चाहिए था।
- उसके संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय होना चाहिए था।
- बेरोजगारी की आकस्मिकता, दुराचार या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी सजा के परिणामस्वरूप नहीं होनी चाहिए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- लाइव मिंट

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है।
- इस वर्ष 28 दिन पहले 4,000 से अधिक शहरों में स्वच्छता का सर्वेक्षण किया गया था।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है।

1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार

- इंदौर (मध्य प्रदेश)
- सूरत (गुजरात)
- नवी मुंबई (महाराष्ट्र)

1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार

- कराड (महाराष्ट्र)

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- सासवाद (महाराष्ट्र)
- लोनावला (महाराष्ट्र)

100 से अधिक शहरों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य- छत्तीसगढ़

100 से कम शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य- झारखंड

सबसे स्वच्छ गंगा शहर- वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

40 लाख से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे स्वच्छ मेगासिटी- अहमदाबाद (गुजरात)

सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली सबसे स्वच्छ राजधानी- लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

सबसे तेज़ गति से प्रगति करने वाली स्व-स्थायी स्वच्छ राजधानी- भोपाल (मध्य प्रदेश)

सबसे स्वच्छ गंगा शहर-

- कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
- चुनार (उत्तर प्रदेश)

100 से अधिक शहरों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य- महाराष्ट्र

100 से कम शहरों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य- मध्य प्रदेश

संबंधित जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में जानकारी

- स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) या स्वच्छ भारत अभियान (एस.बी.ए.) या स्वच्छ भारत मिशन, भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) में सुधार करने के लिए 2014 से 2019 तक एक देशव्यापी अभियान था।

उद्देश्य

- स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख उद्देश्य, स्वच्छता और इसके महत्व के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है।
- मिशन के अन्य उद्देश्यों में निम्न शामिल हैं:
- मैन्युअल रूप से सफाई कार्यों का उन्मूलन
- जागरूकता उत्पन्न करना और स्वच्छता प्रथाओं के संदर्भ में व्यवहार परिवर्तन लाना
- स्थानीय स्तर पर क्षमता में वृद्धि

लक्ष्य

- इस मिशन का लक्ष्य महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2019 को "खुले में शौच मुक्त" (ओ.डी.एफ.) भारत को प्राप्त करना है।

एस.डी.जी. लक्ष्य

- यह मिशन वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) के लक्ष्य 6.2 की ओर प्रगतिशील है।

मिशन दो भागों में विभाजित किया गया है:

a. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), जिसकी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और निगरानी की गई थी।
b. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिसकी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (अब जलशक्ति मंत्रालय कहा जाता है) के माध्यम से वित्तपोषित और निगरानी की गई थी।

स्वच्छ भारत 2.0

- एस.बी.एम. का दूसरा चरण 2020-21 और 2024-25 के बीच एक मिशन मोड पर 52,497 करोड़ रूपये के अनुमानित केंद्रीय और राज्य बजट के साथ लागू किया जाएगा।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- यह खुले में शौच मुक्त प्लस पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) प्लस कार्यक्रम, विशेष रूप से ग्रे जल प्रबंधन के लिए मनरेगा के साथ जुटेगा और नए लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन को पूरा करेगा।
- केंद्र और राज्यों के बीच निधि साझाकरण प्रारूप निम्न प्रकार होगा:
- पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 के अनुपात में
- अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में
- अन्य संघ शासित प्रदेशों के लिए, सभी घटकों के लिए 100:0 के अनुपात में

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

कोरोना फाइटर्स

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 पर कोरोना फाइटर्स नामक इस प्रकार का पहला इंटरैक्टिव अत्याधुनिक गेम लॉन्च किया है।

कोरोना फाइटर गेम के संदर्भ में जानकारी

- यह गेम कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सही उपकरण और व्यवहार सिखाने के लिए एक नया और बेहद रचनात्मक तरीका प्रस्तुत करता है।
- इस गेम को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाता रहे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- ए.आई.आर.

नई ओपेन ए.पी.आई. सेवा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, आरोग्य सेतु ऐप ने व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कामकाज शुरू करने में मदद करने हेतु नई ओपेन ए.पी.आई. सेवा नामक एक नया तकनीकी समाधान शुरू किया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

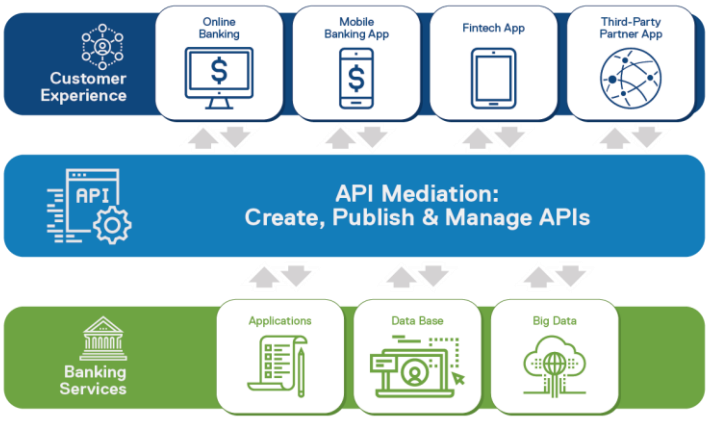

- नई ओपेन ए.पी.आई. सेवा, संगठनों को अपने कर्मचारियों की आरोग्य सेतु ऐप की स्थिति की जांच करने और इसे अपने विभिन्न वर्क फ्रॉम होम फीचर में एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी।
- यह कोविड-19 संक्रमण के जोखिम को भी संबोधित करता है और व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने में सहायता करेगा।
- नई सेवा का लाभ उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लिया जा सकता है, जो भारत में 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत हैं।
- संगठन नई तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समय के आधार पर अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति की आसानी से जांच कर सकते हैं।

संबंधित जानकारी

आरोग्य सेतु के संदर्भ में जानकारी

- यह इस वर्ष 2 अप्रैल को लॉन्च किए जाने के बाद से कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को शक्ति प्रदान कर रहा है।
- यह मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

आरोग्य सेतु के उद्देश्य

A. भारतीय नागरिकों के बीच नॉवेल कोरोनवायरस के प्रकोप के संदर्भ में जागरूकता फैलाना
B. भारत सरकार, विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की पहल को बढ़ाना, सक्रिय रूप से उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना और उन्हें कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित जोखिमों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रासंगिक सलाह के बारे में सूचित करना
C. स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं के लिए भारत के नागरिकों और सरकार के बीच एक संबंध स्थापित करना और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय से अपडेट प्राप्त करना

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य सेवाएं

स्रोत- द हिंदू

स्वच्छ प्लेट अभियान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के नागरिकों से 'स्वच्छ प्लेट अभियान' नामक एक नई पहल के अंतर्गत खाद्य अपशिष्ट में भारी कटौती करने का आह्वान किया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- यह कदम कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उठाया गया है, विनाशकारी बाढ़ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ बिगड़ते संबंधों ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में भोजन की कमी के संदर्भ में आशंकाएं जताई हैं।

अभियान के संदर्भ में जानकारी

- यह अभियान, समर्थन में कानून और अन्य तंत्रों को मजबूत करने का वादा करता है, देश में खाद्य अपशिष्ट की समस्या को "चौंकाने वाला और परेशान करने वाला" बताया गया है।
- हाल के वर्षों के अध्ययन से पता चलता है कि चीन सालाना लगभग 17-18 मिलियन टन खाद्य अपशिष्ट का उत्पादन करता है।
- शी की घोषणा के बाद राज्य द्वारा संचालित मीडिया ने रेस्तरां के उन ग्राहकों पर "एक्सपोज़" चलाया है, जो अपनी भूख से अधिक खाने का ऑर्डर देते हैं और इसके साथ ही चीन के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नामित और शर्मसार करने वाले शो की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिक मात्रा में और कई किस्मों का भोजन करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले लोग भी शामिल हैं।
- रेस्तरां को “N-1” प्रणाली का पालन करना चाहिए, जिसमें रेस्तरां में ग्राहकों के समूह को परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या, समूह के लोगों की संख्या से कम से कम एक कम होनी चाहिए।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

संबंधित जानकारी

- विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, 135 मिलियन लोग मानव निर्मित संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मंदी के कारण तीव्र भुखमरी से पीड़ित हैं।
- कोविड-19 महामारी अब इस संख्या को दोगुना कर सकती है, जिससे वर्ष 2020 के अंत तक अतिरिक्त 130 मिलियन लोगों के तीव्र भुखमरी से पीड़ित होने का खतरा हो सकता है।

एस.डी.जी. लक्ष्य 2

- यह वर्ष 2030 तक इसके सभी रूपों में भुखमरी को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी समाधान की तलाश करेगा।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भोजन तक बेहतर पहुंच और स्थायी कृषि के व्यापक प्रचार की आवश्यकता होगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मूलगांवकर सिद्धांत

खबरों में क्यों है?

- सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आलोचना में, जिसने अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था, उनके वकील ने 'मूलगांवकर सिद्धांतों' को लागू किया है, न्यायालय से संयम दर्शाने का आग्रह किया है।

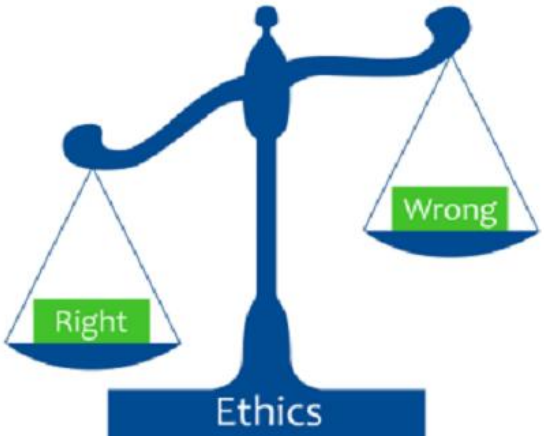

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

मूलगांवकर सिद्धांत क्या हैं?

- एस. मूलगांवकर बनाम अज्ञात (1978) एक ऐसा केस है, जिसके कारण अवमानना के संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था।
- 2:1 के बहुमत से, न्यायालय ने द इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक मूलगांवकर को अवमानना का दोषी नहीं माना था, हालांकि उसी बेंच ने सुनवाई शुरू की थी।
- न्यायमूर्ति पी. कैलासम और कृष्णा अय्यर ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम. एच. बेग के खिलाफ जाकर बहुमत प्राप्त किया था।
- न्यायमूर्ति अय्यर ने अवमानना क्षेत्राधिकार का पालन करने में सावधानी बरतने की सलाह को मूलगांवकर सिद्धांत कहा है।

संबंधित जानकारी

1971 के अदालत की अवमानना अधिनियम के संदर्भ में जानकारी

- 1971 के अदालत की अवमानना अधिनियम के अनुसार, अदालत की अवमानना दो प्रकार की होती है:
- **नागरिक अवमानना:** यह किसी भी निर्णय, आज्ञा, निर्देश, आदेश, रिट या अदालत की अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या किसी न्यायालय को दिए गए उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन है।
- **आपराधिक अवमानना:** यह किसी भी मामले का प्रकाशन है या किसी अन्य कार्य को करना है, जो किसी न्यायालय के अधिकार का हनन या अपमान करता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के नियत समय के साथ हस्तक्षेप करता है या किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन को बाधित करता है।

सज़ा

- 1971 का अदालत की अवमानना अधिनियम, दोषी को कारावास के साथ दंडित करता है, जो छह महीने का या 2000 रूपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

विधि आयोग द्वारा समीक्षा

विधि आयोग ने वर्ष 2018 में 1971 के अदालत की अवमानना अधिनियम की समीक्षा की थी और सूचित किया था कि:

- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अवमानना की शक्तियाँ अधिनियम, 1971 से स्वतंत्र हैं और उच्च न्यायालयों की अवमानना की शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 से ली गई हैं।

अनुच्छेद 129

- सर्वोच्च न्यायालय, रिकॉर्ड की एक अदालत होगी और इसके पास इस प्रकार की अदालत की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें स्वयं को भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी निहित होगी।

अनुच्छेद 215

- प्रत्येक उच्च न्यायालय, रिकॉर्ड की एक अदालत होगी और इसके पास इस प्रकार की अदालत की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें स्वयं को भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी निहित होगी।
- इसलिए, अधिनियम से अपराध को हटाने से किसी को भी उसकी अवमानना के लिए दंडित करने की सर्वोच्च न्यायालयों की अंतर्निहित संवैधानिक शक्तियां प्रभावित नहीं हो पाएंगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II-राजनीति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

ट्राइफूड प्रोजेक्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ट्राइफेड के "ट्राइफूड प्रोजेक्ट" के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का ई-लॉन्च किया है।

ट्राइफूड प्रोजेक्ट के संदर्भ में जानकारी

- इसे ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (एमओएफ.पी.आई.) के सहयोग से लागू किया गया है।
- ट्राइफेड का उद्देश्य आदिवासी संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए एम.एफ.पी. के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में वृद्धि करना है।
- इसे प्राप्त करने के लिए, एक शुरूआत के रूप में दो अप्रमुख वन उपज (एम.एफ.पी.) प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- महाराष्ट्र के रायगढ़ की इकाई का उपयोग महुआ, आंवला, कस्टर्ड सेब और जामुन के मूल्य संवर्धन के लिए किया जाएगा और महुआ पेय, आंवला रस, कैंडी, जामुन का रस और कस्टर्ड सेब के गूदा का उत्पादन करेगा।
- छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मल्टी-कमोडिटी प्रसंस्करण केंद्रो का उपयोग महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक, लहसुन और अन्य फलों और सब्जियों जैसे वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।
- इन्हें महुआ पेय, आंवला रस, कैंडी, शुद्ध शहद, अदरक-लहसुन पेस्ट और फलों और सब्जियों के गूदे के रूप में बनाया जाएगा।

संबंधित जानकारी:

भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ के संदर्भ में जानकारी

- इसकी स्थापना अगस्त, 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के अंतर्गत की गई थी।
- यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है।
- ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

उद्देश्य

- ट्राइफेड का अंतिम उद्देश्य देश में आदिवासी लोगों के धातु-शिल्प, आदिवासी वस्त्र, मिट्टी के बर्तनों, आदिवासी चित्रकारी और मिट्टी के उन बर्तनों जैसे आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास के माध्यम से आदिवासी व्यक्तियों का सामजिक-आर्थिक विकास करना है, जिस पर आदिवासी लोगों की आय का प्रमुख भाग निर्भर करता है।
- ट्राइफेड, जनजातियों के उत्पाद बेचने के लिए उनके लिए एक सुविधा और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।

लक्ष्य

- इसका लक्ष्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ सशक्त बनाना है, जिससे कि वे अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें।
- इसमें जनजातीय लोगों के संवेदीकरण, स्वयं-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के गठन के माध्यम से क्षमता निर्माण करना और किसी विशेष गतिविधि के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

कार्य

- यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है। जो अप्रमुख वन ऊपज (एम.एफ.पी.) विकास और खुदरा विपणन और विकास हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 (एस.एस.एफ.ई.)

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति (एन.एस.एफ.ई.): 2020-2025 दस्तावेज़ जारी किए हैं।
- यह दूसरी एन.एस.एफ.ई. है, पहली एन.एस.एफ.ई. को वर्ष 2013 में जारी किया गया था।

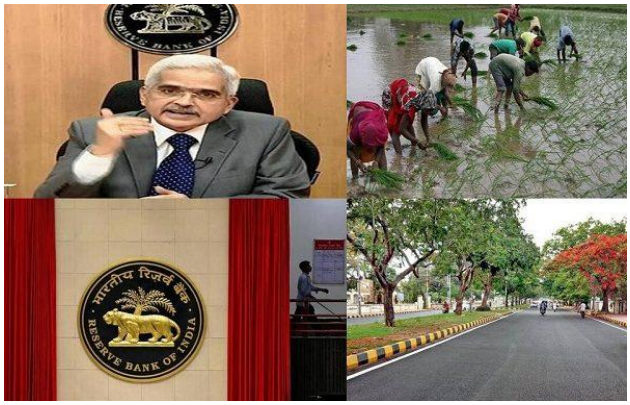

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 (एन.एस.एफ.ई.) के संदर्भ में जानकारी

- इसे सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के परामर्श से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एन.एस.एफ.ई.) द्वारा तैयार किया गया है।
- इनमें वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर प्रौद्योगिकी समूह (टी.जी.एफ.आई.एफ.एल.) के तत्वाधान में भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) आदि शामिल हैं।

उद्देश्य

- रणनीतिक उद्देश्यों में उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए वित्तीय शिक्षा के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को शामिल करना है।
- सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त, यह वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
- इसमें उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के लिए योजना के अतिरिक्त प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम प्रबंधन शामिल है।

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति की सिफारिश (एन.एस.एफ.ई.): 2020-2025

- दस्तावेज़ वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 C' दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करता है।

ये हैंसामग्री: जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री

- **क्षमता**: वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए क्षमता और 'आचार संहिता' विकसित करना
- **समुदाय**: स्थायी रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए समुदाय के नेतृत्व वाला दृष्टिकोण विकसित करना
- **संचार**: वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, मीडिया और संचार के नवीनतम तरीकों का उपयोग करना
- **सहभागिता**: वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को संरेखित करना

रणनीति, प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन ढांचे को अपनाने का भी सुझाव देती है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र के संदर्भ में जानकारी

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा प्रवर्तित गैर-लाभकारी कंपनी है।

कंपनी की उद्देश्य

- वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति के अनुसार पूरे भारत में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना
- सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यक्रम अभियान आदि के माध्यम से पूरे देश में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण का निर्माण करना
- यह वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के लिए वित्तीय डिजिटल मोड भी प्रदान करता है जिससे कि वित्त में उनके ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता में सुधार किया जा सके

दृष्टिकोण

- आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत का निर्माण करना

मिशन

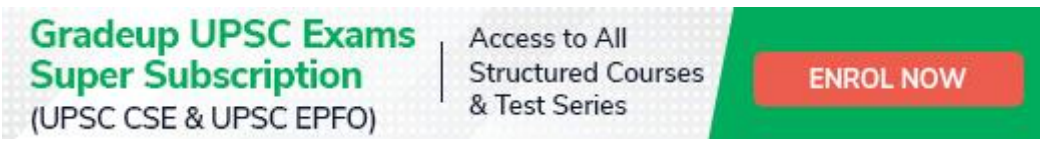

- उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए उचित और पारदर्शी मशीनरी के साथ विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचन बनाकर वित्तीय कल्याण को प्राप्त करने के लिए लोगों की पैसे को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने हेतु बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान शुरू करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महत्वपूर्ण संस्थान

स्रोत- द हिंदू

'माई आई.ए.एफ.' मोबाइल एप्लिकेशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन में एक मोबाइल एप्लिकेशन 'माई आई.ए.एफ.' लॉन्च किया है।

'माई आई.ए.एफ.' मोबाइल एप्लिकेशन के संदर्भ में जानकारी

- इस एप्लीकेशन को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) के सहयोग से विकसित किया गया है, यह ऐप भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करता है।
- यह एक सिंगल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो उपयोगकर्ताओं को आई.ए.एफ. में अधिकारियों और एयरमेन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरणों की जानकारी प्रदान करता है।
- यह भारतीय वायु सेना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गेम्स से जुड़ा हुआ है और भारतीय वायु सेना के इतिहास और वीरता की कहानियों की झलक भी प्रदान करता है।

संबंधित जानकारी

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के संदर्भ में जानकारी

- यह आई.टी., इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 स्वदेशी रूप से (वर्ष 1991 में) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा बनाया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस,स्रोत- पी.आई.बी.

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

श्रम ब्यूरो का प्रतीक चिन्ह (लोगो)

खबरों में क्यों है?

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह को हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रलाय द्वारा लांच किया गया है।

प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में जानकारी

- नया लॉन्च किया गया प्रतीक चिन्ह प्रतिनिधित्व करता है कि श्रम ब्यूरो, एक डेटा-आधारित संगठन है, जो श्रमिकों और काम से संबंधित डेटा से संबंधित है।
- प्रतीक चिन्ह, उन तीन लक्ष्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें श्रम ब्यूरो गुणवत्तापूर्ण डेटा का उत्पादन अर्थात सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता को हासिल करने का प्रयास करता है।
- नीले रंग का दांतेदार पहिया काम का प्रतिनिधित्व करता है।
- नीले रंग का चुनाव यह दर्शाता है कि संगठन, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में नीले कॉलर श्रमिकों से संबंधित है।

- रेखा ग्राफ रोजगार के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव दर्शाता है क्यों कि यह जमीनी हकीकत को दर्शाता है।
- तिरंगे वाला ग्राफ, राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाता है, इसके साथ ही गेहूं की बालियां, ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाती हैं।

संबंधित जानकारी

श्रम के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी

- श्रम, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और केंद्र और राज्यों द्वारा कई कानून अधिनियमित किए गए हैं।
- चार प्रमुख केंद्रीय कानून हैं, जो भारत में श्रम कानूनों के मूल का निर्माण करते हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

A. **फैक्ट्री अधिनियम, 1948:** इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य फैक्ट्री परिसरों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना और श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है।
B. **दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961:** इसका उद्देश्य काम के घंटे, भुगतान, ओवरटाइम, वेतन के साथ एक साप्ताहिक छुट्टी, वेतन के साथ अन्य अवकाश, वार्षिक छुट्टी, बच्चों और युवा व्यक्तियों के रोजगार और महिलाओं के रोजगार को विनियमित करना है।
C. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948:** यह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है, जिसका कुशल और अकुशल मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए।
D. **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:** यह छंटनी, व्यय में कमी और औद्योगिक उद्यमों को बंद करने और हड़ताल और तालाबंदी जैसी सेवा की शर्तों से संबंधित है।

भारतीय संविधान में श्रम

- अनुच्छेद 246 श्रम, समवर्ती सूची में है, कई राज्यों और यहां तक कि केंद्र ने कानून बनाए हैं। इससे भ्रम और अराजकता फैल गई है।
- अनुच्छेद 43A (42वां संशोधन)- उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देशित करना।
- अनुच्छेद 23 बलपूर्वक श्रम को निषिद्ध करता है, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों (कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक व्यवसायों में) को निषिद्ध करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अरुणाचल प्रदेश सरकार की छठवीं अनुसूची दर्जे के लिए कोशिश

समाचार में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश सरकार अपनी स्थानीय जनसंख्या के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान की छठवीं अनुसूची के अंतर्गत सीमांत प्रदेश को शामिल करने के लिए केंद्र को मनाने का प्रयास करेगा।

छठवीं अनुसूची के बारे में

- छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती है।
- स्वायत्त जिला परिषदों के निर्माण के द्वारा यह जनजातीय जनसंख्या के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।
- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दिया गया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ अरुणाचल पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को अपने में शामिल करता है।

पृष्ठभूमि

- राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री चाउना मेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो समुदाय आधारित संगठनों के साथ बैठक आयोजित करेगा।
- दो स्वायत्त परिषदों के निर्माण की मांग-पश्चिमी भाग में मॉन स्वायत्त क्षेत्र और पूर्वी भाग में पटकई स्वायत्त परिषद - की वजह से समिति का गठन हुआ है।
- यह समिति राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा करेगी।
- परामर्शदात्री समिति, समुदाय के नेताओं और अधिवक्ताओं से प्राप्त सुझावों से सरकार को यह समझ हुई है कि वे इस गलत प्रभाव में जी रहे थे कि वे इनर लाइन परमिट के द्वारा संरक्षित हैं।

इनर लाइन परमिट के बारे में

- यह एक आधिकारिक यात्रा आलेख है जिसे राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है जो सीमित काल के लिए संरक्षित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति देता है।
- बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन (बीईएफआर) कानून, 1873 बिना वैध आईएलपी के अरुणाचल प्रदेश के अंदर देश के सभी नागरिकों के प्रवेश का निषेध करता है।
- 1873 के विनियमन कानून के अनुच्छेद 2 के अनुसार, आईएलपी केवल मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे उत्तर-पूर्व के राज्यों पर ही लागू होता है।
- यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

नोटः

- हाल ही में, 11 दिसंबर को, राष्ट्रपति ने आईएलपी को मणिपुर में लागू करने का आदेश जारी किया जोकि चौथा राज्य बन गया जहां आईएलपी लागू है।

टॉपिक- सामान्य अध्ययन- राजनीतिशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

स्वास्थ्य डेटा पर मसौदा नीति को फीडबैक के लिए खोला गया है।

खबरों में क्यों है?

- हहाल ही में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) ने सार्वजनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.) के स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा जारी किया है।

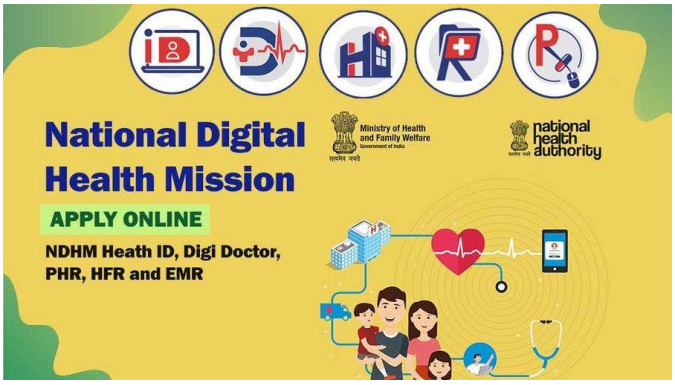

Gradeup UPSC Exams
Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All
Structured Courses
& Test Series
ENROL NOW

ड्राफ्ट पॉलिसी के संदर्भ में जानकारी

- मसौदे को एन.डी.एच.एम. की वेबसाइट पर जारी किया गया है और यह 3 सितंबर तक सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध होगा।
- जनता से सुझाव प्राप्त करने के बाद नीति को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा।
- ड्राफ्ट व्यक्तियों की डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एन.डी.एच.एम. के 'डिजाइन द्वारा सुरक्षा और गोपनीयता' के मार्गदर्शक सिद्धांत को साकार करने में पहला कदम है।
- इसमें स्वास्थ्य डेटा से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे डेटा गोपनीयता, सहमति प्रबंधन, डेटा साझाकरण और संरक्षण आदि शामिल हैं।

मुख्य उद्देश्य

- मसौदा नीति का एक मुख्य उद्देश्य पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना और उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है, जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा हैं।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में जानकारी

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.) शुरू करने की घोषणा की है।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) द्वारा लागू किया जाता है।
- इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म चार प्रमुख विशेषताओं- हेल्थ आई.डी., व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री के साथ लॉन्च किया जाएगा।
- बाद के चरण में, इसमें ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सेवाएं भी शामिल होंगी, जिसके लिए विनियामक दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

नोट:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.), आयुष्मान भारत के लिए कार्यान्वयन एजेंसी भी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- द हिंदू

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है, जो दुनिया भर में कुख्यात बीमारी को समाप्त करने के लिए एक दशक लंबे अभियान में एक मील का पत्थर है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

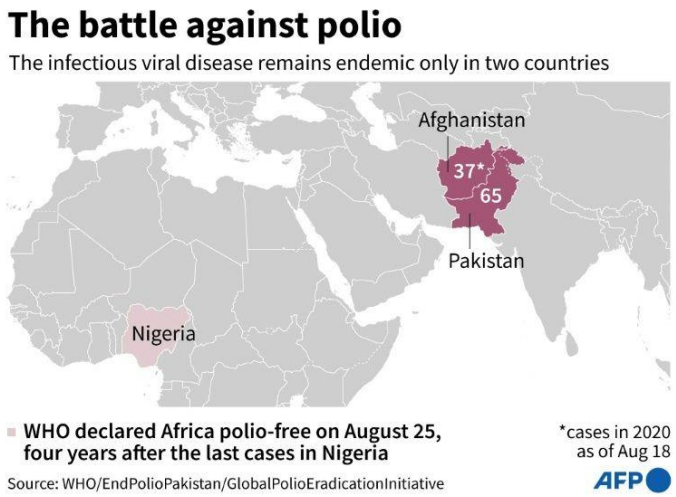

संबंधित जानकारी

पोलियो प्रमाणीकरण के संदर्भ में तथ्य

- वर्ष 1988 में, 41वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने पोलियो के विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संकल्प अपनाया था।

यहाँ कुछ पोलियो प्रमाणीकरण तथ्य दिए गए हैं:

- प्रमाणन के लिए, डब्ल्यू.एच.ओ. क्षेत्र के सभी देशों में उच्च गुणवत्ता वाले तीव्र फ्लैसीड पैरालिसिस (ए.एफ.पी.) निगरानी प्रणालियों की उपस्थिति में लगातार 3 वर्षों तक जंगली पोलियो का कोई मामला नहीं होना चाहिए।
- पोलियो उन्मूलन के प्रमाणन की औपचारिक प्रक्रिया को वैश्विक प्रमाणन आयोग (जी.सी.सी.) की पहली बैठक में 1995 में स्थापित किया गया था।
- ये राष्ट्रीय प्रमाणन समितियां (एन.सी.सी.) हैं, जो देश स्तर पर पोलियो उन्मूलन के प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार करती हैं।
- डब्ल्यू.एच.ओ. के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में, 11 सदस्य राज्यों में से प्रत्येक का एक एन.सी.सी. है।
- सभी क्षेत्रों में प्रमाणन आयोग है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग में 11 वैश्विक और क्षेत्रीय विशेषज्ञ शामिल हैं।
- इस यह आयोग है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त के रूप में प्रमाणित कर सकता है।

नोट:

- तीन क्षेत्र (अमेरिका, 1994, पश्चिमी प्रशांत, 2000, यूरोप, 2002) पहले ही पोलियो मुक्त के रूप में प्रमाणित हो चुके हैं।

पोलियोमाइलिटिस (पोलियो) के संदर्भ में जानकारी

- पोलियो एक विषाणु के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है।
- वायरस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर सकता है, जिससे लकवा (शरीर के हिस्सों को हिलाया नहीं जा सकता है) मार सकता है।
- वायरस, मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और आंत में गुणज के रूप में बढ़ता है।

लक्षण

- लकवा, पोलियो से संबंधित सबसे गंभीर लक्षण है क्योंकि इससे स्थायी विकलांगता और मृत्यु हो सकती है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

नोट:

- वर्ष 2014 में, भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ आधिकारिक रूप से पोलियो-मुक्त घोषित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत-आकाशवाणी

अदालत का कहना है कि राज्यों में एस.सी./ एस.टी. के बीच उप-समूह हो सकते हैं।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में "कमजोर से सबसे कमजोर" को तरजीह देने के लिए राज्य, केंद्रीय सूची में उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।
- संविधान पीठ ने कहा है कि आरक्षण ने स्वयं आरक्षित जातियों के भीतर ही असमानता पैदा कर दी है।

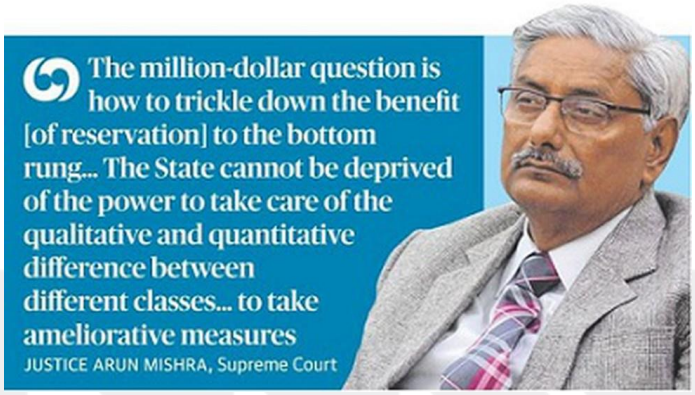

चिन्नैया फैसले के विपरीत

- इसके साथ, पीठ ने 2004 के ई. वी. चिन्नैया केस में पांच न्यायाधीशों की एक अन्य समन्वित पीठ द्वारा दिए गए 2004 के फैसले के विपरीत विचार किया है।
- चिन्नैया के फैसले में कहा था कि राज्यों को एकपक्षीय रूप से "अनुसूचित जाति के सदस्यों के वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने" की अनुमति राष्ट्रपति सूची के साथ किए गए फेरबदल से संबंधित होगी।

संबंधित जानकारी

अनुसूचित जातियों के संदर्भ में जानकारी

- संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 341 के प्रावधान के अंतर्गत, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में एस.सी. की पहली सूची, संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा जारी की जाती है।
- लेकिन अनुच्छेद 341 के खंड (2) में इस बात की परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जातियों की सूची में बाद में कुछ भी शामिल किए जाने या हटाए जाने को संसद के अधिनियम के माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है।
- अब तक, विभिन्न राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में एस.सी. को निर्दिष्ट करने के लिए 1950 से 1978 के बीच छह राष्ट्रपति आदेश जारी किए गए हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- इन आदेशों को 1956 से 2016 के बीच संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अनुसार अधिनियमित संसद के अधिनियमों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है।

अनुसूची जनजातियों के संदर्भ में जानकारी

पृष्ठभूमि

- जनगणना-1931 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजातियों" के रूप में जाना जाता है।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों को पहली बार बुलाया था।
- संविधान, अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के शुरूआती वर्षों में किया गया था।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 366(25) में केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 366(25) के अनुसार, "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों से है, जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है।"

संबंधित समिति

काका कालेलकर आयोग, 1953

- पहले पिछड़े वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग, 1953 को अनुच्छेद 340 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसने अनुसूचित जनजातियों को “एक अलग विशिष्ट अस्तित्व का नेतृत्व करने और लोगों के मुख्य निकाय में पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए" के रूप में परिभाषित किया था।
- "वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं।”

लोकर समिति

- अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के मानदंड की जांच करने के लिए लोकर समिति (1965) की स्थापना की गई थी।
- समिति ने पहचान के लिए पांच मानदंडों की सिफारिश की थी, जिनके नाम प्राथमिक लक्षण, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन हैं।

भुरिया समिति

- भुरिया समिति (1991) की सिफारिशों ने पेसा अधिनियम, 1996 के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया था।

भुरिया आयोग

- भुरिया आयोग (2002-2004) ने पांचवीं अनुसूची से लेकर आदिवासी भूमि और वन, स्वास्थ्य और शिक्षा, पंचायतों के कामकाज और जनजातीय महिलाओं की स्थिति जैसे कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था।

बंदोपाध्याय समिति

- बंदोपाध्याय समिति (2006) ने वामपंथी चरमपंथी क्षेत्रों में विकास और शासन की जांच की थी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

मुंगेकर समिति

- मुंगेकर समिति (2005) ने प्रशासन और शासन के मुद्दों की जांच की थी।

वर्जिनियस जेक्सा समिति

- वर्ष 2013 में आदिवासी समुदायों से संबंधित पाँच महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करने के लिए प्रोफेसर वर्जीनियस जेक्सा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) का गठन किया गया था:

1. आजीविका और रोजगार
2. शिक्षा
3. कानूनी और संवैधानिक मामला
4. स्वास्थ्य
5. अनैच्छिक विस्थापन और प्रवास

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

छावनी COVID: योद्धा संरक्षण योजना

ख़बरों में क्यों है?

- **रक्षा मंत्रालय** ने हाल ही में "छावनी COVID: योद्धा संरक्षण योजना" शुरू की है।

योद्धा संरक्षण योजना के बारे में

- यह एक समूह जीवन बीमा योजना है जो सभी 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में 10,000 से अधिक कर्मचारियों को किसी दुर्भाग्यपूर्ण जानलेवा आपदा में प्रत्येक को 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण प्रदान करेगी।
- यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा लागू की जाएगी।
- यह योजना स्थायी और संविदात्मक कर्मचारियों जिसमें चिकित्सक, पैरामेडिक्स और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं, को लाभ पहुँचाएगी।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – शासन

स्रोत – डीडी न्यूज

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

खबरों में क्यों है?

- केंद्र ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियम जारी किए जिसमें पुलिस, अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को संघीय क्षेत्र के ल्युटीनेंट गवर्नर के सीधे नियंत्रण में होंगे।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

नए नियम के बारे में अधिक जानकारी

- यह नियम कहता है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित को प्रभावित करने वाले मामलों को कोई आदेश जारी करने से पहले मुख्य सचिव द्वारा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में रखते हुए अनिवार्य रूप से उप-राज्यपाल के समक्ष लाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री-परिषद गैर-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों, नए कर लागू करने, भू राजस्व, सरकारी संपत्ति की बिक्री अनुदान अथवा पट्टे, विभागों अथवा कार्यालयों के पुनर्गठन और मसौदा विधि निर्माण प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
- हालांकि, उप-राज्यपाल और किसी मंत्री के बीच रायों में मतभेद होने की स्थिति में, जिसमें एक महीने के बाद भी किसी निर्णय तक नहीं पहुँचा जा सका हो, "उप-राज्यपाल के निर्णय को मंत्री-परिषद द्वारा स्वीकार माना जाएगा।"

पृष्ठभूमि

- **संविधान का अनुच्छेद 370,** जिसने पहले जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया था, 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया और इसके बाद राज्य का संघीय प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विभाजन कर दिया।
- 31 अक्तूबर 2019 को संघीय क्षेत्र अस्तित्व में आए।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की शर्तों के अनुसार, अगले वर्ष परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – प्रशासन

स्रोत – दि हिंदु

आम मतदाता सूची

ख़बरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंचायतों, नगरपालिकाओं, राज्य विधानसभाओं और लोक सभा चुनावों के लिए एक आम मतदाता सूची होने की संभावना पर चर्चा करने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों और कानून मंत्रालय के साथ हाल ही में एक बैठक संपन्न की।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

संबंधित जानकारी

- कई राज्यों में, पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिए मतदाता सूची संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए उपयोग की जाने वाली मतदाता सूची से भिन्न है।
- इस भिन्नता के पैदा होने की वजह हमारे देश में चुनावों के पर्यवेक्षण और आयोजन की जिम्मेदारी दो संवैधानिक प्राधिकरणों को दी गई है:

1. भारत निर्वाचन आयोग
2. राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग के बारे में,

- भारत निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों, संसद, राज्य विधानसभाओं और विधायी परिषदों के लिए चुनाव आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
- निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा अनुच्छेद 324 में प्रदत्त शक्ति के तहत कार्य करता है और तदंतर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को पारित किया।

राज्य चुनाव आयोग के बारे में,

- 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के तहत, प्रत्येक राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था।

अनुच्छेद 243K (1)

- यह कहता है कि पंचायत के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण तथा पंचायतों के सभी चुनावों का आयोजन कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग में समाहित होगी जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
- वे स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी स्वयं की मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस अभ्यास का भारत के निर्वाचन आयोग के साथ सम्पन्न किया जाना आवश्यक नहीं है।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए चुनाव आयोग की मतदाता सूची को अपनाते हैं।

आम निर्वाचन होने के लाभ

- यह विभिन्न चुनावों को संपन्न कराने में शामिल मेहनत और खर्च को काफी मात्रा में कम करने में सहायता करेगा।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- ऐसा तर्क दिया गया है कि दो विभिन्न एजेंसियों द्वारा अलग मतदाताओं की सूची तैयार करने से अनिवार्य रूप से नकल होने की संभावना होती है, जिससे मेहनत और खर्च में भी वृद्धि होती है।

विधि आयोग की राय

- विधि आयोग ने वर्ष 2015 में अपनी 255 वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी।
- निर्वाचन आयोग ने भी वर्ष 1999 और 2014 में इसी तरह का रुख अपनाया था।

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र ii – प्रशासन

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश

ख़बरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में दिव्यांग लोगों की न्याय व्यवस्था तक पहुँच को आसान बनाने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुँच पर अपने सर्वप्रथम दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- ये दिशानिर्देश 10 सिद्धातों के एक समूह और उनके क्रियान्वयन के लिए चरणों को रेखांकित करती है।

ये 10 सिद्धांत इस प्रकार हैं:

सिद्धांत 1 – सभी दिव्यांग लोगों के पास कानूनी शक्ति होती है, इसलिए कोई भी दिव्यांगता के आधार पर न्याय प्रदान करने से इंकार नहीं करेगा।

- ✓ सिद्धांत 2 – दिव्यांग लोगों की भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं एवं सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से अवश्य पहुँच में होना चाहिए।
- ✓ सिद्धांत 3 – दिव्यांग बच्चों सहित दिव्यांग लोगों के पास उचित कार्यवाही आवास प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 4 – दिव्यांग लोगों के पास दूसरों की तरह ही समान आधार पर एक समयबद्ध और सुविधाजनक विधि में कानूनी अधिसूचना एवं सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 5 – दिव्यांग लोगों के पास दूसरों की तरह ही समान आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून में सभी प्रभावी एवं कार्यवाही बचावों को प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य निर्धारित प्रक्रिया की गारंटी प्रदान करने के लिए आवश्यक आवास की व्यवस्था करेगा।
- ✓ सिद्धांत 6 – दिव्यांग लोगों के पास मुफ्त और किफायती कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 7- दिव्यांग लोगों के पास दूसरों की तरह ही समान आधार पर न्याय की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 8 – दिव्यांग लोगों के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन और अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने और इससे कानूनी कार्यवाहियों को शुरू करने का अधिकार है तथा अपनी शिकायतों की जाँच कराने और प्रभावी उपचार प्राप्त करने का अधिकार है।
- ✓ सिद्धांत 9 – प्रभावी और मजबूत निगरानी प्रणाली दिव्यांग लोगों के लिए न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ✓ सिद्धांत 10 – न्याय व्यवस्था में काम करने वाले सभी लोगों को दिव्यांग लोगों के अधिकारों, विशेषकर न्याय तक पहुँच के संबंध में, को संबोधित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम अवश्य कराए जाने चाहिए।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग लोगों के अधिकार पर सम्मेलन को 2007 में 21 वीं शताब्दी में मानव अधिकारों के प्रथम प्रमुख साधन के रूप में अपनाया गया था।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- इसके अनुसार दिव्यांग लोग वे लोग हैं जो "लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी खराबी का सामना कर रहे हैं, जिससे विभिन्न बाधाओं के साथ सामना करने के कारण उनकी समाज में दूसरों के साथ समानता के आधार पर पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में रुकावट आती है।"

दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का क्या अर्थ है?

- दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का अर्थ है कि दिव्यांग के आधार पर ऐसा कोई भेदभाव, अपवर्जन अथवा प्रतिबंध है जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक अथवा अन्य किसी क्षेत्र में दूसरों के साथ समानता के आधार पर सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की पहचान और अभ्यास को खराब अथवा समाप्त करना है।
- इसमें सभी प्रकार के भेदभाव, सस्ते आवास के लिए इंकार करने सहित शामिल होते हैं।

नोट –

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा उल्लेखित आंकड़ों के आधार पर, भारत में 2.4 प्रतिशत पुरुष विकलांग हैं और सभी आयु वर्ग की दो प्रतिशत महिलाएं विकलांग हैं।
- विकलांगता में मानसिक दोष, बौद्धिक दोष, बोलने, सुनने और देखने के साथ अन्य दोष शामिल हैं

विषय – सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II – प्रशासन

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 द्वारा मंदारिन भाषा को हटा दिया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 के अंतर्गत, सरकार ने विदेशी भाषाओं के उदाहरणों की अपनी सूची में से मंदारिन या 'चीनी' भाषा को हटा दिया है, जिन्हें स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है।

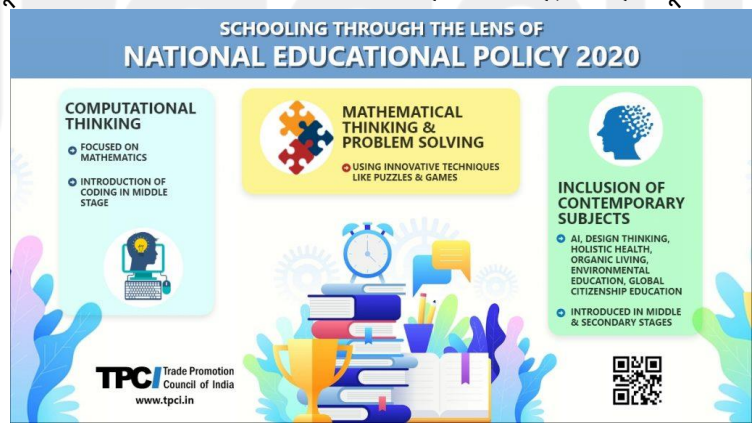

मंदारिन के संदर्भ में जानकारी

- मंदारिन, सिनिटिक (चीनी) भाषाओं का एक समूह है, जो अधिकांश उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी चीन में बोली जाती है।

पृष्ठभूमि

- इस भाषा को वर्ष 2019 में जारी नीति के मसौदा संस्करण में शामिल किया गया था लेकिन हालिया एन.ई.पी. 2020 दस्तावेज़ में शामिल नहीं किया गया था।
- अधिकारी के अनुसार, भारतीय संस्थानों में मंदारिन भाषा निर्देश को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं, जो कि सवालों के घेरे में हैं।
- वर्ष 2006 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के भाग के रूप में भारतीय स्कूलों में मंदारिन और चीनी स्कूलों में हिंदी भाषा के शिक्षण की योजना बनाई गई थी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- वर्ष 2014 में, पुन: सी.बी.एस.ई. ने कुछ स्कूलों में मंदारिन की शुरूआत की थी लेकिन चीनी भाषा शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण यह योजना चरमरा गई थी।
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया स्कूल स्तर पर चीनी भाषा की पेशकश कर रहे हैं।

नोट:

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को पेश की जाने वाली विदेशी भाषाओं में माध्यमिक स्तर पर कोरियाई भाषा को शामिल किया है।
- कोरियाई के अतिरिक्त, पेश की जाने वाली अन्य विदेशी भाषाओं में जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषाएं हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- द हिंदू

तीन-भाषा फॉर्मूला

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्र द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) में प्रस्तावित तीन-भाषा फॉर्मूला को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एदाप्पदी के. पलानीस्वामी ने अस्वीकार कर दिया है।
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह राज्य में शिक्षा में 2-भाषा फॉर्मूला लागू करने के पक्ष में हैं।

तीन भाषा फॉर्मूला के संदर्भ में जानकारी

- तीन-भाषा फॉर्मूला पहली बार 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था।
- इस योजना के पीछे का विचार यह सुनिश्चित करना था कि छात्र अधिक भाषाएं सीखें।
- वर्ष 1968 के बाद, केवल 1992 में ही नीति में संशोधन किया गया था।
- यह फार्मूला 1968 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया था, जिसने दो भाषाओं वाली नीति को अपनाया गया था।

तीन-भाषा फॉर्मूला है:

- पहली भाषा: यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- दूसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में, यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएँ या अंग्रेजी होंगी जब कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में, यह हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- तीसरी भाषा: हिंदी भाषी राज्यों में, यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जबकि गैर-हिंदी भाषी राज्य में, यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी।
- हालांकि, इसे पूरे देश में एकसमान रूप से लागू नहीं किया गया था।

फॉर्मूले के संदर्भ में विवाद

- वर्ष 1937 से, तमिलनाडु ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले का लगातार विरोध किया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- द्रविडर कझगम के संस्थापक पेरियार ई. वी. रामास्वामी, मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री सी. राजगोपालाचारी के हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ थे।
- पिछले वर्ष जारी किए गए एन.ई.पी. के मसौदे में विवादास्पद प्रावधान में कहा गया है कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में छात्रों को हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को भी तीन भाषा फॉर्मूले के हिस्से के रूप में लिया जाना चाहिए।
- एन.ई.पी. के मसौदे के अनुसार, कक्षा 6 में तीन भाषाओं में से एक को बदला जा सकता है।

नोट:

- एन.ई.पी. 2020 में, नीति ने मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाने पर जोर दिया है, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक पढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- संस्कृत को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों में छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिसे तीन-भाषा फॉर्मूले में शामिल किया गया है।
- भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं।
- किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी।
- छात्रों को कभी-कभी ग्रेड 6-8 में, जैसे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत 'भारत की भाषाओं' में एक मजेदार परियोजना/ गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना
- भारतीय सांकेतिक भाषा (आई.एस.एल.) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और सुनने में अक्षम बच्चों के उपयोग हेतु राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- द हिंदू

आर्थिक मुद्दे

नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग, 2020 (ए.आर.आई.आई.ए.-2020)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने ए.आर.आई.आई.ए.-2020 (नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग) की घोषणा की है।

नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) की एक पहल है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- यह छात्रों और संकायों के बीच "नवाचार और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को प्रणालीगत रूप से रैंक प्रदान करता है।
- ए.आर.आई.आई.ए., नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा डाले गए वास्तविक प्रभावों को मापने का प्रयास करेगा।
- रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन सात मापदंडों के आधार पर किया गया है।

इनमें निम्न शामिल हैं:

- बजट और अनुदान समर्थन
- अवसंरचना और सुविधाएं
- विचार उत्पादन एवं नवाचार हेतु जागरूकता, प्रोत्साहन और समर्थन
- उद्यमिता विकास हेतु प्रोत्साहन और समर्थन
- नवाचार अधिगम की विधियां और पाठ्यक्रम
- बौद्धिक संपदा सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं व्यावसायीकरण
- संस्थानों के शासन में नवाचार
- इस वर्ष, ए.आर.आई.आई.ए. की घोषणा में संस्थानों का दो व्यापक श्रेणियों और छह उपश्रेणियों में वर्गीकरण शामिल था।

प्रमुख विशेषताएं

- ए.आर.आई.आई.ए. 2020 रैंकिंग में, आई.आई.टी. मद्रास ने सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के लिए फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद आई.आई.टी. बॉम्बे और आई.आई.टी. दिल्ली का स्थान है।
- निजी संस्थानों की श्रेणी में, ओडिशा का कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान विजेता के रूप में उभरकर सामने आया है।
- के.आई.आई.टी. के बाद एस.आर.एम. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थान है।
- कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, महाराष्ट्र, राज्य-वित्तपोषित स्वायत्त संस्थानों के लिए सूची में शीर्ष पर हैं।
- पहली बार, ए.आर.आई.आई.ए. 2020 रैंकिंग में केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी थी।
- रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन सात मापदंडों के आधार पर किया गया है।
- इनमें बजट और वित्तपोषण समर्थन, अवसंरचना और सुविधाएं, जागरूकता, प्रोत्साहन और विचार उत्पादन एवं नवाचार हेतु समर्थन शामिल हैं।
- इस वर्ष, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है।
- अविनाशीलिंगम इंस्टिट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन ने इस श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन खुफिया नेटवर्क (ई-वी.आई.एन.)

खबरों में क्यों है?

- अप्रैल, 2020 से राज्य विशेष कोविड-19 सामग्री की आपूर्ति की निगरानी करने के लिए 100 प्रतिशत अनुपालन दर के साथ ई-वी.आई.एन. एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा हैं, यह 81 आवश्यक दवाओं और उपकरणों की कमी होने पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है और चेतावनी देता है।
- ये आठ राज्य त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र हैं।

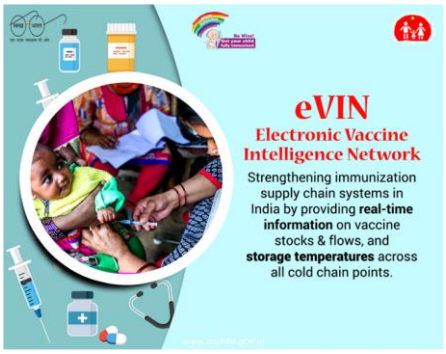

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन खुफिया नेटवर्क (ई-वी.आई.एन.) के संदर्भ में जानकारी

- यह पूरे देश में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नवीनतम तकनीकी समाधान है।
- इस प्लेटफॉर्म में कोविड-19 वैक्सीन सहित किसी भी नए टीके का लाभ उठाने संभावना है, जैसे और जब भी उपलब्ध हो।

कार्यान्वयन एजेंसी

- इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

लक्ष्य

- इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन भंडारण और प्रवाहव और संग्रहण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना है।
- आवश्यक टीकाकरण सेवाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करने और हमारे बच्चों और गर्भवती माताओं को टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाने के लिए कोविड महामारी के दौरान अपेक्षित अनुकूलन के साथ इस मजबूत प्रणाली का उपयोग किया गया है।
- ई-वी.आई.एन., देश भर में कई स्थानों पर रखे गए टीकों के स्टॉक और भंडारण तापमान की वास्तविक समय निगरानी को सक्षम करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एक मजबूत आई.टी. अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन को जोड़ती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

विश्व स्तनपान सप्ताह (डब्ल्यू.बी.डब्ल्यू.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, दुनिया भर के 120 से अधिक देश सप्ताह भर तक चलने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का जश्न मना रहे हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- इस वर्ष की थीम एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करना और वैश्विक महामारी को देखते हुए एहतियाती उपाय करना है।

विश्व स्तनपान सप्ताह के संदर्भ में जानकारी

- यह पहली बार 1992 में मनाया गया था और अब 1 से 7 अगस्त तक प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

उद्देश्य

- यह जीवन के प्रारंभिक छह महीनों के लिए विशेष स्तनपान को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिसके स्वास्थ्य संबंधी बड़े लाभ हैं।
- इसे विश्व स्तनपान कार्रवाई संधि (डब्ल्यू.ए.बी.ए.), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- सामाजिक मुद्दा

स्रोत- यूनाइटेड नेशन

महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित 'महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण' पहल के अंतर्गत ग्यारह महिला उद्यमियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।

संबंधित जानकारी

महिला उद्यमिता एवं सशक्तिकरण पहल के संदर्भ में जानकारी

- यह महिलाओं के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए देश की इस प्रकार की पहली पहल है।
- यह पहल आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा स्थापित की गई है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है।

लक्ष्य

- इस पहल का उद्देश्य कॉलेज में जाने वाली छात्रा से लेकर मध्यम आयु वर्ग की गृहिणी तक की महिलाओं के बीच व्यवहार्य पूर्णता कैरियर विकल्प के रूप में उद्यमिता को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने और एक जोश जगाने पर केंद्रित है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

पुरस्कार

- अनुदान के रूप में कुल 25 लाख रूपए का नकद पुरस्कार 11 महिला उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महिला सशक्तीकरण

स्रोत- द ट्रिब्यून

स्टार्ट-अप को शामिल करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) के दायरे को व्यापक बनाने का फैसला किया है, जिसमें स्टार्ट-अप्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर शामिल किया गया है।
- केंद्रीय बैंक, पी.एस.एल. के अंतर्गत 'छोटे और सीमांत किसानों' और 'कमजोर वर्गों' को ऋण देने के लक्ष्य को भी बढ़ाएगा।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पी.एस.एल.) के संदर्भ में जानकारी

- कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को बैंक ऋण का एक निर्दिष्ट हिस्सा प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्राथमिकता क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं:

- कृषि
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)
- निर्यात ऋण
- शिक्षा
- आवास
- सामाजिक अवसंरचना
- अक्षय ऊर्जा
- अन्य
- अन्य श्रेणी में कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत ऋण, तंग व्यक्तियों को ऋण, एस.सी./ एस.टी. के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को ऋण देना शामिल हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंकों हेतु लक्ष्य और उप-लक्ष्य

- बैंकों को समायोजित कुल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत या ऑफ बैलेंस शीट अनावरण की ऋण राशि के बराबर, जो भी अधिक हो, धनराशि को कृषि और सूक्ष्म उद्यम सहित प्राथमिकता क्षेत्रों को देना अनिवार्य होता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- 20 और उससे अधिक शाखाओं वाली घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) और विदेशी बैंकों को पी.एस.एल. में शामिल किया जाता है।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 10% या कुल परिणामी बैंक ऋण का 10%, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्ग को दिया जाना चाहिए।
- कुल परिणामी बैंक ऋण का 18%, कृषि अग्रिमों को दिया जाना चाहिए।
- कृषि के लिए 18 लक्ष्यों के अंतर्गत, समायोजित कुल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) के 8 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट अनावरण की क्रेडिट समतुल्य राशि के लक्ष्य को, जो भी अधिक है, लघु और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित किया गया है।
- ए.एन.बी.सी. का 7.5 प्रतिशत या ऑफ-बैलेंस शीट अनावरण की राशि, जो भी अधिक हो, सूक्ष्म उद्यमों को दी जानी चाहिए।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पी.एस.एल.सी.एस.):

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पी.एस.एल.सी.एस.), एक तंत्र है जो बैंकों को कमी होने की स्थिति में इन उपकरणों की खरीद के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- यह अधिशेष बैंकों को भी प्रोत्साहित करता है क्यों कि यह उन्हें लक्ष्यों पर अपनी अतिरिक्त उपलब्धि बेचने की अनुमति प्रदान करता है, जिसके द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत श्रेणियों को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ाया जाता है।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, भारत सरकार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत संपीडित बायोगैस को शामिल करने की प्रक्रिया में है।
- संपीडित बायोगैस पर 'सतत' (किफायती परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प) योजना वर्ष 2018 को शुरू की गई थी, जो वर्ष 2023 तक 5000 संयंत्रों से 15 एम.एम.टी. सी.बी.जी. के लक्षित उत्पादन की परिकल्पना करती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

आभूषण ऋण-से-मूल्य अनुपात को 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में परिवारों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, आर.बी.आई. ने गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों और गहनों को गिरवी रखकर ऋण के लिए अनुमेय ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.) को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

हालिया विकास

- वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, बैंकों द्वारा स्वर्ण आभूषणों और गहनों को गिरवी रखकर स्वीकृत ऋण की सीमा, गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों और गहनों की कीमत के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे बढ़ाकर अब 90 प्रतिशत कर दिया गया है।
- यह संवर्धित एल.टी.वी. अनुपात 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगा, जिससे कि उधारकर्ताओं को कोविड-19 के कारण अपने अस्थायी तरलता असंतुलन को काबू करने में सक्षम बनाया जा सके।
- तदनुसार, 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद स्वीकृत किए गए नए सोने के ऋण 75% के एल.टी.वी. अनुपात को आकर्षित करेंगे।

महत्व

- बैंकों द्वारा गोल्ड लोन को अनुमेय ऋण-मूल्य अनुपात में वृद्धि से प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह उम्मीद की जाती है कि कई उधारकर्ताओं के लिए वर्तमान वातावरण में धन जुटाने के लिए गोल्ड लोन, पसंदीदा विकल्पों में से एक होगा क्यों कि व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यम, धन की तत्काल आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन लेंगे।
- हालांकि, सभी समय पर सोने की कीमतों के उच्च स्तर के साथ बैंकों को एल.टी.वी. को 90% तक बढ़ाने के लिए सावधान रहना चाहिए।

संबंधित जानकारी

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना नवंबर, 2015 में सोवरेन गोल्ड बांड और इंडिया गोल्ड क्वॉइन के साथ शुरू की गई थी।
- यह सोने के जमाकर्ताओं को उनके धातु खातों पर ब्याज अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है। एक बार जब सोना, धातु खाते में जमा कर दिया जाता है तो यह स्वयं पर ब्याज अर्जित करना शुरू कर देता है।
- इस योजना के अंतर्गत, एक जमाकर्ता को एक वर्ष से तीन वर्ष की अल्पकालिक जमा अवधि के लिए सालाना 2.25% ब्याज मिलता है। मध्यम और लंबी अवधि के जमा पर 2.5% ब्याज दर मिलती है।

उद्देश्य

- दीर्घकालिक स्तर पर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करके चालू खाते के घाटे को कम करने हेतु देश में परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को गति प्रदान करना और इस सोने को उत्पादक उपयोग में लगाना
- स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (धात्विक स्वर्ण खरीदने का विकल्प) और इंडियन गोल्ड क्वॉइन का विकास भी नवंबर, 2015 में लांच किया गया था।

नोट:

ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.) क्या है?

- ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.), ऋण जोखिम का एक मूल्यांकन है, जिसे वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाता गिरवी को स्वीकृति प्रदान करने से पहले जांचते हैं।
- सामान्यत:, उच्च एल.टी.वी. अनुपात वाले ऋण मूल्यांकन को उच्च जोखिम ऋण माना जाता है। इसलिए, यदि गिरवी को स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऋण की उच्च ब्याज दर होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

प्रोत्साहन हेतु ऑफ़लाइन खुदरा भुगतान सेट

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड और मोबाइल डिवाइसों का उपयोग करके ऑफ़लाइन खुदरा भुगतानों की एक योजना का अनावरण किया है।
- यह कंपनियों को कार्ड, वॉलेट और मोबाइल फोन का उपयोग करके बैंकिंग लेन-देन करने के लिए एक ऑफ़लाइन भुगतान मोड विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

संबंधित जानकारी

डिजिटल भुगतान हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान (ओ.डी.आर.) तंत्र

- हाल ही में, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी या इंटरनेट की धीमी गति, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को अपनाने के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।
- इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कार्ड, वॉलेट और मोबाइल डिवाइसों के माध्यम से ऑफ़लाइन भुगतान का विकल्प प्रदान करने से डिजिटल भुगतान को भविष्य में अपनाने की उम्मीद है।
- डिजिटल भुगतानों हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान (ओ.डी.आर.) तंत्र पर भी निर्णय लिया गया था कि डिजिटल लेनदेन की संख्या में हो रही महत्वपूर्ण वृद्धि अधिक विवादों को बढ़ावा दे रही है।
- तदनुसार, रिज़र्व बैंक को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन विवाद समाधान (ओ.डी.आर.) प्रणाली शुरू करने के लिए भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पी.एस.ओ.) की आवश्यकता होगी।
- चेक से छेड़छाड़ के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए आर.बी.आई. ने 50,000 और इससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए सकारात्मक भुगतान का एक तंत्र पेश करने का निर्णय लिया है।
- केंद्रीय बैंक के अनुसार, इस तंत्र के अंतर्गत चेक जारी करने के समय जारीकर्ता द्वारा पारित सूचना के आधार पर भुगतानकर्ता बैंक द्वारा भुगतान के लिए चेक संसाधित किए जाएंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र (बैंकिंग)

स्रोत- द हिंदू

अरुणाचल के मुख्यमंत्री खांडू ने स्वायत्त परिषद पर चर्चा की मांग की है।

खबरों में क्यों है?

- अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और दो स्वायत्त परिषदों, मोन स्वायत्त क्षेत्र (एम.ए.आर.) और पटकाई स्वायत्त परिषद (पी.ए.सी.) पर चर्चा करने की मांग की है, जिसने बहुत ही अप्रिय स्थिति को जन्म दे दिया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

मुद्दे

- अरूणाचल प्रदेश के दो छोरों में सीमांत राज्य में रूढ़िवादियों के बीच स्वायत्त परिषदों- पश्चिम में मोन स्वायत्त परिषद (एम.ए.आर.) और पूर्व में पटकाई स्वायत्त परिषद (पी.ए.सी.) के निर्माण की नए सिरे से मांग की गई है।
- मोन स्वायत्त क्षेत्र मांग समिति (एम.ए.आर.डी.सी.) के अनुसार, मोन स्वायत्त क्षेत्र के निर्माण की मांग, जो 2003 में शुरू हुई थी, आज भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक वर्ष बाद एक प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भारत सरकार के समक्ष लंबित है।
- राज्य विधानसभा ने पहले ही वर्ष 2004 में तरांग, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ तवांग और पश्चिम कामेंग की एक स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण को अपनाया और पारित कर दिया है और समान संदर्भ को केंद्र को भेज दिया है।
- हालांकि, वर्षों से कई कार्रवाइयों की श्रृंखला के बाद भी मांग लंबित है।

समिति

- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत मोन स्वायत्त क्षेत्र के गठन की मांग के बाद, केंद्र ने वर्ष 2014 में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
- समिति ने फरवरी, 2014 में तवांग का दौरा भी किया था और एम.ए.आर.डी.सी. और सिविल सोसायटी के सदस्य के सदस्यों से मुलाकात भी की थी।

संबंधित जानकारी

संविधान की छठी अनुसूची

- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान प्रदान करती है जिससे कि इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है।
- इसे वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यह स्वायत्त जिला परिषदों (ए.डी.सी.) के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहती है।
- ए.डी.सी., एक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय हैं, जिन्हें संविधान ने राज्य विधानसभा के भीतर स्वायत्तता की अलग-अलग कोटि प्रदान की है।
- यह संविधान सभा द्वारा गठित बोरदोलोई समिति की रिपोर्टों पर आधारित था।
- समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां पर प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी, जो आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करने की अनुमति प्रदान करे।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- इस रिपोर्ट को मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा इन जनजातीय क्षेत्रों का शोषण करने से सुरक्षा प्रदान करने हेतु और उनके विशिष्ट सामाजिक रीति-रिवाजों को संरक्षित करने तैयार किया गया था।
- यह एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों (ए.डी.सी.) के माध्यम से आदिवासियों को विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- ए.डी.सी., राज्य के भीतर वे जिले हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने राज्य विधानसभा के भीतर स्वायत्तता की अलग-अलग कोटि प्रदान की है।

ए.डी.सी. को नागरिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं

- ए.डी.सी. को नागरिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं और वे जनजातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम न्यायालय का गठन कर सकते हैं।
- छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल इनमें से प्रत्येक केस के लिए उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट करते हैं।
- परिषदों को राज्यपाल से उचित अनुमोदन के साथ भूमि, वन, मत्स्य पालन, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जैसे मामलों पर विधायी कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त है।
- केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका इन स्वायत्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से प्रतिबंधित हैं।
- इसके अतिरिक्त, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों को इन क्षेत्रों में तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के लिए कानूनों में संशोधन के साथ या संशोधन के बिना स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं।

इस संदर्भ में राज्यपाल की शक्ति

- इन राज्यों के राज्यपालों को जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित करने का अधिकार प्राप्त है।
- सरल शब्दों में, वह किसी भी क्षेत्र को शामिल करने या बाहर करने, सीमाओं को बढ़ाने या घटाने और दो या अधिक स्वायत्त जिलों को मिलाकर एक करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- वह एक पृथक कानून के बिना स्वायत्त क्षेत्रों के नामों को बदल सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू+द प्रिंट

कृषि अवसंरचना कोष

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रूपये की वित्तपोषण सुविधा शुरू की है।

कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई पैन इंडिया केंद्रीय क्षेत्र की योजना- कृषि अवसंरचना कोष को जुलाई, 2020 में मंजूरी प्रदान की थी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

उद्देश्य

- यह योजना ब्याज आर्थिक सहायता और वित्तीय समर्थन के माध्यम से फसल की कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने हेतु एक मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत निम्न को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा एक लाख करोड़ रूपए ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे:

A. प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पी.ए.सी.एस.)
B. विपणन सहकारी समितियाँ
C. किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)
D. स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)
E. किसान, संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)
F. बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ
G. कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप
H. समूहन अवसंरचना प्रदाता
I. केंद्रीय/ राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना

- इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ की सीमा तक 3% प्रति वर्ष की ब्याज आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- यह आर्थिक सहायता अधिकतम सात वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- इसके अतिरिक्त, 2 करोड़ रूपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के अंतर्गत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा।
- इस कोष का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
- वास्तविक समय की निगरानी और प्रभावी फीड-बैक सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों की स्थापना की जाएगी।
- इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 (10 वर्ष) तक होगी।

महत्व

- कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा के माध्यम से परियोजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- यह सभी योग्य संस्थाओं को कोष के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
- ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की पारदर्शिता जैसे लाभ भी प्रदान करेगा।
- यह योजना के अन्य लाभों के साथ समाकलन के अतिरिक्त तेजी से अनुमोदन प्रक्रिया में भी मदद करेगा।

नोट:

केंद्रीय क्षेत्र की योजना के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत, यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और केंद्र सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं मुख्य रूप से संघ सूची के विषयों पर तैयार की जाती हैं।
- केंद्रीय मंत्रालय, कुछ योजनाओं को सीधे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में लागू करते हैं, जिन्हें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं कहा जाता है लेकिन इन योजनाओं के अंतर्गत संसाधनों को सामान्यत: राज्यों को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि

स्रोत- द हिंदू

आर.बी.आई. की नई ऋण पुनर्संरचना योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, आर.बी.आई. ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में तनावग्रस्त ऋणप्राप्तकर्ताओं के लिए ऋण पुनर्संरचना योजना को हरी झंडी दी है।
- यह कंपनियों और व्यक्तियों को एकमुश्त ऋण पुनर्संरचना प्रदान करने वाली एक विशेष खिड़की है, यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों को विशेष रूप से राहत प्रदान करेगी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

योजना का लाभ किसे मिलेगा?

- केवल उन कंपनियों और व्यक्तियों को जिनके ऋण खाते 1 मार्च, 2020 तक अधिकतम 30 दिनों से डिफाल्ट पर हैं, वह भी एक बार के पुनर्संरचना के लिए पात्र हैं।
- कॉर्पोरेट ऋणप्राप्तकर्ताओं के लिए, बैंक 31 दिसंबर, 2020 तक एक संकल्प योजना शुरू कर सकते हैं और इसे 30 जून, 2021 तक लागू कर सकते हैं।
- ऐसे ऋण खातों को आह्वान की तारीख तक निरंतर रूप से मानक होना चाहिए।
- वन टाइम पुनर्गठन खिड़की सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है।

लाभ

- इससे उन कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो समय पर ऋण दायित्वों को पूरा कर रहीं थीं लेकिन मार्च के बाद ऐसा जारी रख पाना मुश्किल हो गया था क्यों कि महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया था।

यह योजना बैंकों को कैसे प्रभावित करेगी?

- बैंके, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) में वृद्धि को काफी हद तक जांचने में सक्षम होंगे।
- हालांकि, यह एन.पी.ए. को मौजूदा स्तरों से नीचे नहीं लाएगा।

इसे किस प्रकार लागू किया जाएगा?

- आर.बी.आई. ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के पूर्व अध्यक्ष के. वी. कामथ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो आवश्यक वित्तीय मापदंडों पर सिफारिशें करेगी।

संबंधित जानकारी

पहले की अन्य ऋण पुनर्संरचना योजना

रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना

- रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एस.डी.आर.) योजना के अंतर्गत, बैंकों को ऋण राशि को 51% इक्विटी में बदलने का अवसर प्रदान किया गया था, जिसे फर्म के व्यवहार्य होने के बाद अधिकतम बोलीदाता को बेचा जाना था।
- यह बैंकों की खराब ऋण समस्या को हल करने में उनकी मदद करने में असमर्थ थी क्यों कि व्यवहार्यता के मुद्दों के कारण इस उपाय के माध्यम से केवल दो बिक्री हुई है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की स्थायी संरचना (एस4ए)

- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की स्थायी संरचना (एस4ए) में, बैंक अवलेखन का अनुमोदन देने के अनिच्छुक थे क्यों कि ऐसा करने के लिए कोई प्रोत्साहन राशि नहीं थी और बड़े देनदारों के अवलेखन से बैंकों की पूंजी तक खत्म हो सकती थी।

5/25 योजना

- 5/25 योजना को रोक दिया गया था क्यों कि पुनर्वित्त ब्याज की उच्च दर पर किया गया था जिससे कि बैंक, ऋण राशि के कुल वर्तमान मूल्य को संरक्षित कर सकें।
- ऐसी धारणा थी कि यह बैंकों द्वारा एन.पी.ए. को कवर करने के लिए तैनात किए गए साधनों में से एक था।

परिसंपत्ति पुनर्संरचना योजना

- परिसंपत्ति पुनर्संरचना योजना में, प्रमुख समस्या यह थी कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ए.आर.सी.) को बैंकों से खरीदी गई परिसंपत्तियों को हल करना मुश्किल लग रहा था।
- इसलिए, वे कम कीमतों पर ही ऋण खरीदना चाहते थे।
- परिणामस्वरूप, बैंक उन्हें बड़े पैमाने पर ऋण बेचने के लिए अनिच्छुक थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)

खबरों में क्यों है?

- केंद्र ने कृषि क्षेत्र में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना के अंतर्गत राज्यों को 553 करोड़ रूपए जारी किए हैं।

कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन के संदर्भ में जानकारी

- कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.) को अप्रैल, 2014 में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कृषि यांत्रिकीकरण की समावेशी प्रगति करना था।
- वर्ष 2020-21 में, इस योजना के लिए 1033 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था, जिसमें से 553 करोड़ रूपए राज्य सरकारों को जारी किए गए थे।

लाभ

- कृषि यांत्रिकीकरण, समयबद्ध कृषि संचालन के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है और इनपुटों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करके परिचालन में कटौती करता है।
- व्यक्तिगत किसानों को मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि, स्रोत- द हिंदू

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

कृषि मेघ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने आई.सी.ए.आर. का डेटा बहाली केंद्र कृषि मेघ लॉन्च किया है।

कृषि मेघ के संदर्भ में जानकारी

- कृषि मेघ को राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एन.ए.एच.ई.पी.) के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्तपोषित है।
- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के डेटा की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया एक डेटा बहाली केंद्र है।
- इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एन.ए.ए.आर.एम.), हैदराबाद में की गई है।

उद्देश्य

- कृषि मेघ का उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जो नई शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप हैं।

महत्व

- इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एन.ए.एच.ई.पी.) के अंतर्गत की गई थी।
- यह नए भारत की डिजिटल कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है।

कृषि मेघ की मुख्य विशेषताएं

- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (एन.ए.आर.ई.एस.) की डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यक्ताओं को पूरा करने हेतु
- वर्ष 2012 के दौरान निर्मित मौजूदा डेटा केंद्र (आई.सी.ए.आर.-डी.सी.) को क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के साथ सशक्त किया जाएगा।
- एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद में आई.सी.ए.आर.- कृषि मेघ को नई दिल्ली के आई.सी.ए.आर.-आई.ए.एस.आर.आई. में आई.सी.ए.आर. डेटा केंद्र के साथ सिंक्रोनाइज किया गया है, इसका निर्माण जोखिम को कम करने, गुणवत्ता को बढ़ाने, ई-गवर्नेंस, अनुसंधान, भारत में कृषि के क्षेत्र में विस्तार और शिक्षा उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए किया गया था।
- एन.ए.ए.आर.एम., हैदराबाद को चुना गया है क्योंकि यह नई दिल्ली के आई.सी.ए.आर.-आई.ए.एस.आर.आई. में आई.सी.ए.आर. डेटा केंद्र के सापेक्ष विभिन्न भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- हैदराबाद भी उपयुक्त है क्यों कि अन्य उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों के साथ कुशल आई.टी. कार्यबल उपलब्ध है जैसे कि निम्न आर्द्रता स्तर जो डेटा केंद्र वातावरण में नियंत्रण करने योग्य है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- कृषि

स्रोत- पी.आई.बी.

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, वित्त मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एन.आई.पी.) हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है।

ऑनलाइन डैशबोर्ड के संदर्भ में जानकारी

- ऑनलाइन डैशबोर्ड, भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों हेतु वन-स्टॉप समाधान होगा।
- डैशबोर्ड को भारत निवेश ग्रिड (आई.आई.जी.) पर होस्ट किया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

भारत निवेश ग्रिड के संदर्भ में जानकारी

- यह एक संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जो देश में अपडेटेड और वास्तविक समय के निवेश के अवसरों को प्रदर्शित कर देता है।
- यह उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.), वाणिज्य मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधा एजेंसी की एक पहल है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संदर्भ में जानकारी

- यह केंद्र सरकार द्वारा 2020-25 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु अनावरण योजना है।
- केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में मदद करना है।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स ने वित्त वर्ष 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे निवेश का अनुमान लगाया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र, स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

पारदर्शी कराधान प्लेटफार्म

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने देश के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' शुरू किया है।

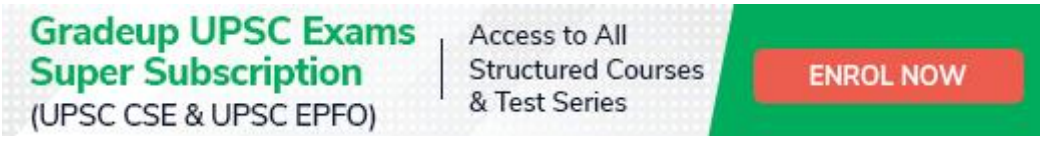

पारदर्शी कराधान प्लेटफार्म के संदर्भ में जानकारी

- प्लेटफार्म की तीन मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

A. फेसलेस मूल्यांकन
B. फेसलेस अपील
C. करदाताओं का घोषणापत्र

- फेसलेस मूल्यांकन और करदाता घोषणापत्र को लॉन्च के तुरंत बाद से लागू कर दिया जाएगा, जब कि फेसलेस अपील 25 सितंबर, 2020 से लागू होने जा रही है।

फेसलेस मूल्यांकन

- इसका उद्देश्य करदाता और आयकर विभाग के बीच इंटरफेस को समाप्त करना है।
- करदाता को आयकर कार्यालय या अधिकारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- विश्लेषिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाली प्रणाली के माध्यम से करदाता का चयन संभव है।

फेसलेस अपील

- इस प्रणाली के अंतर्गत, अपील देश में किसी भी अधिकारी को यादृच्छिक रूप से आवंटित की जाएगी। अपील निर्धारित करने वाले अधिकारी की पहचान अज्ञात रहेगी।

करदाता घोषणापत्र

- यह कर अधिकारियों और करदाताओं दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- पी.आई.बी.

मार्च, 2021 तक एम.एस.एम.ई. ऋण पुनर्संरचना की अनुमति प्रदान की गई है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने कोविड के प्रकोप से उत्पन्न संकट को देखते हुए तनावपूर्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए मौजूदा ऋण पुनर्संरचना योजना को तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

ऋण पुनर्संरचना योजना के संदर्भ में जानकारी

- इसका उद्देश्य 7 लाख योग्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करना है।
- आर.बी.आई. द्वारा घोषित योजना, एक वन टाइम योजना है, जिसमें ऋण की अवधि और ब्याज दर को एन.पी.ए. के रूप में परिसंपत्ति को वर्गीकृत किए बिना संशोधित किया जा सकता है।
- यह सुविधा केवल 25 करोड़ रूपये तक के मानक अग्रिमों हेतु उपलब्ध है।
- बैंकों को इन पुनर्संरचित ऋणों की ओर 5% का प्रावधान करने की आवश्यकता होगी।
- मौजूदा योजना के अनुसार, 1 जनवरी, 2020 तक ऋणप्राप्तकर्ता का खाता मानक होना था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

आर.बी.आई. ने सरकार को 57,000 करोड़ रूपये के लाभांश को मंजूरी प्रदान की है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सरकार को 57,000 करोड़ रूपये के लाभांश भुगतान की मंजूरी प्रदान की है।
- आर.बी.आई. बोर्ड ने केंद्र सरकार को लेखांकन वर्ष 2019-20 के लिए अधिशेष के रूप में 57,128 करोड़ रूपये के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है, केंद्रीय बैंक ने 5.5% की दर पर आकस्मिक जोखिम बफर को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

संबंधित जानकारी

- 1934 के आर.बी.आई. अधिनियम के अनुसार, "अधिशेष निधियों का आवंटन" अनुभाग, रिजर्व बैंक द्वारा अपने परिचालन से किए गए किसी भी मुनाफे को केंद्र को भेजे जाने के लिए अनिवार्य है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

आर.बी.आई. के आय के स्रोत क्या हैं?

i. वित्तीय बाजारों में आर.बी.आई. के संचालन से एक महत्वपूर्ण हिस्सा तब आता है, जब वह विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के आग्रह के लिए हस्तक्षेप करता है।
ii. खुला बाजार परिचालन तब होता है, जब वह रूपये को गिरने से रोकने का प्रयास करता है।
iii. सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त धन को आय के रूप में रखता है।
iv. अपनी उन विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से रिटर्न के रूप में जो विदेशी केंद्रीय बैंकों या शीर्ष रेटेड प्रतिभूतियों के बॉन्ड में निवेश की गई हैं।
v. अन्य केंद्रीय बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक या बी.आई.एस. के पास जमा राशि से
vi. बैंको को बहुत कम समयावधि के लिए ऋण देना और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के ऋणों को रख-रखाव के लिए प्रबंधन आयोग
vii. केंद्रीय बैंक की कुल लागत, जिसमें मुद्रण और कमीशन प्रारूपों पर व्यय शामिल है, यह अपनी कुल सकल ब्याज आय का केवल 1/7वां हिस्सा है।

नोट:

- पिछले वर्ष आर.बी.आई. बोर्ड ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में आर्थिक पूंजी ढांचे (ई.सी.एफ.) की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसमें केंद्रीय बोर्ड को 1.23 लाख करोड़ रूपये और वर्षों में किए गए अतिरिक्त प्रावधानों के 52,637 करोड़ रूपये के अधिशेष को हस्तांतरित करने का आह्वान किया गया था।
- ऐसा पहली बार है जब आर.बी.आई. एक बार के हस्तांतरण में इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर रहा है।

आर्थिक पूंजी ढांचे के संदर्भ में जानकारी

- आर्थिक पूंजी ढांचा, आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत किए जाने वाले जोखिम प्रावधानों और लाभ वितरण के उचित स्तर का निर्धारण करने के लिए एक पद्धति प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

'पॉजिटिव पे' तंत्र

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 'पॉजिटिव पे' तंत्र पेश किया है, जो चेक भुगतान को सुरक्षित बनाएगा और धोखाधड़ी के मामलों को कम करेगा।
- जारीकर्ता अपने बैंक को संपूर्ण विवरण भेजने में सक्षम होंगे, जिससे 50,000 रूपये से अधिक मूल्य के चेक की तेज निकासी सुनिश्चित होगी।

पॉजिटिव पे तंत्र क्या है?

- 'पॉजिटिव पे', ग्राहकों को जाली, बदली हुई या नकली चेकों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाया गया एक धोखाधड़ी का पता लगाने वाला उपकरण है।
- यह लाभार्थी द्वारा नकदी प्राप्त करने से पहले जारी किए गए चेक के संपूर्ण विवरणों को सत्यापित करता है।
- मेल न खाने के मामले में, जांच के लिए चेक वापस जारीकर्ता को भेजा जाता है।

महत्व

- इस प्रकार की प्रणाली का अनुसरण करने से, बैंक को लाभार्थी द्वारा ग्राहक के खाते में चेक जमा करने से पहले ही ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक के संदर्भ पता चल जाता है।

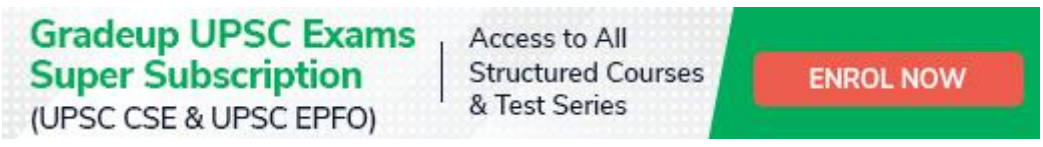

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र (बैंकिंग प्रणाली)

स्रोत- ई.टी.

नाबार्ड ने एनबीएफसी-एमएफआई उद्योग के लिए ऋण गारंटी कार्यक्रम शुरू किया

समाचार में क्यों?

- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एक समर्पित ऋण और ब्याज गारंटी उत्पाद की शुरुआत की है जिससे कोविड-19 महामारी की वजह से बुरी तरह से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रुकावट के ऋण प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।

संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम के बारे में

- यह छोटे और मध्यम आकार के सूक्ष्मवित्त संस्थानों (एमएफआई) को दिए गए एकत्रित लोन पर आंशिक गारंटी प्रदान करने पर जोर देता है।
- यह आरंभिक अवस्था में रु. 2,500 करोड़ के वित्तयन में प्रोत्साहन को मदद देगी। बाद में इसके और भी बढ़ने की संभावना है।
- इस कार्यक्रम के 28 राज्यों और 650 जिलों में 10 लाख से ज्यादा परिवारों को शामिल करने की संभावना है।
- यह पूंजी की लागत को घटाने में मदद करता है क्योंकि ऋणों की रेटिंग बढ़ जाती है और ऋणदाता को प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम लेन-देन के लिए नाबार्ड और विवरिती ने उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है।

संबंधित सूचना

नाबार्ड के बारे में

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को लोकप्रिय तौर पर नाबार्ड कहते हैं।
- नाबार्ड को देश में सर्वोच्च बैंक के रूप में अविहित किया गया है।
- इस राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1982 में संसद के विशेष कानून के द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य कृषि, कुटीर, हस्तशिल्प, लघु उद्योगों और ग्राम्य उद्योगों में ऋण प्रवाह को प्रदान करके ग्रामीण भारत का उन्नयन करना था।
- यह गैर-कृषि क्षेत्र को भी समर्थन प्रदान करता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है।
- नाबार्ड भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धता हासिल करने के लिए सतत ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

नाबार्ड के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

- नाबार्ड कृषि को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करके ग्रामीण विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। यह लघु उद्योगों को सभी जरूरी वित्त और सहायता प्रदान करती है।
- नाबार्ड राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि को बढ़ावा देता है।
- कृषीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करके यह लघु और सूक्ष्म सिंचाई में सुधार करता है।
- यह कृषि, ग्रामीण उद्योगों में शोध और विकास का कार्य करता है।

टॉपिक- सामान्य अध्ययन तृतीय- अर्थव्यवस्था

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

निर्यात तत्परता सूचकांक 2020

खबरों में क्यों है?

- प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने पहला निर्यात तत्परता सूचकांक (ई.पी.आई.) 2020 जारी किया है।

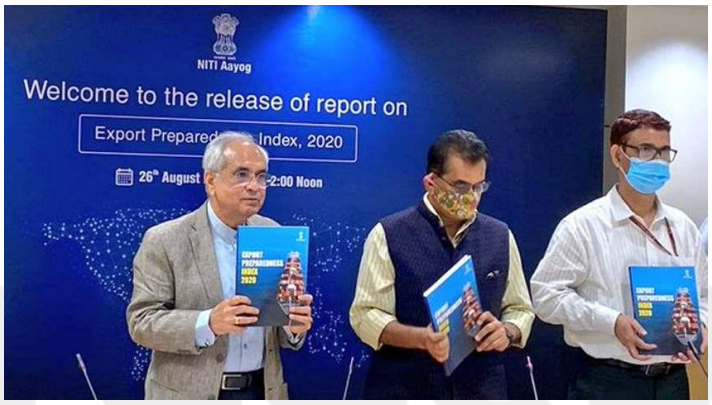

निर्यात तत्परता सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- निर्यात तत्परता सूचकांक, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और एक सुविधाजनक विनियामक ढांचे को प्रोत्साहित करने का इरादा रखता है।

यह सूचकांक राज्यों को चार प्रमुख मापदंडों पर स्थान प्रदान करता है:

a. नीति
b. व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र
c. निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र
d. निर्यात प्रदर्शन

सूचकांक में 11 उप-स्तंभों पर भी विचार किया गया है:

a. निर्यात संवर्धन नीति
b. संस्थागत ढांचा
c. व्यापारिक वातावरण
d. अवसंरचना
e. परिवहन कनेक्टिविटी
f. वित्त तक पहुँच
g. निर्यात अवसंरचना
h. व्यापार समर्थन
i. आर एंड डी अवसंरचना
j. निर्यात विविधीकरण

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

k. प्रगति अभिविन्यास

सूचकांक के निष्कर्ष

- गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सक्षमता और सुविधाजनक कारकों की उपस्थिति का संकेत देता है।
- स्थलसीमा राज्यों में, राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।
- हिमालयी राज्यों में, उत्तराखंड चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में, दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड दो स्थलसीमा राज्य हैं, जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि समान प्रकार की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य राज्य, छत्तीसगढ़ और झारखंड द्वारा उठाए गए उपायों पर नजर डाल सकते हैं और अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्हें लागू करने का प्रयास कर सकते हैं।
- नीतिगत मापदंडों पर, महाराष्ट्र सूचकांक में शीर्ष पर है, इसके बाद गुजरात और झारखंड का स्थान है।
- व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र मापदंडों पर, गुजरात को प्रथम स्थान प्रदान किया है, उसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु के स्थान हैं।
- निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र मापदंड में, महाराष्ट्र सूचकांक में शीर्ष पर है, इसके बाद ओडिशा और राजस्थान का स्थान है।
- निर्यात प्रदर्शन मापदंड पर, मिजोरम ने सूचकांक का नेतृत्व किया है, जिसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में भारत के 70 प्रतिशत निर्यात पर पांच राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का प्रभुत्व है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

महत्वपूर्ण रिपोर्ट, समितियां एवं योजनायें

महामारी के कारण 24 लाख बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं: यू.एन.

खबरों में क्यों है?

- शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की संक्षिप्त नीति के अनुसार, कोविड-19 के कारण आर्थिक विफलता के कारण अगले वर्ष लगभग 24 मिलियन बच्चों पर स्कूल नहीं लौटने का जोखिम है।
- शैक्षिक वित्तपोषण का अंतर भी एक तिहाई बढ़ने की संभावना है।

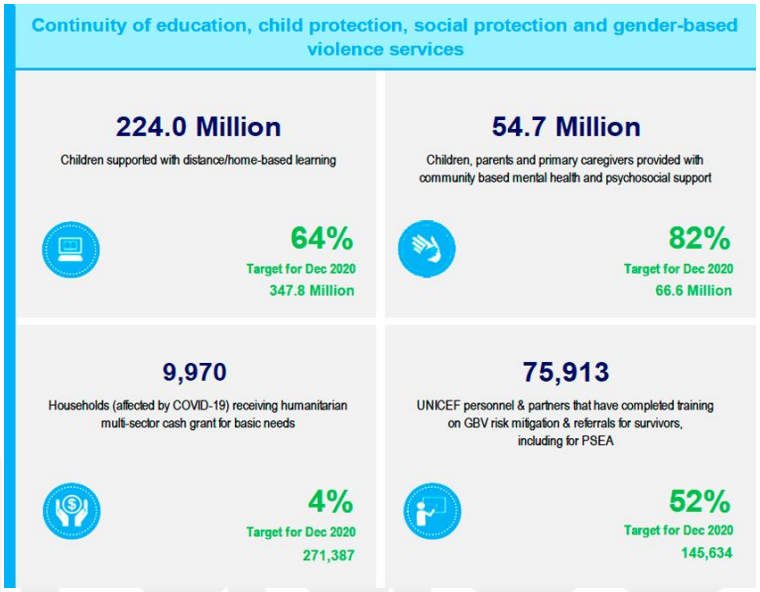

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- दुनिया भर में 1.6 अरब से अधिक शिक्षार्थी शिक्षा प्रणाली के विघटन से प्रभावित हुए हैं, लेकिन महामारी ने मौजूदा असमानताओं को कम करने के लिए कार्य किया है, कम आय वाले देशों में कमजोर आबादी पर इसके कठिन और दीर्घकालिक प्रभाव हैं।
- उदाहरण के लिए, 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान, उच्च विकसित देशों में सिर्फ 20% की तुलना में प्राथमिक स्तर पर 86% बच्चे गरीब देश में प्रभावी रूप से स्कूल से बाहर हो गए हैं।
- यूनेस्को का अनुमान है कि 23.8 मिलियन अतिरिक्त बच्चे और युवा [पूर्व-प्राथमिक से तृतीयक तक] केवल महामारी आर्थिक प्रभाव के कारण अगले वर्ष स्कूल छोड़ सकते हैं या उन्हें स्कूल तक पहुँच नहीं प्राप्त हो सकती है।
- स्कूल बंद होने के बाद अपनी शिक्षा पर वापस नहीं लौटने वाले बच्चों की संख्या और भी अधिक होने की संभावना है।
- लड़कियों और युवा महिलाओं के असंतुष्ट रूप से प्रभावित होने की संभावना है क्यों कि स्कूल बंद होने से वे बाल विवाह, प्रारंभिक गर्भावस्था और लिंग आधारित हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
- यहां तक कि उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा है, विशेष रूप से शिक्षा के बुनियादी वर्षों में उनके अधिगम की हानि काफी गंभीर हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन (पीसा) कार्यक्रम में भाग लेने वाले विकासशील देशों के सतत अनुकरण से पता चलता है कि बिना उपचार के ग्रेड 3 के दौरान एक-तिहाई [तीन महीने के स्कूल बंद होने के

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

बराबर] अधिगम का नुकसान होने के परिणामस्वरूप 72% छात्र इतना पीछे जा सकते हैं कि ग्रेड 10 तक वे स्कूल छोड़ सकते हैं या स्कूल में कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं होंगे।

भारत में स्कूली बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की दर

- अपनी उच्च जनजातीय आबादी के साथ, झारखंड में भारत में स्कूली बच्चों के लिए अधिकतम ड्रॉपआउट दर (100 में से केवल 30 बच्चे स्कूल पूरा करते हैं) है।
- भारत में औसतन रूप से 100 बच्चों के प्रारंभिक नामांकन पर केवल 70 बच्चे ही स्कूली शिक्षा पूरी करते हैं।
- जब कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों की संख्या (94) अधिक है, माध्यमिक स्तर के दौरान कई बच्चे ड्रॉप आउट (75 छोड़ देते हैं) होते हैं।
- आदिवासियों में ड्रॉपआउट दर सभी समुदायों में सबसे अधिक होती है।
- सभी समुदायों के बीच, 100 एस.टी. छात्रों में से केवल 61 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करते हैं।
- झारखंड के विपरीत, जिन राज्यों में ड्रॉपआउट दरें सबसे कम हैं, वे राज्य तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
- एक वर्ष में 100 से पदोन्नति और पुनरावृत्ति दर के योग को घटाकर उच्च ड्रॉपआउट दर की गणना की जाती है।
- आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- शिक्षा (महत्वपूर्ण रिपोर्ट)

स्रोत- द हिंदू

के. वी. कामथ समिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए मानदंडों पर सिफारिशें करने हेतु अनुभवी बैंकर के. वी. कामथ की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

के. वी. कामथ समिति के संदर्भ में जानकारी

- यह समिति, आर.बी.आई. को वित्तीय मापदंडों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी, जो बदले में 30 दिनों में संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, सिफारिशों को अधिसूचित करेगी।
- समिति के अन्य सदस्यों में दिवाकर गुप्ता, टी. एन. मनोहरन, अश्विन पारेख और सुनील मेहता, भारतीय बैंक संघ के सी.ई.ओ. सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और समिति किसी भी व्यक्ति से परामर्श करने या उसे आमंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सशक्त होगी जिसे वह उपयुक्त मानती है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

संबंधित जानकारी

भारतीय बैंक संघ के संदर्भ में जानकारी

- इसका गठन 26 सितंबर, 1946 को भारत में संचालित बैंकिंग के प्रबंधन के प्रतिनिधि निकाय के रूप में किया गया था, जो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का संघ है और यह मुंबई में स्थित है।
- 1946 में भारत में 22 बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रारंभिक सदस्यता के साथ, आई.बी.ए. वर्तमान में भारत में कार्यरत 237 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।
- आई.बी.ए. का गठन भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय और सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया था और कई प्रकार से सदस्य बैंकों की सहायता करने हेतु इसका गठन किया गया था, जिसमें नई प्रणालियों का कार्यान्वयन और सदस्यों के बीच मानकों को अपनाना शामिल है।

संरचना

- भारतीय बैंक संघ का प्रबंधन एक प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है और वर्तमान प्रबंधन समिति में एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक माननीय सचिव और 26 सदस्य हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

पी.एम. स्वनिधि

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 02 जुलाई, 2020 को ऋण देने की प्रक्रिया शुरू होने के 41 दिनों के भीतर पी.एम. स्ट्रीट वेंडरों की आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना के अंतर्गत मंजूरी दिए गए ऋणों की संख्या और प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 1 लाख और 5 लाख के स्तर को पार कर गई है।

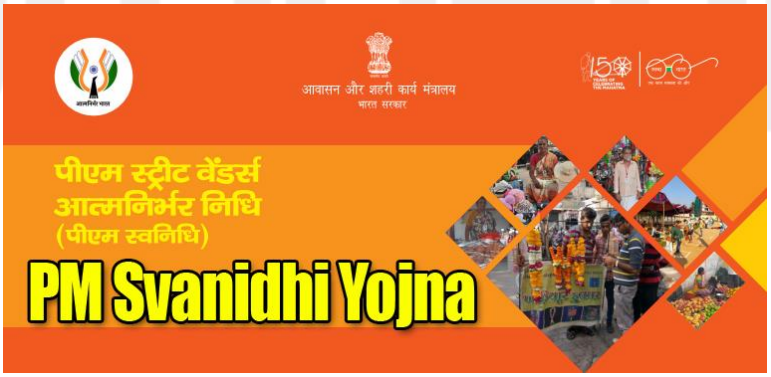

पी.एम.-स्वनिधि के संदर्भ में जानकारी

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत पी.एम. स्वनिधि योजना शुरू की गई है।
- इसका लक्ष्य 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रूपये तक संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पुन: अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यह शहरी क्षेत्रों में लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को शामिल करता है, जिनमें आसपास के अर्द्ध-शहरी/ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शामिल हैं।

योजना की विशेषताएं

- प्रोत्साहन राशि, ऋण के नियमित पुनर्भुगतान पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर प्रतिवर्ष 1,200 रूपये तक का कैशबैक प्रदान किया जाएगा।
- ऋण की अगली किश्त बढ़ाने की पात्रता भी प्रदान की गई है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), इस योजना की कार्यान्वयन भागीदार है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एच.एम.) लॉन्च किया है।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का दृष्टिकोण

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का दृष्टिकोण, एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो सभी नागरिकों को समावेशी, किफायती और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल के लिए समयबद्ध और कुशल पहुँच प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आई.डी. प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य आई.डी., एक व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का भंडार होगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के अनुसार, प्रत्येक मरीज जो अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना चाहते हैं, उन्हें हेल्थ आई.डी. बनाकर शुरूआत करनी होगी।
- प्रत्येक स्वास्थ्य आई.डी., एक स्वास्थ्य डेटा सहमति प्रबंधक से संबंद्ध होगी- जैसे कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एन.डी.एम.एच.) है - जिसका उपयोग रोगी की सहमति लेने और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड मॉड्यूल से स्वास्थ्य जानकारी के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देने के लिए किया जाएगा।
- इस स्वास्थ्य आई.डी. को एक व्यक्ति के मूल विवरण और मोबाइल नंबर या आधार नंबर का उपयोग करके बनाया गया है।
- यह उस व्यक्ति के लिए अद्वितीय होगी, जिसके पास अपने सभी स्वास्थ्य रिकॉर्डों को इस आई.डी. से लिंक करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

स्वास्थ्य आई.डी. के लिए मूल प्रस्ताव क्या था?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक प्रणाली के निर्माण की परिकल्पना की थी, जिसका उद्देश्य एक ऐसी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करना है, जो सभी हितधारकों की आवश्यक्ताओं को पूरा करने और सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा के साथ दक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- इसके संदर्भ में जून, 2018 में केंद्र सरकार के प्रबुद्ध मंडल, नीति आयोग ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक डिजिटल मेरूदंड- राष्ट्रीय स्वास्थ्य भंडारण का परामर्श जारी किया था।

लाभ

- यह रोकने योग्य चिकित्सा त्रुटियों के जोखिम को कम करने और देखभाल की गुणवत्ता में काफी वृद्धि करने में बहुत मदद करेगा।
- यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को "अपने स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों का अनुदैर्ध्य दृश्य प्राप्त करने में" सक्षम बनाएगी।
- यह "सभी के लिए डिजिटल हेल्थकेयर को सक्षम बनाकर भारत को एक डिजिटल स्वास्थ्य राष्ट्र बनाने" के लिए पिछले महीने एक रणनीति अवलोकन दस्तावेज तैयार करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य आई.डी. किन प्रणालियों के साथ सहभागिता करती है?

- परिकल्पना के अनुसार, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं- जैसे अस्पताल, प्रयोगशालाएं, बीमा कंपनियां, ऑनलाइन फ़ार्मेसी, टेलीमेडिसिन फ़र्मों के स्वास्थ्य आई.डी. प्रणाली में भाग लेने की उम्मीद की जाएगी।

संबंधित जानकारी

वैश्विक केंद्रीकृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली

- वर्ष 2005 में, यू.के. की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एन.एच.एस.) ने वर्ष 2010 तक सभी रोगियों को केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ संलग्न करने के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली की तैनाती शुरू की थी।
- जब कि कई अस्पतालों ने इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रोगी रिकॉर्ड प्रणाली का अधिग्रहण किया था, वहाँ कोई भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सूचना विनिमय नहीं था।
- यू.के. करदाता की लागत 12 बिलियन पाउंड से अधिक होने के बाद कार्यक्रम को अंततः समाप्त कर दिया गया था और इसे सबसे महंगी स्वास्थ्य देखभाल आई.टी. विफलताओं में से एक माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

'महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु' पर समिति

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को अपने संबोधन के दौरान कहा है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किस समिति का उल्लेख किया है?

- समिति की अध्यक्षता जया जेटली (पूर्व समता पार्टी अध्यक्ष) करेंगी, समिति में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, डॉ. विनोद पॉल और भारत सरकार के कई सचिव शामिल हैं।
- समिति या टास्क फोर्स मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर अनुपात को कम करने की अनिवार्यता और महिलाओं के बीच पोषण स्तर में सुधार करने से संबंधित मामलों की जांच करती है।
- टास्क फोर्स गर्भावस्था, जन्म और उसके बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा और मां और नवजात शिशु, नवजात या बच्चे के पोषण स्तर के साथ विवाह और मातृत्व की आयु के सहसंबंध की जांच करेगी।
- वे शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.), कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.), जन्म के समय लिंग अनुपात (एस.आर.बी.) और बाल लिंग अनुपात (सी.एस.आर.) जैसे प्रमुख मापदंडों की जांच करेंगे।
- यह समिति महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर वर्तमान 18 वर्ष से 21 वर्ष तक करने की संभावना की भी जांच करेंगे।

शादी के लिए न्यूनतम आयु क्यों है?

- यह कानून अनिवार्य रूप से बाल विवाह को गैरकानूनी बनाने और नाबालिगों के शोषण को रोकने के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है।
- विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के अपने मानक हैं, जो प्राय: परंपराओं को दर्शाते हैं।

हिंदू में

- हिंदुओं के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) में दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, बाल विवाह गैरकानूनी नहीं हैं- यद्यपि उन्हें शादी में नाबालिग के अनुरोध पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है।

इस्लाम में

- इस्लाम में, एक नाबालिग, जो यौवन प्राप्त कर चुका है, का विवाह वैध माना जाता है।

सामान्य कानून में

- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरूषों के लिए विवाह हेतु सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करता है।
- इसके अतिरिक्त, नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार है और नाबालिग की 'सहमति' को अमान्य माना जाता है क्यों कि उसे इस आयु में सहमति देने में असमर्थ माना जाता है।

यह कानून कैसे विकसित हुआ है?

- भारतीय दंड संहिता ने 1860 में 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने को आपराधिक माना था।
- 1927 में सम्मति-आयु विधेयक, 1927 के माध्यम से बलात्कार के प्रावधान में संशोधन किया गया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ विवाह करना अमान्य होगा।
- इस कानून को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूढ़िवादी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने ब्रिटिश हस्तक्षेप को हिंदू रीति-रिवाजों पर हमले के रूप में देखा था।
- भारत में शादी के लिए सहमति की उम्र के लिए एक कानूनी ढांचा केवल 1880 के दशक में शुरू हुआ था।

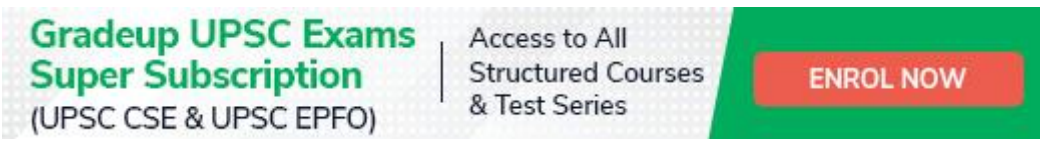

- वर्ष 1929 में, बाल विवाह निरोधक अधिनियम ने क्रमशः लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 16 और 18 वर्ष निर्धारित की थी।
- इस कानून को लोकप्रिय रूप से इसके प्रायोजक आर्य समाज के सदस्य और एक न्यायाधीश, हरबिलास सारदा के नाम से जाना जाता है, इसे अंततः वर्ष 1978 में एक महिला और एक पुरूष के लिए शादी की उम्र को 18 और 21 वर्ष निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया था।

कानून की अनदेखी क्यों की जा रही है?

- महिलाओं में प्रारंभिक गर्भावस्था के जोखिमों को कम करने के लिए लिंग-तटस्थता लाने से लेकर महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के पक्ष में कई तर्क हैं।
- प्रारंभिक गर्भावस्था बढ़ी हुई बाल मृत्यु दर से संबंधित है और मां के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

कोर्ट का दृष्टिकोण

- पिछले वर्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एक याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें पुरूषों और महिलाओं के लिए विवाह के लिए एक समान आयु की मांग की गई थी।

समानता से संबंधित निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण फैसले याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन करने के लिए मिसाल के तौर पर काम कर सकते हैं।

- वर्ष 2014 में, 'भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ' केस में, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देते हुए कहा था कि न्याय "इस धारणा के साथ किया जाता है कि मनुष्यों का समान मूल्य होना चाहिए और इसलिए उन्हें समान कानूनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है"।
- वर्ष 2019 में, 'जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ' में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को आपराधिक बना दिया था और कहा था कि "जो कानून महिलाओं के साथ लिंग रूढ़ियों के आधार पर अलग-अलग व्यवहार करता है, वह महिलाओं की गरिमा के विपरीत है"।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महिला सशक्तीकरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक का दूसरा संस्करण सर्फशार्क द्वारा जारी किया गया था।

जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- यह 85 देशों (डिजिटल जनसंख्या का 81%) में डिजिटल भलाई की गुणवत्ता पर एक वैश्विक शोध है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

मापदंड

अध्ययन उन पाँच मूलभूत स्तंभों के आधार पर देशों को सूचकांक में स्थान प्रदान करता है, जो जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं:

1) इंटरनेट की सामर्थ्य
2) इंटरनेट की गुणवत्ता
3) इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना
4) इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा
5) इलेक्ट्रॉनिक सरकार

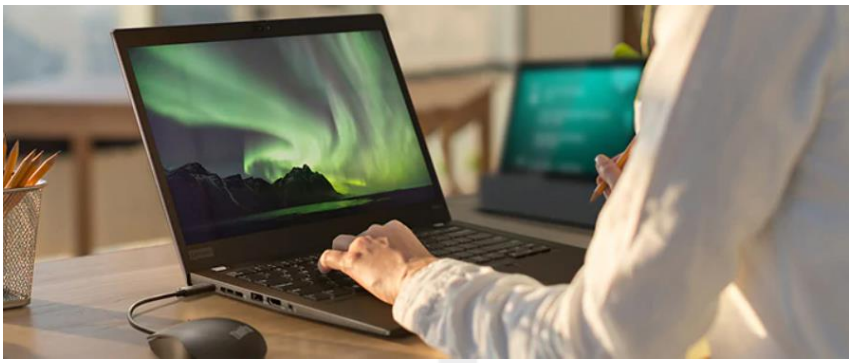

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- दक्षिणी एशिया में 35% (वैश्विक रूप से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र) की तुलना में स्कैंडिनेविया में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक अर्थात 95% है।
- उच्च सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) अनुकूलन दर और इंटरनेट के उपयोग वाले देशों में इंटरनेट की गति (मोबाइल और ब्रॉडबैंड) अधिक है।

वैश्विक रैंकिंग

- जीवन की अधिकतम डिजिटल गुणवत्ता वाले 10 में से 7 देश, यूरोप में हैं।
- कनाडा, अमेरिका में सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाले देश के रूप में उभरकर सामने आया है, जब कि जापान ने एशिया में अग्रणी स्थान ग्रहण किया है।

भारतीय रैंकिंग: भारत, 85 देशों में 57वे समग्र स्थान पर है।

- इंटरनेट सामर्थ्य: 9वें स्थान पर है और यू.के., अमेरिका और चीन जैसे देशों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- इंटरनेट गुणवत्ता: 78वें स्थान पर है और स्तंभ के लगभग निचले भाग में है।
- ई-अवसंरचना: ग्वाटेमाला और श्रीलंका जैसे देशों के नीचे और 79वें स्थान पर है।
- इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा: इसमें भारत का 57वाँ स्थान है, इसमें भारत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से ऊपर है।
- इलेक्ट्रॉनिक सरकार: 15वां स्थान और भारत, ब्रिक्स और सार्क देशों में पहले स्थान पर है।

संबंधित जानकारी

इंटरनेट से संबंधित सरकारी पहल

- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, जो नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने में मदद करता है।
- भारत नेट कार्यक्रम, जो सभी ग्राम पंचायतों में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रदान करता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जो भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करने हेतु एक छात्रीय कार्यक्रम है।
- डिजिलॉकर, जो भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है।
- भीम ऐप, जो डिजिटल भुगतान को सक्षम करने में मदद करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय परिषद के संदर्भ में जानकारी

- इस परिषद का गठन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत किया गया है।
- परिषद में स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक मामलों, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के सदस्य भी शामिल होंगे।
- मंत्रालयों के अतिरिक्त, परिषद में मानवाधिकार आयोगों, नीति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे।
- समुदाय से पांच मनोनीत सदस्य भी परिषद का हिस्सा हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

परिषद के कार्य

1. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना
2. सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना
3. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना
4. ट्रांसजेंडरों की समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना
5. केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों को करना

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

चुनाव आयुक्त

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

संबंधित जानकारी

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

- मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास है।
- अनुच्छेद में कहा गया है कि "राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की संख्या को इस प्रकार से निर्धारित करेगा कि वह उसे संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन उपयुक्त प्रतीत हो।"
- इस प्रकार, अनुच्छेद 324(2) ने संसद को मुद्दे पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र रखा है।

प्रक्रिया

- चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

कार्यकाल

- वे छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पद भार ग्रहण करते हैं, जो भी पहले हो।
- वे किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल की समाप्ति से पहले उन्हें हटाया भी जा सकता है।

नोट:

- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की है।
- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी भविष्य की नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है।

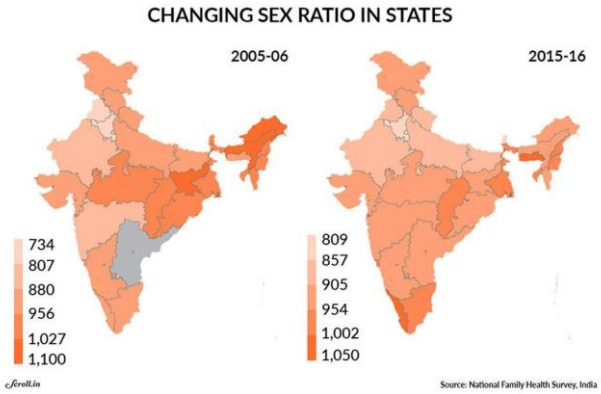

भारत में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति पर रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी

- इसे जनसंख्या एवं विकास हेतु भारतीय सांसद संघ (आई.ए.पी.पी.डी.) द्वारा लाया गया था।

प्रमुख विशेषताएं

- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2001-2017 तक भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या, सामान्य या प्राकृतिक मानदंड की तुलना में बहुत कम है।

संबंधित जानकारी

जनसंख्या एवं विकास पर भारतीय सांसद संघ (आई.ए.पी.पी.डी.) के संदर्भ में जानकारी

- यह वर्ष 1978 में स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- इस संगठन का गठन निर्बाध विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की गति को नियंत्रित करने की अनिवार्यता के साथ किया गया था।
- यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार सुनिश्चित करने और जनसंख्या और विकास के बीच एक उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
- इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, विशेष रूप से एशिया में, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और विशेष एजेंसियों के साथ इसके संबंध और पहुँच है।

आई.ए.पी.पी.डी. निम्नलिखित मंचों और संघों का एक संबद्ध निकाय है:

A. जनसंख्या एवं विकास पर वैश्विक सांसद मंच, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
B. जनसंख्या एवं विकास पर एशियाई सांसद मंच, ए.एफ.पी.पी.डी. बैंकॉक, थाईलैंड
C. एशियाई जनसंख्या एवं विकास संघ, ए.पी.डी.ए. टोक्यो, जापान
D. अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सांसद संगठन (आई.एम.पी.ओ.)

टॉपिक- जी.एस. पेपर II- महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- द हिंदू

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)- राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन ने सफल कार्यान्वयन के छह वर्ष पूरे किए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के संदर्भ में जानकारी

- इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी।
- इसे 28 अगस्त को लॉन्च किया गया था।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) एक किफायती ढंग से वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग/ बचत/ जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है।

उद्देश्य

- किफायती लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना
- कम लागत और व्यापक पहुंच तक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

प्रारंभिक विशेषताएं

यह योजना निम्नलिखित 6 स्तंभों के आधार पर शुरू की गई थी:

- **बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच**- शाखा और बी.सी.
- प्रत्येक परिवार को 10000 रूपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम-** बचत, ए.टी.एम. के उपयोग, ऋण के लिए तैयार रहने, बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बेसिक मोबाइल फोन के उपयोग को बढ़ावा देना
- **क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण-** बैंकों को डिफाल्ट के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना
- **बीमा**- 15 अगस्त, 2014 से 31 जनवरी, 2015 के बीच खोले गए खातों के लिए 1 लाख रूपए का दुर्घटना कवर और 30000 रूपए का लाइफ कवर
- असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना

नई सुविधाओं के साथ पी.एम.जे.डी.वाई. का विस्तार

- सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ व्यापक पी.एम.जे.डी.वाई. कार्यक्रम को 28.08.2018 से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

a) **इसका ध्यान "प्रत्येक परिवार" से "प्रत्येक अनबैंक्ड वयस्क" पर केंद्रित है।**

b) रूपे कार्ड बीमा- 28.08.2018 के बाद खोले गए पी.एम.जे.डी.वाई. खातों के लिए रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रूपए से बढ़कर 2 लाख रूपए हो गया है। रु से बढ़ गया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

c) ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि -
d) ओवर ड्राफ्ट की सीमा 5,000/- रूपये से दोगुनी होकर 10,000/- रूपये, ओ.डी. 2,000/- तक (बिना शर्तों के) तक हो गई है।
e) ओ.डी. के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 60 से 65 वर्ष कर दिया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- पी.आई.बी.

विश्व बैंक डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट का प्रकाशन रोकेगा

ख़बरों में क्यों है?

- विश्व बैंक ने हाल ही में **डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट का प्रकाशन** पर रोक लगा दी है जिसमें ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रैंकिंग दी होती है।

रोकने के पीछे का कारण

- रैंकिंग के प्रकाशन के प्रभावी निलंबन की इस घोषणा के पीछे कारण अक्तूबर 2017 और अक्तूबर 2019 में प्रकाशित 2018 और 2020 रिपोर्ट में आंकड़ों में परिवर्तन के संबंध में अनियमितताओं की शिकायत थी।
- विश्व बैंक के अनुसार, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश अज़रबैजान, चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- भारत आंकड़ों की अनियमितता से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में शामिल नहीं है।

संबंधित जानकारी

ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट के बारे में

- इस रिपोर्ट की शुरुआत 2003 में हुई थी।
- डुईंग बिज़नेस आकलन व्यवसाय नियमों की उद्देश्यात्मक विधियाँ और 190 अर्थव्यवस्थाओं में किसी व्यवसाय को इसके जीवन चक्र में प्रभावित करने वाले 10 मापदंडों पर उनका क्रियान्वयन प्रदान करता है।
- डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट देशों को सीमा से दूरी (DTF) के आधार पर रैंक देता है, यह एक स्कोर है जो किसी अर्थव्यवस्था की वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों से अंतर को दर्शाता है।
- यह रिपोर्ट 10 भिन्न मापदंडों पर देशों के प्रदर्शन का आकलन करना है, ये मापदंड निम्न हैं –
- व्यवसाय शुरू करना
- निर्माण अनुमतियाँ प्राप्त करना
- बिजली की उपलब्धता

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- संपत्ति का पंजीकरण
- ऋण की उपलब्धता
- अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना
- करों का भुगतान करना
- सीमापार व्यापार करना
- अनुबंध का क्रियान्वयन
- दिवालियापन का समाधान करना

रैंकिंग की प्रक्रिया

यह देशों को सीमा से दूरी (DTF) स्कोर के आधार पर रैंकिंग देता है जो किसी अर्थव्यवस्था की वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के सापेक्ष दूरी को रेखांकित करता है।

उदाहरण के लिए, 75 स्कोर का अर्थ है कि कोई अर्थव्यवस्था सभी अर्थव्यवस्थाओं और सभी समयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों से निर्मित सीमा से 25 प्रतिशत अंक दूर थी।

ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2020

ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रिपोर्ट में 190 देशों में से भारत को 63वें पायदान पर रखा गया है जो वर्ष 2018 में अपने 77वें स्थान से 14 अंकों का सुधार है।

भारत का सीमा से दूरी स्कोर पिछले वर्ष के 67.23 से बढ़कर 71.0 हो गया है।

भारत लगातार तीसरे वर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल था जहाँ व्यवसाय परिदृश्य में सबसे अधिक सुधार हुआ है।

इस वर्ष भारत के प्रदर्शन के महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं –

व्यवसाय शुरू करना – भारत ने कई आवेदन फॉर्म को एक साधारण निगमन फॉर्म में पूरी तरह एकीकृत कर व्यवसाय शुरू करना आसान बनाया है।

दिवालियापन का समाधान करना – दिवालियापन का समाधान करने के तहत वसूली की दर 26.5% से बहुत सुधरकर 71.6% हुई है। साथ ही, दिवालियापन को दूर करने में लगने वाले समय भी 4.3 वर्ष से काफी घटकर 1.6 वर्ष हो गया है।

निर्माण अनुमतियों से निपटना – उदाहरण के लिए, किसी गोदाम का निर्माण करने की लागत पिछले वर्ष के 5.7% की तुलना में गोदाम कीमत का 4% है।

सीमापार व्यापार करना – एकल इलेक्ट्रॉनिक मंच- दस्तावेज़ों को जमा करने की बेहतर इलेक्ट्रॉनिक जमा विधि और बंदरगाह अवसंरचना में उन्नयन और आयात तथा निर्यात आसान हो गया है।

विषय – सामान्य अध्ययन III – अर्थव्यवस्था (महत्वपूर्ण रिपोर्ट)

स्रोत – दि हिंदु

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

विज्ञानं एवं तकनीकि

बीडोउ (BeiDou) नेविगेशन उपग्रह प्रणाली

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन ने अपना बीडोउ नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नक्षत्र पूरा किया है।

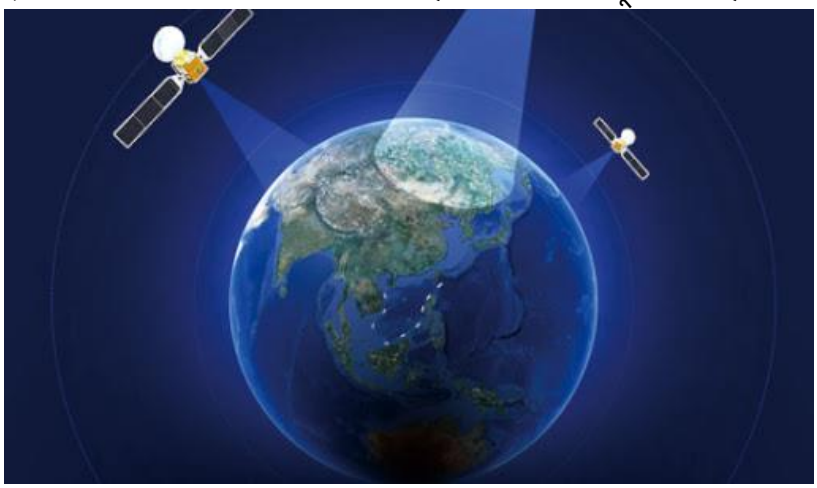

बीडोउ नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- बीडोउ नाम बिग डिपर या हल नक्षत्र के चीनी शब्द से लिया गया है।
- चीन की बीडोउ नेविगेशन परियोजना वर्ष 1990 के दशक की शुरूआत में शुरू की गई थी, इसके बाद यह वर्ष 2000 में चीन में और वर्ष 2012 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चालू की गई थी।
- यह विश्व का चौथा वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है।
- इसका उद्देश्य मत्स्य पालन, कृषि, विशेष देखभाल, जन-बाजार अनुप्रयोगों, वानिकी और सार्वजनिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग को एकीकृत करना है।
- यह दस मीटर से कम की स्थानीय यर्थाथता प्रदान कर सकता (जी.पी.एस. 2.2 मीटर से कम की स्थानीय यथार्थता प्रदान करता है)।
- नेविगेशन प्रणाली को तीन चरणों में पूरा किया गया था अर्थात

A. बी.डी.एस.-1, जो चीन को सेवाएं प्रदान करता है।
B. बी.डी.एस.-2, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है।
C. बी.डी.एस.-3, जो पूरे विश्व में सेवाएं प्रदान करता है।

महत्व

- बी.डी.एस.-3, डेसीमीटर-स्तरीय गतिशील यथार्थता और सेंटीमीटर-स्तरीय स्थिर यथार्थता के साथ यथार्थ प्वाइंट पोजिशनिंग सेवाएं (पी.पी.पी.) प्रदान करने में सक्षम है।
- यह नेटवर्क के अन्य सदस्यों के साथ काम करेगा, जिससे वैश्विक उपयोगकर्ताओं को उच्च यथार्थता वाले नेविगेशन, पोजीशनिंग और समय के साथ-साथ संचार सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- विशेष रूप से अमेरिका-चीन तनाव बढ़ने के बीच एक स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली होने से चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।
- बीडोउ में उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने और चीन के क्षेत्र एवं सड़क पहल के अंतर्गत चीन के विदेशी व्यापार को बढ़ाने की भी क्षमता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- इससे चीन को भारत पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली है, जिसकी आई.आर.एन.एस.एस.-एन.एवी.आई.सी. अभी भी एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है।

विश्व की अन्य उपग्रह नेविगेशन प्रणाली

- अमेरिकी सरकार की जी.पी.एस. नेविगेशन प्रणाली और यह अमेरिकी वायु सेना द्वारा संचालित है।
- रूस की अपनी नेविगेशन प्रणाली है, जिसे ग्लोनास कहा जाता है।
- यूरोपीय संघ (ई.यू.) में गैलीलियो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
- भारत के पास नेवविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टीलेशन (NavIC) है।

A. जी.पी.एस. नेविगेशन प्रणाली

- इसे 1978 में शुरू किया गया था और इसने 1995 में वैश्विक कवरेज हासिल किया है।
- यह संयुक्त राज्य सरकार के स्वामित्व में है और संयुक्त राज्य वायु सेना द्वारा संचालित है।
- इसमें छह विभिन्न कक्षीय विमानों में 24 से 32 मध्यम पृथ्वी कक्षा के उपग्रह हैं।
- जी.पी.एस. सामान्यत: 2.2 मीटर से कम की स्थानीय यथार्थता प्रदान करता है, जिसे संवर्धन प्रणालियों का उपयोग करके कुछ सेंटीमीटर तक भी कम किया जा सकता है।

B. ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली

- रूस की ग्लोबल नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (ग्लोनास) को रूसी संघ के लिए अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार एक राज्य निगम, रॉसकॉसमॉस द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसे 1982 में शुरू किया गया था और इसने 1996 में वैश्विक कवरेज हासिल की थी और पुन: 2011 में (प्रणाली के पुरानी होने पर गिर जाने के बाद) वैश्विक कवरेज हासिल की थी।
- ग्लोनास 2.8 मीटर की स्थानीय यथार्थता प्रदान करता है।

C. गैलीलियो नेविगेशन प्रणाली

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की गैलीलियो प्रणाली वर्ष 2005 में शुरू हुई थी और इसके वर्ष 2020 तक 30 उपग्रहों के साथ वैश्विक कवरेज प्रदान करने का अनुमान है।
- गैलीलियो के आधुनिक जी.पी.एस. प्रणाली के साथ संगत होने की उम्मीद है।
- प्राप्तकर्ता, गैलीलियो और जी.पी.एस. उपग्रहों दोनों से सिग्नलों को संयोजित करने में सक्षम होंगे जिससे कि यथार्थता में वृद्धि हो सके।

D. एन.एवीआई.सी. नेविगेशन प्रणाली

- भारतीय नक्षत्र के साथ एन.एवीआई.सी. या नेवीगेशन, इसरो द्वारा विकसित एक स्वायत्त क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है।
- इसमें 7 नेवीगेशन उपग्रहों का एक नक्षत्र समूह होता है, जिसमें से 3 उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा (जी.ई.ओ.) में और शेष 4 को भू-समकालिक कक्षा (जी.एस.ओ.) में रखा जाएगा।
- इसका उद्देश्य लगभग 1,500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र के भीतर पूरे भारत में 7.6 मीटर से अधिक की सभी मौसम पूर्ण स्थानीय यथार्थता प्रदान करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

स्पेसएक्स का डेमो-2 क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नासा के दो अंतरिक्ष यात्री नाटकीय, पुरानी शैली में उतरकर पृथ्वी पर लौटे हैं, एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा एक अभूतपूर्व परीक्षण उड़ान समाप्त करने के लिए मैक्सिको की खाड़ी में उनके कैप्सूल पैराशूट खुल गए थे।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

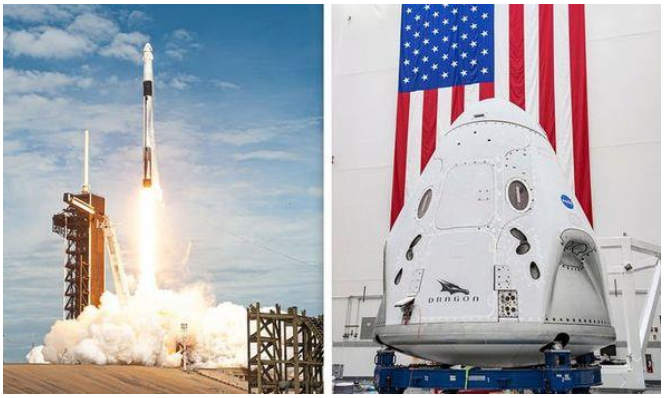

संबंधित जानकारी

- यह 45 वर्षों में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया गया पहला स्पलैशडाउन था, जो पहले व्यावसायिक रूप से निर्मित और संचालित अंतरिक्ष यान द्वारा लोगों को कक्षा में और कक्षा से दूर ले जाने के लिए था।
- पिछली बार, नासा के अंतरिक्ष यात्री 24 जुलाई, 1975 को प्रशांत क्षेत्र में अपोलो-सोयुज के रूप में जाना जाने वाला एक संयुक्त अमेरिकी-सोवियत मिशन को समाप्त करने के लिए प्रशांत क्षेत्र में लौटे थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

बेरूत विस्फोट

खबरों में क्यों है?

- लेबनान की सरकार के अनुसार, बेरूत बंदरगाह पर हुए बड़े विस्फोट में अब तक कम से कम 135 लोग मारे गए हैं, यह विस्फोट 2,700 टन से अधिक अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है।

बेरूत के संदर्भ में जानकारी

- बेरूत, लेबनान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर (पश्चिमी एशिया का एक देश) है।
- यह लेवांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा शहर है और अरब विश्व में पंद्रहवां सबसे बड़ा शहर है।
- लेबनान के भूमध्यसागरीय तट के मध्य में एक प्रायद्वीप पर, बेरूत एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बंदरगाह है।
- यह विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो 5,000 से अधिक वर्षों से बसा हुआ है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

- बेरूत का पहला ऐतिहासिक उल्लेख, मिस्र के नए साम्राज्य के अमरना पत्रों में मिलता है, जो 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।
- बेरूत को वैश्वीकरण और विश्व शहर अनुसंधान नेटवर्क द्वारा बीटा वर्ल्ड सिटी के रूप में स्थान दिया गया है।

लेबनान के संदर्भ में जानकारी

- लेबनान को आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य के रूप में जाना जाता है, यह पश्चिमी एशिया का एक देश है।
- यह उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजरायल से घिरा हुआ है, जब कि साइप्रस, भूमध्य सागर के पार पश्चिम में स्थित है।

संबंधित जानकारी

1. **अमोनियम नाइट्रेट**

- अपने शुद्ध रूप में, अमोनियम नाइट्रेट (NH4NO3) एक सफेद, क्रिस्टलीय रसायन है, जो पानी में घुलनशील है। यह खनन और निर्माण में प्रयुक्त वाणिज्यिक विस्फोटकों के निर्माण में मुख्य घटक होता है।
- भारत में, विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 हैं।
- यह अधिनियम अमोनियम नाइट्रेट को "NH4NO3 सूत्र के साथ एक यौगिक के रूप में परिभाषित करता है, इसमें कोई भी ऐसा मिश्रण या यौगिक शामिल है जिसमें भार द्वारा 45 प्रतिशत से अधिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, जिसमें पायस, निलंबन, पिघले या जेल अवस्थाएं शामिल हैं लेकिन पायस या घोल विस्फोटक और गैर-विस्फोटक पायस मैट्रिक्स और उर्वरकों को छोड़ दिया गया है, जिनसे अमोनियम नाइट्रेट को अलग नहीं किया जा सकता है।

2. **विस्फोटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट**

- शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट स्वयं में विस्फोटक नहीं होता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र के खतरनाक उत्पाद वर्गीकरण के अंतर्गत ऑक्सीकारक (ग्रेड 5.1) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यदि इसे ईंधन या कुछ अन्य संदूषक जैसे अवयवों के साथ मिलाने पर या कुछ अन्य बाहरी कारकों के कारण, यह बहुत विस्फोटक हो सकता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- हालांकि, संयोजनों के विस्फोट के लिए डेटोनेटर जैसे ट्रिगर की आवश्यकता होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III - विज्ञान एवं तकनीकि

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

पाइरोलिसिस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, बॉयोफ्यूल पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, प्रयोग की जा चुकी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण (पी.पी.ई.) से प्लास्टिक को अक्षय तरल ईंधन में बदला जा सकता है।
- शोधकर्ता पी.पी.ई. अपशिष्ट को रासायन का उपयोग करके ईंधन में बदल देंगे, इस प्रक्रिया को पाइरोलिसिस के नाम से जाना जाता है।

लाभ

- जैव ईंधन, जो एक प्रकार का कृत्रिम ईंधन है, में परिवर्तित करने से न केवल मानव जाति और पर्यावरण के लिए भविष्य के गंभीर प्रभावों को रोकेगा बल्कि ऊर्जा का एक स्रोत भी पैदा करेगा।

पाइरोलिसिस के संदर्भ में जानकारी

- पाइरोलिसिस, एक ऊष्मारासायनिक उपचार है, जिसे किसी भी कार्बनिक (कार्बन-आधारित) उत्पाद पर लागू किया जा सकता है।
- यह शुद्ध उत्पादों के साथ-साथ मिश्रणों पर भी लागू किया जा सकता है।
- इस उपचार में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 300-400 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्च तापमान पर सामग्री को रखा जाता है और रासायनिक और भौतिक पृथक्करण के माध्यम से विभिन्न अणुओं में विभाजित किया जाता है।
- इसमें एक साथ भौतिक चरण और रासायनिक संघटन का परिवर्तन शामिल होता है और यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- ए.आई.आर.

पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूभाग से जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) को लॉन्च किया है और राष्ट्र को समर्पित किया है।
- इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर, 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के संदर्भ में जानकारी

- यह उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तेज मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं को सुनिश्चित करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
- पनडुब्बी ओ.एफ.सी. लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 x 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड (जी.बी.पी.एस.) और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 x 100 जीबीपीएस की बैंडविड्थ वितरित करेगा।
- 4जी मोबाइल सेवाएं, जो उपग्रह के माध्यम से प्रदान की गई सीमित बैकहॉल बैंडविड्थ के कारण बाधित थीं, इनमें भी काफी सुधार दिखाई देगा।

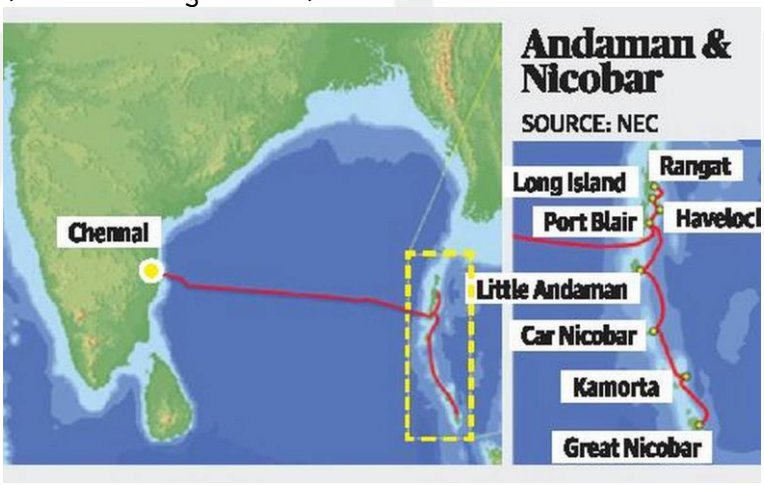

लाभ

- यह अंडमान और निकोबार को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख तरीके से स्थापित करने में मदद करेगा।
- यह प्रत्येक नागरिक की आसानी से रहने में मदद करेगा।
- यह डिजिटल इंडिया विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार के माध्यम से अवसरों में वृद्धि करेगा।
- यह एक्ट-ईस्ट नीति में भी मदद करता है, पूर्वी एशियाई देशों और समुद्र से जुड़े अन्य देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों में अंडमान और निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और यह आगे और अधिक बढ़ने जा रही है।
- उच्च प्रभाव परियोजनाएं और बेहतर भूमि, वायु और जलमार्ग

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

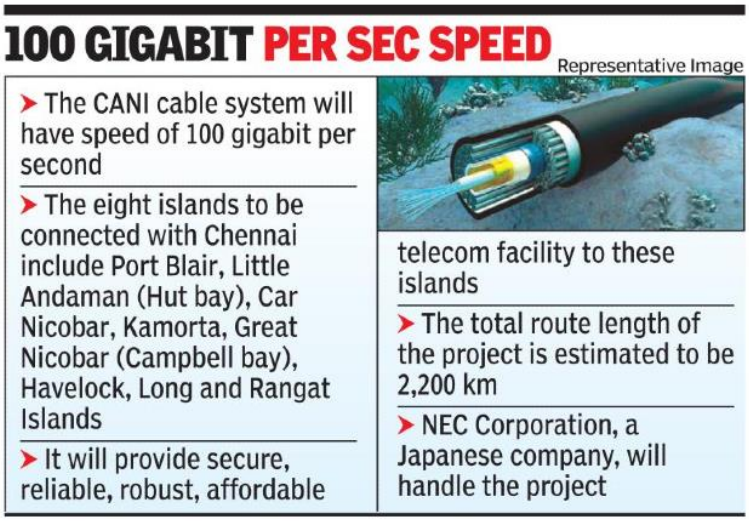

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

स्पुतनिक V

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रूस दो महीने से कम समय के मानव परीक्षण के बाद कोविड-19 वैक्सीन 'स्पुतनिक V' को विनियामक मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

'स्पुतनिक V' वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी

- रूस ने अंतरिक्ष की दौड़ के दौरान 1957 में लॉन्च किए गए विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के संदर्भ में नई अनुमोदित वैक्सीन "स्पुतनिक V" को नाम दिया है।
- मॉस्को के गामालेया संस्थान द्वारा रूसी टीका 'स्पुतनिक V' विकसित किया गया था।
- यह एडेनोवायरस के दो उपभेदों का उपयोग करता है, जो सामान्यत: मनुष्यों में हल्के जुकाम का कारण बनते हैं।
- इस वैक्सीन के दो अलग-अलग इंजेक्टेड घटक हैं।
- दो-चरणीय इंजेक्शन योजना एक स्थायी प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में मदद करती है।
- वेक्टर वैक्सीन और दो-चरणीय योजना के साथ अनुभव दर्शाता है कि प्रतिरक्षा दो वर्ष तक रहती है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

तीसरे चरण का परीक्षण अभी पूरा होना शेष है:

- चरण III या जिसे हम अंतिम चरण का अध्ययन कहते हैं, जिसमें सामान्यत: दसियों हजारों लोग शामिल होते हैं, जो यह साबित करने का एकमात्र तरीका है कि क्या एक प्रयोगात्मक टीका सुरक्षित है और क्या यह वास्तव में काम करता है।
- हालांकि, रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वैक्सीन की मंजूरी हजारों प्रतिभागियों को शामिल करने वाले बड़े परीक्षण III की शुरूआत से पहले आ गई है।
- ऐसे परीक्षण को वैक्सीन के प्रभाव का निरीक्षण करने के लिए वायरस से ग्रस्त प्रतिभागियों की एक निश्चित दर की आवश्यकता होती है, जिसे सामान्यत: वैक्सीन के लिए विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक अग्रदूत माना जाता है।
- मास्को आधारित नैदानिक परीक्षण संगठन संघ (ए.सी.टी.ओ.), रूस में दुनिया के शीर्ष दवा निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक व्यापारिक संस्था है, जिसने स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमोदन को तब तक स्थगित करने का आग्रह किया था जब तक कि अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- टी.ओ.आई.

मेगा लैब, कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ावा दे रही हैं।

खबरों में क्यों है?

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) कोविड-19 की टेस्टिंग दर को बढ़ाने के साथ ही यथार्थता दर को सुधारने के लिए "मेगा लैब" विकसित करने पर काम कर रहा है।
- प्रयोगशाला बड़ी मशीनों को फिर से तैयार करेंगी, जिसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन (एन.जी.एस.) कहा जाता है।

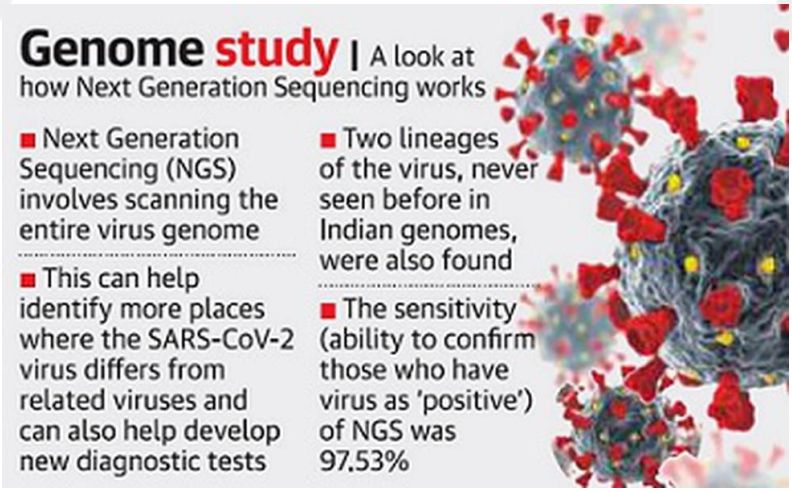

नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन (एन.जी.एस.) के संदर्भ में जानकारी

- सार्स-सी.ओ.वी.-2 वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में 1,500 से 3,000 वायरल जीनोम का अनुक्रमण करने हेतु एन.जी.एस. का प्रयोग सामान्यत: मानव जीनोम के अनुक्रमण के लिए किया जाता है।
- सी.एस.आई.आर. ने अमेरिका आधारित एक कंपनी, एलुमिना के साथ भागीदारी की है, जो एन.जी.एस. मशीनों के निर्माण में विशेषज्ञ है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

इन मशीनों के माध्यम से क्या पता लगाया जा सकता है?

- ये मशीनें कई उदाहरणों में भी वायरस की उपस्थिति का पता लगा सकती हैं, जहां पारंपरिक आर.टी.-पी.सी.आर. (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन) टेस्ट विफल हो जाते हैं। यह निम्नलिखित की पहचान करने में मदद करता है:
- केवल विशिष्ट भागों का अन्वेषण करके सार्स-सी.ओ.वी.-2 वायरस
- वायरस के विकासवादी इतिहास का पता लगाना
- अधिक विश्वसनीयता के साथ में उत्परिवर्तन की निगरानी करता है

आर.टी.-पी.सी.आर. पर एन.जी.एस. कितनी लाभकारी है?

- आर.टी.-पी.सी.आर. के विपरीत, जिन्हें प्राइमरों और जांच की आवश्यकता होती है, जो महामारी की शुरूआत में बड़े पैमाने पर ऐसे टेस्टों के परिचालन में एक महत्वपूर्ण बाधा है, एन.जी.एस. को केवल पारंपरिक अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है।

नोट:

- भारत में अब ऐसे पांच अनुक्रमक हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 4 करोड़ रूपए है, ये वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं।

संबंधित जानकारी

जीनोम अनुक्रमण के संदर्भ में जानकारी

- जीनोम अनुक्रमण डी.एन.ए. न्यूक्लियोटाइड्स या आधार के क्रम का पता लगाता है, एक जीनोम में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन का क्रम होता है जो एक जीव का डी.एन.ए. बनाते हैं।
- जीनोम विधि वायरस जीनोम के एक बड़े हिस्से का अध्ययन कर सकती है और इस प्रकार, अधिक निश्चितता प्रदान करती है कि विचाराधीन वायरस वास्तव में कोरोनावायरस प्रकृति का है।

भारत में जीनोम अनुक्रमण

- सी.एस.आई.आर. (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) ने रोग के प्रति संवेदनाशीलता (और लचीलापन), अद्वितीय आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने के लिए लगभग 1000 भारतीय ग्रामीण युवाओं के नमूनों का जीनोम अनुक्रमण करने की योजना बनाई है।
- ऐसा पहली बार हुआ है कि विस्तृत अध्ययन के लिए भारतीयों के नमूनों को बडी संख्या में भर्ती किया जाएगा।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संदर्भ में जानकारी

- जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान और कुछ आई.आई.टी. सहित 20 संस्थानों की एक सहभागिता है, जो चिकित्सा, कृषि और जीवन विज्ञान में नई क्षमताओं को सक्षम करेगी।
- इसका उद्देश्य विविध भारतीय आबादी में रोगों के प्रकार और प्रकृति और लक्षणों को पूरी तरह से समझने के लिए अंततः भारतीय "संदर्भ जीनोम" की एक ग्रिड का निर्माण करना है।

जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का महत्व

- जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट (एच.जी.पी. 1990-2003) से प्रेरित है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसने पूरे मानव जीनोम को डिकोड किया है।
- एच.जी.पी. की एक प्रमुख विविधता समस्या है क्यों कि एच.जी.पी. के अंतर्गत मानचित्रित किए गए अधिकांश जीनोम (95% से अधिक) शहरी मध्यम वर्ग के गोरे लोगों से प्राप्त किए गए हैं।
- इस संदर्भ में, जी.आई.पी. का लक्ष्य मानव प्रजातियों पर उपलब्ध जानकारी को व्यापक रूप से जोड़ना है। यह भारतीय आबादी और यहां की विविधता के पैमाने पर प्रामाणिक डेटा रखने में मदद करेगा। इस विविधता को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विविधता द्वारा दर्शाया जा सकता है।

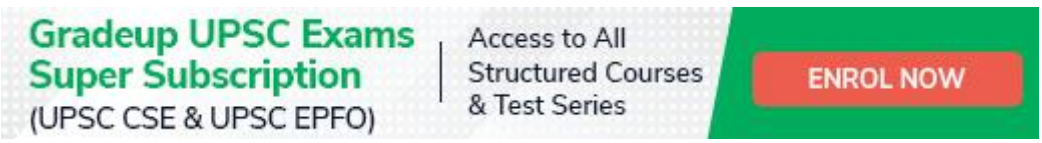

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
स्रोत- द हिंदू

ट्रांजिसटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण उपग्रह

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लेनेट सर्वेक्षण उपग्रह (टी.ई.एस.एस.) ने दो वर्ष के सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में तारामय आकाश की लगभग 75 प्रतिशत इमेजिंग करके अपने प्राथमिक मिशन को पूरा कर लिया है।
- मिशन में 66 नए एक्सोप्लैनेट्स पाए गए हैं और इसके साथ ही लगभग 2,100 उम्मीदवार खगोलविद पुष्टि करने के लिए काम कर रहे हैं।

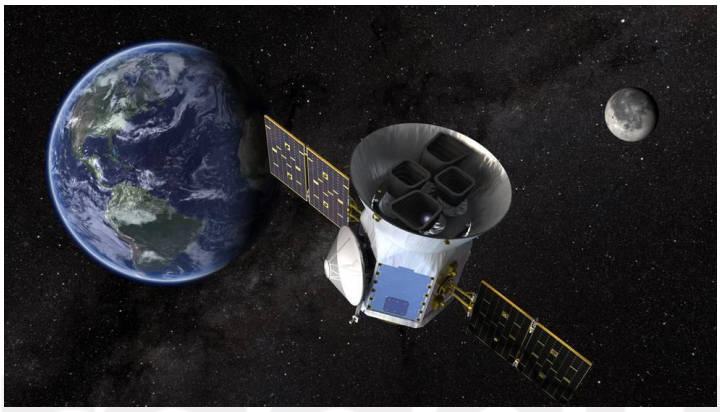

ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वेक्षण उपग्रह के संदर्भ में जानकारी

- यह एक नासा मिशन है, जो कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में एम.आई.टी. द्वारा नेतृत्व और संचालित किया जाता है, जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- इस मिशन का उद्देश्य आसपास के उज्ज्वल तारों के आसपास हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज करना है।

संबंधित जानकारी

एक्सोप्लैनेट के संदर्भ में जानकारी

- यह सौर मंडल के बाहर का एक ग्रह है।
- एक्सोप्लेनेट का पता लगाने की पहली पुष्टि 1992 में हुई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
स्रोत- लाइव मिंट

नया टिक-जनित वायरस चीन में फैल रहा है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार नामक एक बीमारी फैल रही है, जो टिक-जनित वायरस के कारण हुई है, जिससे सात लोग मारे गए हैं और कम से कम 60 संक्रमित हुए हैं।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस के साथ गंभीर बुखार के संदर्भ में जानकारी

- यह बुन्यावायरस परिवार से संबंधित है और टिक के काटने के माध्यम से मनुष्यों में प्रेषित किया जाता है।
- इस वायरस की पहचान पहली बार चीन में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक दशक पहले की थी।

हस्तांतरण

- एक एशियाई टिक जिसे हेमाफिसालिस लॉन्गिकोर्निस के नाम से जाता है, यह वायरस का प्राथमिक वेक्टर या वाहक है।
- यह बीमारी मार्च से नवंबर के बीच फैलने के लिए जानी जाती है।
- वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह वायरस प्राय: बकरियों, मवेशियों, हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
- चीनी विषाणु विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि वायरस के मानव-से-मानव संचरण को खारिज नहीं किया जा सकता है।
- वर्तमान मामलों में मृत्यु दर लगभग 16 से 30 प्रतिशत के बीच है।
- जिस दर से यह फैलता है और इसकी उच्च मृत्यु दर के कारण एस.एफ.टी.एस. को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिक रोग ब्लूप्रिंट में सूचीबद्ध किया गया है।

एस.एफ.टी.एस. का इलाज कैसे किया जाता है?

- इस बीमारी के इलाज के लिए अभी तक सफलतापूर्वक कोई टीका विकसित नहीं किया गया है, एंटीवायरल दवा रिबाविरिन को बीमारी के इलाज में प्रभावी माना जाता है।

नोट:

- पहले कुछ मामले वर्ष 2009 में चीन के हुबेई और हेनान प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष ईंटें

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान, आई.आई.एस.सी. बेंगलुरू के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

अंतरिक्ष ईंट के संदर्भ में जानकारी

- इन अंतरिक्ष ईंटों का उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास करने के लिए संरचनाओं को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है।
- यह प्रक्रिया चंद्रमा की मिट्टी, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों का उपयोग करके भार वहन करने वाली ईंटें बनाने में सक्षम बनाती है।
- अब विकसित की गई प्रक्रिया मानव मूत्र से प्राप्त यूरिया का उपयोग करती है, जिसे चंद्रमा पर संरचनाओं का निर्माण करने के लिए चंद्रमा की मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
- अब विकसित की गई प्रक्रिया मानव मूत्र से प्राप्त यूरिया का उपयोग करती है, जिसे चंद्रमा पर संरचनाओं का निर्माण करने के लिए चंद्रमा की मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।
- इससे समग्र व्यय में काफी कमी आती है।

कार्बन पदचिन्हों को कम करने में मदद मिलती है

- चूंकि सीमेंट के स्थान पर ग्वार गोंद का उपयोग किया जाता है, इसलिए कम कार्बन पदचिन्ह होंगे।
- किसी भी आकार में ईंट को ढालने के लिए बैक्टीरिया को मिलाया जाता है।

व्यवहार्यता

- पृथ्वी से ईंटों को भेजना व्यवहार्य नहीं है क्यों कि एक पाउंड निर्माण सामग्री के परिवहन में 7.5 लाख रूपए का खर्च आता हैं।

संबंधित जानकारी

कार्बन पदचिन्ह के संदर्भ में जानकारी

- कार्बन पदचिह्न, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा, किसी व्यक्ति या अन्य संस्था (जैसे: भवन, निगम, देश आदि) की सभी गतिविधियों से संबंधित होती है।
- विनिर्माण, ताप और परिवहन में जीवाश्म-ईंधन दहन के परिणामस्वरूप के साथ ही उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित बिजली का उत्पादन करने के लिए आवश्यक उत्सर्जन जैसा प्रत्यक्ष उत्सर्जन शामिल होता है।
- इसके अतिरिक्त, कार्बन पदचिन्ह अवधारणा में प्राय: मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी.एफ.सी.) जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी शामिल होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्रोत- टी.ओ.आई.

साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्वास्थ्य एजेंसियों ने सतर्कता बरतते हुए अपने नागरिकों को कैलिफोर्निया स्थित थॉमसन इंटरनेशनल इंक द्वारा आपूर्ति किए गए प्याज का उपयोग न करने के लिए कहा है, जिसमें साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया के संक्रमण को बल्ब के साथ जोड़ा गया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया के संदर्भ में जानकारी

- साल्मोनेल्ला बैक्टीरिया जानवरों में रहता है।
- जब यह मानव शरीर में प्रवेश करता है तो यह साल्मोनेल्लोसिस का कारण बनता है, यह एक संक्रमण है जो आंत पर हमला करता है और दस्त, पेट दर्द, बुखार, उल्टी, मल और मतली में रक्तस्राव का कारण बन सकता है।
- संक्रमण के लक्षण 2 और 7 दिनों के बीच कभी भी रह सकते हैं।
- हालांकि, आंत के कार्यों को पहले जैसी सामान्य स्थिति में लौटने से कभी-कभी महीनों लग सकते हैं।
- कुछ मामलों में, यह संक्रमण को आंत से रक्त प्रवाह में फैलाता है।
- यह संक्रमण पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।

हस्तांतरण

- सालमोनेल्ला दूषित पानी या भोजन के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंच सकता है।
- इस मामले में, बैक्टीरिया दूषित प्याज के माध्यम से प्रेषित हो रहे थे, जो थॉमसन इंटरनेशनल द्वारा उगाए गए थे।

थॉमसन इंटरनेशनल क्या है?

- कंपनी उत्तरी अमेरिका में खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और खाद्य सेवा ऑपरेटरों को प्याज, गोभी, तरबूज और बेल मिर्च की आपूर्ति करती है।
- यह अन्य देशों को भी निर्यात करता है। इसके अधिकांश खेत बेकरफील्ड, कैलिफोर्निया और मैक्सिको में स्थित हैं।
- थॉमसन अपनी उपज बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के बीजों और संकर पौधों का उपयोग करता है।
- कंपनी द्वारा उत्पाद विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत बेचे जाते हैं, जिनके नाम थॉमसन प्रीमियम, टी.एल.सी. थॉमसन इंटरनेशनल, टेंडर लविंग केयर, ई.एल. कंपटीटर, हार्टले बेस्ट, ओनियन 52, मैजेस्टिक, इंपीरियल फ्रेश, क्रॉगर, यूटाह ओनियन और फूड लायन हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

सैलाइवाडायरेक्ट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफ.डी.ए.) ने कोविड-19 के लिए सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट को मंजूरी प्रदान की है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ (एन.बी.ए.) के साथ साझेदारी में येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट विकसित किया गया है।

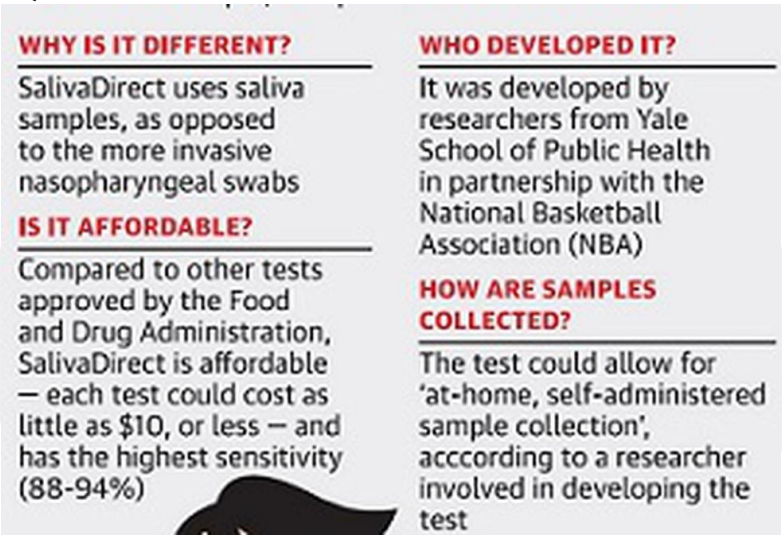

टेस्ट किस प्रकार भिन्न है?

- सैलाइवाडायरेक्ट टेस्ट अधिक आक्रामक नासोफेरींगल स्वाब के विपरीत लार के नमूनों का उपयोग करता है।

टेस्ट करने की प्रक्रिया क्या है?

- लार के नमूनों के संग्रहण और टेस्टिंग में तीन चरण शामिल हैं, जिसमें परिरक्षक बफ़र्स के बिना लार एकत्र करना, प्रोटीनेज K उपचार और ऊष्मा निष्क्रियता और डुअलप्लेक्स आर.टी.-क्यू.पी.सी.आर. वायरस का पता लगाना शामिल है।

महत्व

- यह टेस्ट तब भी वायरस का पता लगा सकता है जब लार के नमूने में वायरस प्रतियों की संख्या, 6-12 प्रतियां प्रति माइक्रोलीटर जितनी कम हों।
- नया टेस्ट, नमूना संग्रह को गैर-आक्रामक बनाता है और एकत्रीकरण के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए नमूने एकत्र करने हेतु प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता को कम करता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription
(UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- नैसोफैरींगल स्वैब का उपयोग करने वाले अन्य टेस्टों की तुलना में यह टेस्ट अधिक यथार्थ है, जो कभी-कभी नमूना एकत्र करने के दौरान त्रुटियों के कारण गलत निगेटिव परिणाम देते हैं।

नोट:

- हाल ही में, मलेशिया ने D**614**G नामक नए कोरोनावायरस वायरस का पता लगाया है जो पिछले कोरोनावायरस की तुलना में दस गुना अधिक संक्रामक है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

रेलवे निगरानी के लिए 'निंजा यू.ए.वी.' की तैनाती करेगा।

खबरों में क्यों है?

- भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क में अपने सुरक्षा तंत्र को तेज करने के लिए एक ड्रोन-आधारित निगरानी प्रणाली की स्थापना करने हेतु "निंजा यू.ए.वी." (मानव रहित हवाई वाहन) की तैनाती शुरू कर दी है।

निंजा यू.ए.वी. के संदर्भ में जानकारी

- ये हल्के और किफायती सूक्ष्म कॉन्ट्रैप्शन हैं, जो मानचित्रण और निगरानी के लिए बनाए गए हैं।

लाभ

- डेटा संग्रह विश्लेषण के लिए ड्रोन की तैनाती की जा सकती हैं और कमजोर वर्गों में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
- बचाव, वसूली और बहाली कार्यों में मदद करने और विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय के लिए आपदा स्थलों पर ड्रोन का सेवा कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।
- रेलवे संपत्तियों पर अतिक्रमण का मूल्यांकन करने के लिए रेलवे परिसंपत्तियों का मानचित्रण करने के दौरान ड्रोन उपयोगी हो सकते हैं।
- बड़े पैमाने पर भीड़ प्रबंधन प्रयासों के दौरान ड्रोन भीड़ की संख्या, आगमन का संभावित समय और वितरण जैसे महत्वपूर्ण इनपुट दे सकते हैं, जिसके आधार पर इस प्रकार के अभ्यास का नियोजन और निष्पादन किया जा सकता है।
- ड्रोन का उपयोग लॉकडाउन प्रतिबंधों को लागू करने और कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड-19) के प्रकोप के बाद प्रवासियों की अपने मूल स्थानों की ओर वापसी के आवागमन की निगरानी करने के लिए किया गया था।

संबंधित जानकारी

ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क के संदर्भ में जानकारी

- इसका गठन वर्ष 2018 में स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच में किया गया था।

उद्देश्य

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- यह प्रगतिशील सरकारों का एक समुदाय है, जो उद्योग और अन्य प्रमुख हितधारकों द्वारा समर्थित है, जो प्रगतिशील विनियामक दृष्टिकोण के साथ ड्रोन को अपनाने में तेजी ला रहा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तेज गति प्रदान करने के लिए "स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज- #आत्मनिर्भर भारत हेतु नवाचार समाधान" लॉन्च किया है।
- यह भविष्य में देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को तेज गति प्रदान करेगा।

स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज के संदर्भ में जानकारी:

- आई.आई.टी. मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडैक) ने शक्ति (32 बिट) और वेगा (64 बिट) नामक दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किए हैं।
- उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया है।
- यह विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग करने के लिए नवोन्मेषकों, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करना चाहता है।
- इस चैलेंज की समयावधि 10 महीने है, इसे 18 अगस्त, 2020 को माईगॉव पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया के साथ शुरू किया गया है और यह जून, 2021 में समाप्त होगा।

महत्व:

- इसका उद्देश्य भारत के रणनीतिक और औद्योगिक क्षेत्रों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- इसमें सुरक्षा, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी अप्रचलन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आयात पर निर्भरता के मुद्दों को कम करने की क्षमता है।
- यह देश में सर्वश्रेष्ठ वी.एल.एस.आई. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप के अवसर और नियमित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करके प्रतियोगियों को लाभ प्रदान करता है।
- यह व्यवसाय सदस्यता और वित्तपोषण समर्थन सहायता भी प्रदान करता है, जो इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा सुविधा प्रदान करता है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मीडिएटेड कैंसर चिकित्सा (एम.एच.सी.टी.)

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के एक स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक ऑपरेशन न करने योग्य ट्यूमर के लिए वांछित चिकित्सा के रूप में मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मीडिएटेड कैंसर चिकित्सा (एम.एच.सी.टी.) बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

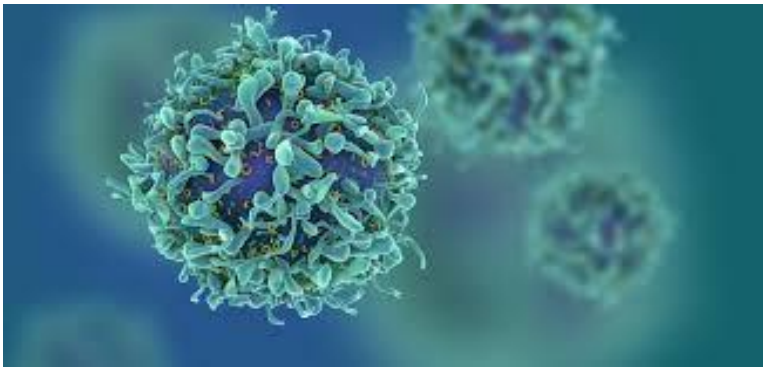

मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया-मीडिएटेड कैंसर चिकित्सा के संदर्भ में जानकारी

- यह एक गैर-आक्रामक कैंसर उपचार है।
- इसमें लक्षित ट्यूमर स्थान के भीतर चुंबकीय सामग्री का वितरण और स्थानीयकरण शामिल है, इसके बाद वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र (ए.एम.एफ.) के परिणामी अनुप्रयोग द्वारा ट्यूमर के स्थान पर गर्मी पैदा की जाती है।
- यह ग्लियोब्लास्टोमा जैसे गहरे दुर्गम ठोस ट्यूमर के खिलाफ दक्षता से कार्य कर सकता है और स्वस्थ समकक्षों के खिलाफ न्यूनतम विषाक्तता के साथ सामान्य कोशिकाओं के प्रति अत्यधिक ऊष्मीय-संवेदनशील है।

अनुप्रयोग

- यह कुशल रूप से ग्लियोब्लास्टोमा जैसे गहरे दुर्गम ठोस ट्यूमर के खिलाफ दक्षता से कार्य कर सकता है और स्वस्थ समकक्षों के खिलाफ न्यूनतम विषाक्तता के साथ सामान्य कोशिकाओं के प्रति अत्यधिक ऊष्मीय-संवेदनशील है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- पी.आई.बी.

भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसैट ने विरल खोज की

समाचार में क्यों?

- हाल में एस्ट्रोसेट ने एक चरण पराबैंगनी प्रकाश की एक आकाशगंगा जिसे एयूडीएफएस01 कहते हैं, से खोज की है जो पृथ्वी से 9.3 प्रकाशवर्ष की दूरी पर है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

एस्ट्रोसेट के बारे में

- एस्ट्रोसेट भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष बेधशाला है।
- यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन हमारे ब्रह्मांड की और भी गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेगा।
- एस्ट्रोसेट मिशन की विशिष्ट विशेषता यह है कि यह एक ही उपग्रह से विभिन्न खगोलीय वस्तुओं के बहु तरंगदैर्ध्य अवलोकनों की एक साथ इजाजत देता है।
- एस्ट्रोसेट ब्रह्मांड का वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रकाशीय, पराबैंगनी, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्स-रे क्षेत्रों का अवलोकन करता है जबकि दूसरे अधिकांश वैज्ञानिक उपग्रह केवल तरंगदैर्ध्य पट्टी की छोटी सीमा के अवलोकन में ही सक्षम हैं।
- 1513 किग्रा. के लिफ्ट ऑफ द्व्यमान वाले एस्ट्रोसेट को पीएसएलवी-सी30 के द्वारा विषुवत रेखा के 6 डिग्री कोण में 650 किमी. ऊंची कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था।

एस्ट्रोसेट मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यः

a. द्वियुग्मी तारा प्रणालियों में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझने के लिए जिनमें न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल शामिल हैं।
b. न्यूट्रॉन तारों के चुम्बकीय क्षेत्रों का आकलन
c. तारा प्रणालियों में तारा जन्म क्षेत्रों और उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन जो हमारे आकाशगंगा से बाहर हैं।
d. आकाश में नए संक्षिप्त चमकीले एक्स-रे स्रोत की पहचान करना
e. पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के सीमित गहन क्षेत्र सर्वेक्षण को करना

टॉपिक-सामान्य अध्ययन तृतीय- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत-द हिंदू

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

सुरक्षा सम्बंधित मुद्दे

रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 (डी.पी.ई.पी.पी. 2020)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 (डी.पी.ई.पी.पी. 2020) का मसौदा जारी किया है।

Ministry of Defence
Government of India

रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 के संदर्भ में जानकारी

- डी.पी.ई.पी.पी. 2020 को आत्मनिर्भरता और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर केंद्रित, संरचित और महत्वपूर्ण रूप से जोर देने के लिए एम.ओ.डी. के व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में परिकल्पित किया गया है।

इस नीति ने निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित किया है:

- वर्ष 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादों और सेवाओं में 35,000 करोड़ रूपये (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रूपये (25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का कारोबार प्राप्त करना
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए एयरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना
- आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से "मेक इन इंडिया" पहल को आगे बढ़ाना
- रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना
- एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है, जो अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता है, नवाचार को पुरस्कृत करता है, भारतीय आई.पी. स्वामित्व का निर्माण करता है और एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा देता है।

यह नीति निम्नलिखित फ़ोकस क्षेत्रों के अंतर्गत कई रणनीतियों को सामने लाती है:

- खरीद संशोधन
- स्वदेशीकरण और एम.एस.एम.ई./ स्टार्टअप का समर्थन करना
- संसाधन आवंटन का अनुकूलन

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

- निवेश संवर्धन, एफ.डी.आई. और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
- नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डी.पी.एस.यू.) और आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ.एफ.बी.)
- गुणवत्ता आश्वासन एवं परीक्षण अवसंरचना
- निर्यात संवर्धन

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

कावकाज 2020 युद्धाभ्यास

खबरों में क्यों है?

- भारत अगले महीने रूसी कावकाज 2020 रणनीतिक कमांड-पोस्ट युद्धाभ्यास में भाग लेगा।
- दक्षिणी रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेनाओं की एक छोटी टुकड़ी भाग लेगी।

कावकाज 2020 युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- कावकाज 2020 को काकेशस-2020 के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- यह रूस के दक्षिण-पश्चिम में सैन्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों की क्षमता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक युद्धाभ्यास है।
- इसके आमंत्रितों में शंघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य-राज्यों के अतिरिक्त चीन और पाकिस्तान भी शामिल हैं।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में, जून, 2020 में भारत और चीनी सैन्य टुकड़ियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को के रेड स्क्वायर में विजय दिवस परेड में मार्च किया था।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उनके चीनी समकक्ष भी शामिल थे, हालांकि उनके बीच कोई द्विपक्षीय भागीदारी नहीं थी।

टॉपिक: जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत: द हिंदू

भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत 'सार्थक' का शुभारंभ किया है।

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारतीय तटरक्षक के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत (ओ.पी.वी.) को भारतीय तटरक्षक जहाज 'सार्थक' के रूप में लॉन्च किया गया है और इसका नामकरण किया गया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी.एस.एल.) ने अपतटीय गश्ती पोत 'सार्थक' को डिजाइन और विकसित किया है, जो पांच ओ.पी.वी. की श्रृंखला में चौथा है।

'सार्थक' के संदर्भ में जानकारी

- इसे स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है और इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह निर्बाध आवागमन और खोज एवं बचाव ऑपरेशन के लिए एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, चार उच्च गति वाली नावों के साथ एक इन्फ्लैटेबल नाव ले जाएगा।
- इसे ई.ई.जेड. निगरानी, तटीय सुरक्षा और अन्य कर्तव्यों के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।
- इस जहाज को अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित किया गया है।

संबंधित जानकारी

- आई.सी.जी.एस. सचेत, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी.एस.एल.) द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन की गई पांच अपतटीय गश्ती जहाजों (ओ.पी.वी.) की श्रृंखला में पहला है।
- यह परियोजना पूर्ववर्ती छह जहाज सी.जी.ओ.पी.वी. परियोजना की अनुवर्ती परियोजना थी, जो 2017 में पूरी हो गई थी।

सी.जी. ओ.पी.वी. परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- वर्ष 2017 में पूर्ण हुई सी.जी. ओ.पी.वी. के अंतर्गत भारतीय तट रक्षक में छह समर्थ श्रेणी के जहाजों का साधिकार किया गया था।

अपतटीय गश्ती जहाजों के संदर्भ में जानकारी

- अपतटीय गश्ती पोत, एक अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभावान जहाज है, जिसे तटीय क्षेत्रों और प्रभावी आपदा सहायता के लिए समुद्री सुरक्षा के प्रावधानों सहित आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र प्रबंधन भूमिकाओं को निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- ए.आई.आर.

चीन ने पाकिस्तान नौसेना के लिए समुद्री जहाज लांच किया

समाचार में क्यों?

- चीन ने चार उन्नतशील नौसैनिक समुद्री जहाज में पहले को लांच किया है जिसे टाइप-054 क्लास फ्रिगेट कहा गया है, यह पाकिस्तान के लिए निर्मित किया गया है। यह दो घनिष्ठ मित्रों के बीच में बढ़ते हुए आर्थिक और रक्षा संबंधों के बीच में हुआ है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series | ENROL NOW

टाइप-054 क्लास फ्रिगेट के बारे में

- यह नवीनतम सरफेस, सबसरफेस, एंटी एयर हथियारों, कॉम्बैट प्रबंधन प्रणाली और संसूचकों से लैस है, और पाकिस्तान नौसेना बेड़े का तकनीकी रूप से आधुनिकतम सरफेस प्लेटफार्म में से एक होगा।
- पाकिस्तान ने चाइना शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सीएसटीसी) के साथ एक अनुबंध पर दो टाइप -054 **A/P** फ्रिगेट के लिए 2017 में हस्ताक्षर किये थे।

टॉपिक-सामान्य अध्ययन तृतीय-रक्षा

स्रोत- द हिंदू

डी.जी.एन.सी.सी. मोबाइल प्रशिक्षण ऐप

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर (डी.जी.एन.सी.सी.) मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है।

डी.जी.एन.सी.सी. मोबाइल प्रशिक्षण ऐप के संदर्भ में जानकारी

- यह ऐप एन.सी.सी. कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा।
- इसका उद्देश्य एन.सी.सी. कैडेटों को एक प्लेटफार्म पर संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री (पाठ्यक्रम, सारांश, प्रशिक्षण वीडियो और प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न) प्रदान करना है।
- इस ऐप को एक क्वेरी विकल्प को शामिल करके इंटरैक्टिव बनाया गया है।

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO) | Access to All Structured Courses & Test Series ENROL NOW

- यह ऐप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप, एन.सी.सी. प्रशिक्षण के स्वचालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

Gradeup UPSC Exams Super Subscription (UPSC CSE & UPSC EPFO)
Access to All Structured Courses & Test Series
ENROL NOW

gradeup SUPER

Gradeup UPSC Super Superscription

UPSC CSE, UPSC EPFO

Features:

- 12+ Structured Courses for UPSC Exams
- 60+ Mock Tests for UPSC CSE (Pre+Main) & UPSC EPFO Exams
- Separate Batches in Hindi & English
- Mock Tests are available in Hindi & English
- Available on Mobile & Desktop

Prep Smart. Score Better. Go gradeup

gradeup.co